







उत्तराखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

2010-2011

उत्तराखण्ड सरकार



विषय सूची

पृष्ठ सं०

(1)

2

विनियोग लेख का सारांश

विनियोग लेख -

15	01. विधान सभा
17	02. राज्यपाल
21	03. मंत्रिमण्डल
24	04. न्याय प्रशासन
30	05. निर्वाचन
32	06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन
42	07. विज्ञान, कृषि, नियोजन, परिवहन, संचार तथा अन्य सेवाएँ
70	08. आवाकौरी
72	09. लोक सेवा आयोग
74	10. पुलिस एवं जेल
83	11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
115	12. लोकपाल एवं परिवार कल्याण
134	13. जलपूर्ति, आवास एवं नगर विकास
140	14. सूचना
145	15. कल्याण योजनाएँ
161	16. श्रम और रोजगार
167	17. कृषि कर्म एवं अनुसन्धान
176	18. सरकारी
179	19. ग्राम्य विकास
187	20. सिंचाई एवं बाढ़
196	21. ऊर्जा
200	22. लोक निर्माण कार्य
209	23. उद्योग
215	24. परिवहन
220	25. खाद्य
224	26. पर्यटन
227	27. वन
232	28. पर्यावरण सन्ध्या कायदा
238	29. औद्योगिक विकास
242	30. अनुसूचित जातियों का कल्याण
260	31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

प्रस्तावना

परिशिष्ट

(1) परिशिष्ट I	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2010-2011 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किये गये व्यय, जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।	277
(2) परिशिष्ट II	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण।	278
(3) परिशिष्ट III	उचन्त लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग।	280
(4) परिशिष्ट IV	उचन्त लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूंजीगत प्रभाग।	281
(5) परिशिष्ट V	उचन्त लेनदेन - लोक निर्माण विभाग।	282

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2010-2011 के विनियोग लेख के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुए 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेख सन्निहित हैं।

इस लेख में :-

'मूल' से तात्पर्य अनुदान या विनियोग से है।

'पूर्वक' से तात्पर्य पूर्वक अनुदान या विनियोग से है।

'पुनर्वि' से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अस्पष्ट से है।

पारित विनियोग एवं व्यय लिखांकित किये गये हैं।

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5 (हजार ₹ में)
01. विधान सभा				
दत्तमत	20,10,96	1,50,00	16,48,35	1,50,00
भारित	87,35	--	50,21	--
02. राज्यपाल				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	4,82,45	--	4,20,51	--
03. मंत्रिपरिषद्				
दत्तमत	25,88,54	--	25,69,61	--
भारित	--	--	--	--
04. न्याय प्रशासन				
दत्तमत	98,78,89	22,00,00	68,87,42	18,14,09
भारित	28,75,02	--	15,26,32	--
05. निर्वाचन				
दत्तमत	10,67,24	--	9,63,91	--
भारित	--	--	--	--
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन				
दत्तमत	3,96,87,97	82,65,96	3,67,36,07	38,72,60
भारित	1,68,76	--	1,49,18	--
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें				
दत्तमत	18,73,21,72	67,09,70	17,66,87,31	58,31,75
भारित	17,46,40,05	12,99,63,00	16,05,65,17	11,80,34,16
08. आबकारी				
दत्तमत	9,98,87	1	8,73,39	--
भारित	--	--	--	--

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
1	2	3	4	5
				(हजार ₹ में)
09. लोक सेवा आयोग				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	8,37,69	6,31,33	7,56,18	2,02,45
10. पुलिस एवं जेल				
दत्तमत	6,29,83,96	20,15,02	6,20,59,13	16,03,52
भारित	--	--	43	--
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति				
दत्तमत	32,38,48,73	1,59,60,11	30,62,46,92	99,40,12
भारित	2	--	--	--
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण				
दत्तमत	7,16,12,49	1,29,40,42	5,91,73,24	66,88,88
भारित	--	--	2	--
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास				
दत्तमत	8,47,77,60	--	4,74,98,08	--
भारित	--	--	--	--
14. सूचना				
दत्तमत	40,59,23	50,00	37,29,29	--
भारित	--	--	--	--
15. कल्याण योजनायें				
दत्तमत	4,65,25,84	17,17,45	3,81,53,51	3,43,58
भारित	--	--	40	--
16. श्रम और रोजगार				
दत्तमत	72,17,76	8,37,68	60,09,72	6,71,20
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		विनियोग लेखे	
			व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5
				(हजार ₹ में)
17. कृषि कर्म एवं अनुसन्धान				
दत्तमत	4,31,49,32	12,80,00	3,48,78,15	43,61,86
भारित	--	--	--	--
18. सहकारिता				
दत्तमत	30,79,28	8,50,20	25,92,23	1,01,83
भारित	--	--	--	--
19. ग्राम्य विकास				
दत्तमत	4,62,87,99	71,34,66	3,87,66,25	58,14,95
भारित	--	--	--	--
20. सिंचाई एवं बाढ़				
दत्तमत	2,83,61,58	4,23,88,39	3,11,24,11	4,24,35,31
भारित	2	--	--	--
21. ऊर्जा				
दत्तमत	9,02,35	3,96,33,99	9,49,50	1,09,65,03
भारित	--	--	--	--
22. लोक निर्माण कार्य				
दत्तमत	3,80,00,74	8,62,75,01	3,45,06,54	8,88,61,66
भारित	3,97,49	50,00	1,06,32	--
23. उद्योग				
दत्तमत	64,29,43	14,67,78	59,15,18	3,14,73
भारित	--	--	--	--
24. परिवहन				
दत्तमत	21,13,44	75,72,81	18,62,26	67,61,24
भारित	--	--	--	--

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5
				(हजार ₹ में)
25. खाद्य दत्तमत	31,11,83	2,95,01	23,84,77	12,10,09,37
भारित	--	--	--	--
26. पर्यटन दत्तमत	25,79,45	85,44,31	22,87,67	55,59,95
भारित	2	--	--	--
27. वन दत्तमत	3,16,16,61	18,00,02	2,85,41,11	16,47,17
भारित	--	--	--	--
28. पशुपालन सम्बन्धी कार्य दत्तमत	1,14,40,88	11,06,67	98,88,37	8,13,82
भारित	--	--	--	--
29. औद्योगिक विकास दत्तमत	88,29,94	--	86,68,62	2,99,69
भारित	39,44	--	32,51	--
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण दत्तमत	4,89,20,54	2,60,59,83	3,93,00,68	1,42,49,24
भारित	--	--	--	--
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण दत्तमत	1,39,15,53	89,28,25	94,94,88	45,63,60
भारित	--	--	--	--
कुल योग				
दत्तमत	1,13,33,18,71	28,41,83,28	1,00,03,96,27	33,86,75,19
भारित	17,95,28,31	13,06,44,33	16,36,07,25	11,82,36,61
कुल योग	1,31,28,47,02	41,48,27,61	1,16,40,03,52	45,69,11,80

का सारांश

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय
आधिक्य

बचत/आधिक्य का प्रतिशत

बचत		आधिक्य		बचत/आधिक्य का प्रतिशत			
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	2010-11		2009-10	
			(हजार ₹ में)	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
6	7	8	9	10		11	
7,27,06	--	--	12,07,14,36	-23.36	+40918.73	-17.15	+183078.14
--	--	--	(12,07,14,36,187)	--	--	--	--
2,91,78	29,84,36	--	--	-11.31	-34.93	-14.48	-56.10
2	--	--	--	-100.00	--	--	--
30,75,50	1,52,85	--	--	-9.73	-8.49	-13.50	-1.51
--	--	--	--	--	--	--	--
15,52,51	2,92,85	--	--	-13.57	-26.46	-9.40	-9.42
--	--	--	--	--	--	--	--
1,61,32	--	--	2,99,69	-1.83	+100.00	-3.10	+100.00
6,93	--	--	(2,99,68,645)	-17.58	--	-0.26	--
96,19,86	1,18,10,59	--	--	-19.66	-45.32	-19.71	-54.54
--	--	--	--	--	--	--	--
44,20,65	43,64,65	--	--	-31.77	-48.89	-18.95	-38.69
--	--	--	--	--	--	--	--
13,57,32,12	7,22,37,57	28,09,68	12,67,29,48	-11.72	+19.17	-11.77	+1.60
1,59,21,91	1,24,07,72	85	--	-8.87	-9.50	-10.23	+4.66
15,16,54,03	8,46,45,29	28,10,53	12,67,29,48	-11.33	+10.14	-11.57	+2.49

वर्षों के अनुदान एवं प्रसारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वस्तुवर्षों (व्यौरवार परिशिष्ट-II में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है। शेष व्यय के आंकड़े विल लेख में दर्शाये गये हैं।

विनियोग लेख के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 5,36,71,44 हजार सम्मिलित नहीं हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2010-11 में व्यय किये गये थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हो पायी थी। इस व्यय के ब्यौरे परिशिष्ट-I में दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, कुल व्यय में पूर्व वर्षों के आपत्तिगत बही उचन के समायोजन के ₹ 1,18,61,34 हजार सम्मिलित है जिसमें से ₹ 1,14,32,03 हजार राजस्व तथा ₹ 4,29,31 हजार पूंजीगत अनुमान से सम्बन्धित है। आपत्तिगत बही उचन के समायोजन को अनुदानों के उपशीर्षों जिससे यह सम्बन्धित है के अन्तर्गत भी पूर्ण ₹ में दर्शाया गया है।

विनियोग लेख के सारांश में राजस्व प्रसारित अनुमान में अनुदान संख्या 15 के अन्तर्गत आधिक्य दिखाया गया है। यह आधिक्य पूर्व वर्षों के आपत्तिगत बही उचन के समायोजन के फलस्वरूप प्रसृत हुए हैं। इसलिए इन आधिक्यों को आधिक्य के नियमानुर्कलन तालिका में नहीं दिखाया गया है।

12-वैकिसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

10-पुलिस एवं जेल

राजस्व प्रमाण

निम्नलिखित प्रसारित विनियोग के अन्तर्गत भी व्याधिक्य का नियमानुर्कलन अपेक्षित है-

5. 29-औद्योगिक विकास
4. 25-खाद्य
3. 22-लोक निर्माण कार्य
2. 20-सिंचाई एवं बाढ़
1. 17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान

पूंजीगत प्रमाण

2. 21-ऊर्जा
1. 20-सिंचाई एवं बाढ़

राजस्व प्रमाण

निम्नलिखित दलगत अनुदानों में आधिक्य का नियमानुर्कलन अपेक्षित है:-

विनियोग लेख का सारांश (कमरा):

विनियोग लेख का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेख के अनुसार 2010-2011 के कुल व्यय इस अवधि के वित्त लेख में प्रदर्शित केल व्यय समाधान निम्नवत् है।

भारत	राजस्व	पूर्जीगत	राजस्व	पूर्जीगत
-------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------

विनियोग लेख के अनुसार केल व्यय	16,36,07,25	11,82,36,61	1,00,03,96,27	33,86,75,19
--------------------------------	-------------	-------------	---------------	-------------

घटाइये-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित केल व्यय	--	--	18,96,69	14,74,25,46
---	----	----	----------	-------------

वित्त लेख के विवरण संख्या 10 में दर्शाया गया केल निवल व्यय	16,36,07,25	11,82,36,61	99,84,99,58	19,12,49,73
--	-------------	-------------	-------------	-------------

ऊपर दी गई व्ययियों का विवरण परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।



गई थी। इन मानदण्डों में यह अपेक्षित है कि हम समुचित आश्वासन प्राप्त करने, कि लेख यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुसार की स्वतन्त्र संगठन है जिनका अपना अलग संगर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाइनें तथा प्रबन्धन ढांचा है। से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतन्त्र रूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए (ले 0 एवं डक0) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन के तैयार करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए भरे उत्तरदायित्व का निर्वह महालेखाकार तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। लेखाओं संयवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तथा संयवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार अथवा विभाग मुख्यालय: प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा इन लेखाओं उत्तराखण्ड सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा गए है।

प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाचवरी, चालानों तथा उत्तराखण्ड सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए की शर्तों) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार भरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा विनियोग लेख, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सरकार के वित्त लेख इस वर्ष की प्राप्ति एवं सवितरणों के लेखों सहित वित्तीय स्थिति 2011 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेख प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की गुलना में 31 मार्च, वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेख



भारत के निर्यातक - महालेखापरीक्षक
(विनोद राय)

दिनांक:
स्थान:


इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तराखण्ड सरकार पर भरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

है।

को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च, 2011 संविधान अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग करता है कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेख, भारत के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए भरे अधिकांशियाँ द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, तथा लेखाओं की

की नमूना आधार पर जाँच शामिल है।

एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा किए गए प्रकटनों से संगत साक्ष्य सामग्री सिध्दाकथन से मुक्त है, के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें।



अनुदान सं० ०१ विधान सभा

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

दत्तमत-

मूल	20,10,96		
		20,10,96	16,48,35
पूरक	00		-3,62,61
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			3,66,62

प्रभारित-

मूल	87,35		
		87,35	50,21
पूरक	00		-37,14
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			41,83

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	50,00		
		1,50,00	1,50,00
पूरक	1,00,00		00
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			00

टिप्पणियाँ एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 3,62.61 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 3,66.62 लाख अभ्यर्पित किए गए।
(ii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

- (1) 2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
101 विधान सभा

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
03	विधान सभा			
	मूल	12,64.24		
	पुनर्वि०	-3,85.09	8,79.15	8,83.16
				+4.01

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,00,500 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27-09-2010, 26-11-2010 एवं 15-03-2011 को ₹ 47.00 लाख की कमी का कारण यात्रा व्यय में बचत होना सूचित किया गया। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3,38.09 लाख के अभ्यर्पण मुख्यतः वेतन, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, मानदेय, कार्यालय व्यय, विद्युत व्यय, जलकर एवं टेलीफोन देयकों में बचत के कारण किए गए।

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
	02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
103	विधान मण्डल सचिवालय			
03	विधान सभा सचिवालय			
	मूल	7,46.72	7,65.19	7,65.19
	पुनर्वि०	18.47		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27-09-2010, 26-11-2010 एवं 15-03-2011 को ₹ 47.00 लाख की वृद्धि का कारण वेतन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, गाड़ियों का रख-रखाव, मजदूरी एवं लघु निर्माण कार्यों के अन्तर्गत कम प्रावधान आवंटित होना सूचित किया गया। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 28.53 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मंदों में हुई बचत के कारण किए गए।

प्रभारित—

(iv) ₹ 37.14 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 41.83 लाख अभ्यर्पित किए गए।

(v) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
	02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
101	विधान सभा			
03	विधान सभा			
	मूल	87.35	45.52	50.21
	पुनर्वि०	-41.83		+4.69

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 41.83 लाख की कमी का कारण वेतन, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, मानदेय, कार्यालय व्यय, विद्युत व्यय, टेलीफोन व्यय एवं जलकर में हुई बचत सूचित किया गया।

पूजीगत:

दत्तमत—

(vi) पूजीगत अनुदान के अन्तर्गत ₹ 1,50.00 लाख के कुल प्रावधान वर्ष के दौरान उपयोग कर लिए गए।

अनुदान सं० 02 राज्यपाल

कुल लेखाधीन	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(हजार ₹ में)
-------------	-------------	---------------	------------	---------	--------------

राजस्व :

2012 राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

प्रभावि-	मूल	पूरक	वर्ष में अभ्यर्षित धनराशि (मार्च, 2011)	राजस्व-	प्रभावि-
4,69.45	13,00	4,82.45	4,20.51	61.94	62.55

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

- (i) ₹ 61.94 लाख की अतिरिक्त बचत में से ₹ 62.55 लाख अभ्यर्षित किए गए।
- (ii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

कम	लेखाधीन	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(लाख ₹ में)
----	---------	-------------	---------------	------------	---------	-------------

(1) 2012 राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

090 सचिवालय

03 आखिष्ठान व्यय

मूल	पूरक	पुनर्वि०	1,98.99	1,98.98	-0.01
2,41.85	5.50	-48.36			

प्राधान्य में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-05-2010 को ₹ 6.65 लाख की कमी कायालय व्यय लेखन सामग्री एवं छपाई, यन्त्र एवं संयन्त्र, अन्य व्यय, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं अवकाश यात्रा रियायत में हुई बचत के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 30-11-2010 को ₹ 0.80 लाख एवं दिनांक 22-03-2011 को ₹ 0.60 लाख पुनर्विनियोजित किए गए जो कि स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के अन्तर्गत और अधिक निधि की आवश्यकता के कारण थे। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 43.11 लाख अभ्यर्षित किए गए जो कि आखिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण थे।

(2) 101 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों की परिलक्षितियाँ एवं भत्ते

03 राज्यपाल

मूल	पूरक	पुनर्वि०	14.70	13.20	13.20	0.00
-1.50						

प्राधान्य में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-05-2010 को ₹ 1.50 लाख की कमी मशीन और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र में हुई बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(3)	103 पारिवारिक स्थापना 03 कर्मचारीवर्ग			
	मूल	1,06.59		
	पूरक	2.00	89.46	89.46
	पुनर्वि०	-19.13		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10-09-2010, 30-11-2010 एवं 22-03-2011 को ₹ 4.30 लाख की कमी महंगाई वेतन, कार्यालय व्यय एवं अवकाश यात्रा रियायत में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 14.83 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, यात्रा व्यय, स्थानान्तरण यात्रा व्यय एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।			
(4)	105 चिकित्सा सुविधायें 03 चिकित्सा सम्बन्धी व्यय			
	मूल	33.82		
	पूरक	5.50	35.76	35.76
	पुनर्वि०	-3.56		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह सितम्बर 2010 में प्रावधान में वृद्धि निम्न मदों के अन्तर्गत निधि की आवश्यकता के कारण की गई—			
	➤ ₹ 1.00 लाख यात्रा व्ययों के लिए			
	➤ ₹ 1.50 लाख चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए			
	➤ ₹ 3.00 लाख औषधि तथा रसायन के लिए			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-05-2010 एवं 22-03-2011 को ₹ 0.80 लाख की कमी चिकित्सा व्यय एवं अवकाश यात्रा व्ययों में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.76 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते एवं कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(5)	107 संविदा भत्ते से व्यय 03 संविदा भत्ते से व्यय			
	मूल	7.60		
			4.24	4.24
	पुनर्वि०	-3.36		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15-11-2010 को ₹ 3.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.36 लाख की कमी गाड़ियों के रख-रखाव एवं पेट्रोल आदि की खरीद एवं अन्य व्ययों में बचत के कारण की गई।			
(6)	800 अन्य व्यय 04 राज्य भवन की स्वच्छता			
	मूल	12.53		
			11.31	11.31
	पुनर्वि०	-1.22		0.00
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.22 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत, अन्य भत्ते तथा अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			

प्राधान्य में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-05-2010 को ₹ 8.85 लाख की वृद्धि कायम प्रयोगार्थ स्टाफ कार्यों/मोटर गाड़ियों के कच है वृद्धि निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.01 लाख के अस्पष्ट उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण किए गए।

क्र.सं.	विवरण	कूल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(लाख ₹ में)
(3)	800 अन्य व्यय					
	03 राज्यपाल के लिए कार का कच	मूल	10.00			
		पुनर्वि0	8.84			
			18.84			
					18.84	
						0.00

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद्

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2013 मंत्रिपरिषद्

दत्तमत-

मूल	25,88,54			
		25,88,54	25,69,61	-18,93
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)				43,03

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 16,00,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 18.93 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 43.03 लाख अभ्यर्पित किए गए।
- (ii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

(1)	2013 मंत्रि परिषद्			
	00			
	101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन			
	04 भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी			
	मूल	8.80		
			4.01	4.01
	पुनर्वि०	-4.79		0.00

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.79 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में बचत के कारण किए गए।

(2)	108 दौरा खर्च			
	03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का यात्रा व्यय			
	मूल	70.01		
			51.74	60.11
	पुनर्वि०	-18.27		+8.37

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08-11-2010 को ₹ 15.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.27 लाख की कमी यात्रा व्यय एवं मानदेय में हुई बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(3)	800 अन्य व्यय			
	03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय			
	मूल	2,51.50		
	पुनर्वि०	-9.59		
			2,41.91	2,41.91
				0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21-03-2011 को ₹ 14.25 लाख की वृद्धि गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 23.84 लाख अभ्यर्पित किए गए जो कि अधिष्ठान व्ययों में बचत होने के कारण थे।

उपरोक्त क्रम सं० (2) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2013	मंत्रि परिषद्			
	00			
	105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
	04 मंत्रियों द्वारा मुख्यमन्त्री की सहमति से अनुदान			
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	-50.00		
			0.00	0.00
				0.00

दिनांक 07-02-2011, 01-03-2011, 21-03-2011 एवं 31-03-2011 को पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान में कमी अन्य व्ययों के अन्तर्गत निधि के अप्रयुक्त रहने के कारण की गई।

(iv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2013 मंत्रि परिषद्			
	00			
	101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन			
	03 मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव के वेतन एवं अन्य अनुमन्य भत्तों			
	मूल	1,68.30		
	पुनर्वि०	8.76		
			1,77.06	1,77.61
				+0.55

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 55,340 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 07-02-2011 को ₹ 5.75 लाख एवं दिनांक 01-03-2011 को ₹ 4.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं अन्य भत्तों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.99 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के उक्त मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

(2)	104 मनोरंजन तथा सत्कार भत्ते			
	03 मनोरंजन तथा सत्कार खर्च			
	मूल	39.93		
	पुनर्वि०	30.86		
			70.79	68.97
				-1.82

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08-11-2010 को ₹ 15.00 लाख एवं दिनांक 07-02-2011 को ₹ 16.00 लाख की वृद्धि मनोरंजन तथा सत्कार खर्च के अन्तर्गत निधि के कम आवंटन के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.14 लाख के अभ्यर्पण इसी मद के अन्तर्गत बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त कम सं० (2) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

कम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
	2013 मंत्रि परिषद्			
	00			
	105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
	03 मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
	मूल	20,00.00	20,00.00	20,17.01
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के कमशः			+17.01
	₹ 14,80,645 एवं 2,80,000 भी सम्मिलित है।			

अनुदान सं० ०४ न्याय प्रशासन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2014 न्याय प्रशासन			
दत्तमत-			
मूल	66,45,24		
पूरक	32,33,65	98,78,89	68,87,42
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			-29,91,47
प्रभारित-			
मूल	28,40,02		
पूरक	35,00	28,75,02	15,26,32
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			-13,48,70
पूँजीगत :			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत-			
मूल	20,00,00		
पूरक	2,00,00	22,00,00	18,14,09
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			-3,85,91
			3,91,67

टिप्पणियाँ एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 29,91.47 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 23,65.38 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 29,91.47 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 32,33.65 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2014 न्याय प्रशासन 00 105 सिविल और सेशन न्यायालय			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश			
	मूल	39,08.11		
	पूरक	8,59.50	40,10.98	39,99.82
	पुनर्वि०	-7,56.63		-11.16
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 3,92,716, ₹ 31,025 तथा ₹ 1,20,607 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 8,59.50 लाख की वृद्धि सिविल और सेशन न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में वर्ष के दौरान पुनर्विनियोजन तथा अभ्यर्पण द्वारा ₹ 7,56.63 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।			
(2)	04 पारिवारिक न्यायालय			
	मूल	1,79.71		
	पूरक	76.50	2,15.81	2,15.53
	पुनर्वि०	-40.40		-0.28
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 72,335 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 76.50 लाख की वृद्धि पारिवारिक न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24-03-2011 को ₹ 21.65 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि में आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 31-03-2011 को ₹ 62.05 लाख अभ्यर्पित किए गए जो कि अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण थे।			
(3)	06 रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय			
	मूल	21.90		
	पूरक	11.00	13.65	13.62
	पुनर्वि०	-19.25		-0.03
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 11.00 लाख की वृद्धि रेलवे मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 19.25 लाख की कमी रेलवे मजिस्ट्रेट न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।			
(4)	108 दण्ड न्यायालय			
	03 नियमित अधिष्ठान			
	मूल	8,40.75		
	पूरक	1,11.55	7,33.09	7,26.88
	पुनर्वि०	-2,19.21		-6.21
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 36,951 तथा ₹ 690 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,11.15 लाख की वृद्धि दण्ड न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,19.21 लाख की कमी दण्ड न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(5)	114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल) 03 महाधिवक्ता मूल	3,65.02	3,25.04	3,32.78	+7.74
	पुनर्वि०	-39.98			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 8,14,739 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 39.98 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।				
(6)	04 विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता मूल	4,04.10	3,68.38	3,69.40	+1.02
	पुनर्वि०	-35.72			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 77,380 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 35.72 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।				
(7)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3,69.41	12,91.92	6,75.45	-6,16.47
	पूरक	21,58.00			
	पुनर्वि०	-12,35.49			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 21,58.00 लाख की वृद्धि निम्न कारणों से की गई— <ul style="list-style-type: none"> ➤ फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना हेतु ₹ 1,13.60 लाख 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार निम्न कार्यालयों के भी अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किए गए। ➤ प्रांत:कालीन एवं सायंकालीन न्यायालय हेतु ₹ 8,56.00 लाख ➤ लोक अदालत के अधिष्ठान हेतु ₹ 34.26 लाख ➤ कानूनी सहायता हेतु ₹ 68.54 लाख ➤ न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ₹ 85.60 लाख ➤ सरकारी अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण हेतु ₹ 51.40 लाख ➤ विरासत भवनों के अनुरक्षण हेतु ₹ 1,54.00 लाख ➤ राज्य न्यायिक अकादमी के अधिष्ठान हेतु ₹ 3,00.00 लाख ➤ ए०डी०आर० केन्द्र की स्थापना हेतु ₹ 3,53.20 लाख ➤ न्यायालय प्रबन्धक की स्थापना हेतु ₹ 1,41.40 लाख 				
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 12,35.49 लाख की कमी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।				
(8)	04 लोक सेवा अधिकरण मूल	1,68.22	1,58.91	1,58.86	-0.05
	पुनर्वि०	-9.31			

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9.31 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, विद्युत देय, जल कर तथा लेखन सामाग्री में हुई बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

(9)	05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
	मूल	57.80		
	पूरक	1.80	47.25	47.21
	पुनर्वि०	-12.35		-0.04

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1.80 लाख की वृद्धि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 12.35 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, गाड़ियों का रख-रखाव एवं पेट्रोल का क्रय, विद्युत देय, जल कर एवं लेखन सामाग्री में हुई बचत के कारण की गई।

(10)	06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण			
	मूल	68.27		
	पूरक	1.30	53.54	53.50
	पुनर्वि०	-16.03		-0.04

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1.30 लाख की वृद्धि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 16.03 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।

(11)	07 महाप्रशासक कार्यालय, नैनीताल			
	मूल	19.59		
			10.76	10.72
	पुनर्वि०	-8.83		-0.04

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.83 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

(12)	08 अधिवक्ता कल्याण कोष में कोषागार की प्राप्तियों के समतुल्य अन्तरण			
	मूल	20.02		
			16.57	16.55
	पुनर्वि०	-3.45		-0.02

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.45 लाख की कमी अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2014 न्याय प्रशासन			
	00			
	105 सिविल और सेशन न्यायालय			

आधिव्यय (+)
व्यय (-)
(लाख ₹ में)

कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय (+)
70.00	0.00	+0.03
मूल		
पुनर्वित्त		
-70.00	0.03	

05 न्यायिक भवनों का प्रतिकर

वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आधिनगत बड़ी उच्च समायोजन के ₹ 2,520 भी सम्मिलित है। अपर्युक्त रहे।

800 अन्य व्यय		
10 लोक अदालत		
मूल		
36.31	0.00	0.00
पुनर्वित्त		
-36.31	0.00	0.00

(2)

12 राज्य विधिक सहायता निधि

वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अपर्युक्त रहे।

800 अन्य व्यय		
मूल		
1.00	0.00	0.00
पुनर्वित्त		
-1.00	0.00	0.00

(v) आधिव्यय निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

2014 न्याय प्रशासन

800 अन्य व्यय		
09 उत्तराखण्ड न्यायिक अकादमी		
मूल		
1,15.03	2,67.61	-0.53
पूरक		
14.00	2,67.08	
पुनर्वित्त		
1,38.58		

प्रावधान में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 14.00 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के आधिव्यय में की गई है।

प्रावधान में पुनर्वित्तियोजन द्वारा दिनांक 25-05-2010 को ₹ 2,50.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,11.42 लाख के अन्तर्गत आधिव्यय व्ययों के विभिन्न मदों के अन्तर्गत वृद्धि बचत के कारण किए गए।

प्रभारित-

- (vi) ₹ 13,48.70 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 13,75.53 लाख अभ्यर्पित किए गए।
 (vii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
2014	न्याय प्रशासन			
	00			
102	उच्च न्यायालय			
03	उच्च न्यायालय			
	मूल	28,40.00		
	पूरक	35.00	14,99.47	15,26.32 - +26.85
	पुनर्वि०	-13,75.53		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 808, ₹ 342 तथा ₹ 67,63,360 भी सम्मिलित है।

अनुपूरक विनियोग द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 35.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय हेतु मोटर गाड़ियों के कय तथा अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु किए गए।

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 13,75.53 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत, जलकर, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, स्टॉफ कार/मोटर गाड़ियों का कय, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद, मशीन और सज्जा/उपकरण और सयन्त्र तथा अवकाश यात्रा रियायत में हुई बचत के कारण की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (viii) ₹ 3,85.91 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 3,91.67 लाख अभ्यर्पित किए गए।
 (ix) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
	60 अन्य भवन			
051	निर्माण			
03	न्यायिक कार्य हेतु भवनों का निर्माण			
	मूल	20,00.00		
	पूरक	2,00.00	18,08.33	18,14.09 +5.76
	पुनर्वि०	-3,91.67		

माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त प्रावधान धारचुला (पिथौरागढ़) तथा पौड़ी में न्यायालय की स्थापना के लिए भूमि कय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण थे।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3,91.67 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 05 निर्वाचन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2015 निर्वाचन			
दत्तमत-			
मूल	9,67,24		
	10,67,24	9,63,91	-1,03,33
पूरक	1,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2011)			1,02,76

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,03.33 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,02.76 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 1,03.33 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 1,00.00 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2015 निर्वाचन			
	00			
	103 निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण			
	05 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय (50% के०पो०)			
	मूल	3,84.71		
		3,05.68	3,05.11	-0.57
	पुनर्वि०	-79.03		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 17,269 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10-03-2011 को ₹ 32.50 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 10-03-2011 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19.50 लाख एवं दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण द्वारा ₹ 92.03 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।			
(2)	105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
	03 सामान्य निर्वाचन			
	मूल	1,11.05		
		1,09.59	46.09	-63.50
	पुनर्वि०	-1.46		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.46 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः यात्रा भत्ता, मानदेय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन, विज्ञापन एवं कम्प्यूटर अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
	05 उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा			
	मूल	45.10		
			3.92	3.92
	पुनर्वि०	-41.18		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण द्वारा वर्ष के दौरान ₹ 41.18 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

(iv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2015 निर्वाचन			
	00			
	103 निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	4,00.00		
	पूरक	1,00.00	4,99.01	5,62.51
	पुनर्वि०	-0.99		+63.50

माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,00.00 लाख के प्राप्त अनुपूरक अनुदान मतदाता पहचान पत्रों के प्रकाशन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण थे।

दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण द्वारा ₹ 0.99 लाख की कमी कार्यालय व्ययों एवं अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

(2)	03 विधान सभा एवं संसद			
	मूल	26.10		
			46.28	46.28
	पुनर्वि०	20.18		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10-03-2011 को ₹ 26.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.82 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त क्रम सं० (1) के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं0 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2029 भू-राजस्व			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075 विविध सामान्य सेवाएं			
2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			
दत्तमत-			
मूल	3,55,03,45		
		3,96,87,97	-29,51,90
पूरक	41,84,52		
वर्ष मे अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			10,55,22
प्रभारित-			
मूल	1,43,08		
		1,68,76	-19,58
पूरक	25,68		
वर्ष मे अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,86,46,90 हजार नहीं लिये गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-			
मूल	37,50,02		
		82,65,96	-43,93,36
पूरक	45,15,94		
वर्ष मे अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			1,15,47

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 29,51.90 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 10,55.22 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 29,51.90 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 41,84.52 लाख अत्यधिक सिद्ध हुए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

(5)	103 भू-अभिलेख			
	03 जिला अधिष्ठान			
	मूल	66,91.86		
	पूरक	3,42.00	68,13.77	68,30.20 +16.43
	पुनर्वि०	-2,20.09		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 14,45,080, ₹ 1,63,622 तथा ₹ 1,03,259 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,42.00 लाख की वृद्धि भू-अभिलेख विभाग के कर्मियों के वेतन, महंगाई भत्ता, कार्यालय प्रयोगार्थ स्टॉफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्य एवं चिकित्सा व्यय पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(6)	04 कृषि गणना (100% के०स०)			
	मूल	51.69		
	पूरक	11.00	49.34	40.52 -8.82
	पुनर्वि०	-13.35		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 25,407 एवं ₹ 28,516 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 11.00 लाख की वृद्धि कृषि गणना मुख्यालय के लिए फर्नीचर एवं उपकरण तथा अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(7)	800 अन्य व्यय			
	03 खेतों की चकबन्दी			
	मूल	4,50.02		
	पूरक	1,00.00	5,37.65	5,74.42 +36.77
	पुनर्वि०	-12.37		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 36,18,731 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि खेतों की चकबन्दी जिला अधिष्ठान के कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त क्रम सं० (1) से (7) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचतों के कारण की गई।

(8)	2053 जिला प्रशासन			
	00			
	093 जिला स्थापनायें			
	03 कलकटरी स्थापना			
	मूल	60,09.26		
	पूरक	6,19.50	62,01.39	62,10.64 +9.25
	पुनर्वि०	-4,27.37		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 8,48,605, ₹ 62,694, ₹ 4,799 तथा ₹ 22,771 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 6,19.50 लाख की वृद्धि जिला कलकटरी स्थापना के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

कम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(लाख ₹ में)
(9)	094 अन्य स्थापनायें					
	03 राजस्व प्रॉबिस एवं मूलेख प्रशिक्षण केंद्र	मूल	42.83			
		पुनर्वि०	-6.30			
		वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2009-10 के आपत्तिगत बड़ी उन्नत समायोजन के क्रमशः ₹ 1,36,618 तथा ₹ 1,81,666 भी सम्मिलित है।				
			36.53			
			39.68			
						+3.15
(10)	101 आयुक्त					
	03 मुख्य कार्यालय	मूल	2,21.53			
		पूरक	3.00			
		पुनर्वि०	-7.74			
		वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बड़ी उन्नत समायोजन के क्रमशः ₹ 1,23,793 भी सम्मिलित है।				
			2,16.79			
			2,15.42			
						-1.37
(11)	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें					
	00					
	003 प्रशिक्षण					
	03 राज्य प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल	मूल	4,01.90			
		पूरक	11.50			
		पुनर्वि०	-58.92			
		वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बड़ी उन्नत समायोजन के ₹ 37,69,349 भी सम्मिलित है।				
			3,54.48			
			3,91.91			
						+37.43
(12)	104 सतकवा					
	04 सतकवा अधिष्ठान	मूल	3,17.07			
		पूरक	75.53			
		वास्तविक व्यय में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 75.53 लाख की वृद्धि लोक आयुक्त संगठन के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
			3,92.60			
			3,84.66			
						-7.94

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(13)	105 विशेष जांच आयोग			
	03 राज्य आयोग और समितियां			
	मूल	30.45		
			21.00	
			31.75	+10.75
	पुनर्वि०	-9.45		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 6,71,546 भी सम्मिलित है।

(14)	107 होमगार्ड्स			
	04 भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किए जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत)			
	मूल	4,15.90		
			2,98.50	
			3,05.14	+6.64
	पुनर्वि०	-1,17.40		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 6,58,370 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-02-2011 को ₹ 94.86 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 22.54 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

(15)	800 अन्य व्यय			
	13 सूचना आयोग की स्थापना			
	मूल	1,11.41		
	पूरक	5.00	1,02.19	1,05.72
	पुनर्वि०	-14.22		+3.53

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(16)	2075 विविध सामान्य सेवायें			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	10 अशोक चक्र/वीर चक्र/जीवन रक्षा मेडल से विभूषित व्यक्तियों को एकमुश्त पुरस्कार			
	मूल	2,00.00		
			1,58.21	
			1,66.06	+7.85
	पुनर्वि०	-41.79		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 33,205 एवं ₹ 203 भी सम्मिलित है।

(17)	2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			
	05 आपदा राहत निधि			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	1,47,00.00		
			1,71,12.02	
			1,63,10.48	-8,01.54
	पूरक	24,12.02		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,09,51,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 24,12.02 लाख की वृद्धि राष्ट्रीय आपदा राहत निधि हेतु 25% राज्यांश की आवश्यकता के कारण की गई।

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे थे।

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	कुल
(3)	2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 05 आपदा राहत निधि 800 अन्य व्यय 04 आपदा राहत हेतु अनुदान	1,00.00	1,00.00	2,00.00
(2)	05 राष्ट्रीय शक्ति संस्थान प्रबन्धन कार्य मूल	2,00.00	2,00.00	4,00.00
(1)	2029 शै-राजस्व 00 103 शै-आभिलेख 01 कन्द्रीय आयाजनागत/कन्द द्वारा पुरोनिधानित योजना	15,00.00	15,00.00	30,00.00

(iv) दृष्टिगत जहाँ सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे:

उपरोक्त कम सं. (6), (12), (17) से (20) के अन्तर्गत अन्तिम बचत एवं कम सं. (1), (4), (13), (15) एवं (16) के अन्तर्गत अन्तिम आधिव्यय के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

उपरोक्त कम सं. (11) से (13) एवं (15) से (20) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को अत्यल्प आधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यों के वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय एवं महंगाई वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्र.सं.	विवरण	मूल	पूरक	कुल
(20)	12 जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	0.05	50.00	50.05

प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 60.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्र.सं.	विवरण	मूल	पूरक	कुल
(19)	09 जिला आपातकालीन परिवहन कन्दों का संचालन	50.00	60.00	1,10.00

क्र.सं.	विवरण	मूल	पूरक	कुल
(18)	06 दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास	1,00.00	1,00.00	2,00.00

(लाख ₹ में)
बचत (-)
आधिव्यय (+)

कम
शे.सं.

कुल अनुदान वास्तविक व्यय

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(4)	05 आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण			
	मूल	10.25	10.25	0.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			-10.25

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें			
	00			
	106 सिविल रक्षा			
	03 स्थापना (25% केन्द्र पोषित)			
	मूल	46.76		
			40.11	2,14.68
	पुनर्वि०	-6.65		+1,74.57

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 1,74,19,260 एवं ₹ 18,124 भी सम्मिलित है।

(2)	107 होमगार्ड्स			
	03 सामान्य अधिष्ठान			
	मूल	13,31.47		
			14,22.92	14,24.36
	पुनर्वि०	91.45		+1.44

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,44,700 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-02-2011 ₹ 94.86 लाख की वृद्धि मजदूरी के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.41 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

(3)	2075 विविध सामान्य सेवाएं			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	09 अन्य प्रकीर्ण प्रतिकर (पिथौरागढ़ में लेप्स पी.एल.ए.)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	4,27.29
	पुनर्वि०	0.00		+4,27.29

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 3,54,525 एवं ₹ 1,91,308 भी सम्मिलित है।

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वार्षिक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(लाख ₹ में)
(4)	2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 05 आपदा राहत निधि 800 अन्य व्यय 10 आपदा सूचीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र	1,10.62	1,70.62	+60.00		
	पूँज	1,00.00				
	पूरक	10.62				
	प्राधान्य में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10.62 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(vi)	दंडित जहां व्यय/अध्याधिक्य आपत्तिगत बड़ी उचन के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:					

(1)	2029 मू-राजस्व 00 101 संग्रहण प्रभार 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पर्यनिर्धारित योजना	0.00	0.00	+1.73		
	मूल	0.00				
	पूरक	0.00				
	पुनर्वित्त	0.00				
	वार्षिक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बड़ी उचन समायोजन के ₹ 1,72,917 है।					

(2)	102 सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य 04 सीमान्त सर्वेक्षण व्यय	0.00	0.00	+0.02		
	मूल	0.00				
	पूरक	0.00				
	पुनर्वित्त	0.00				
	वार्षिक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बड़ी उचन समायोजन के ₹ 1,812 है।					

(3)	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 00 003 प्रशिक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पर्यनिर्धारित योजना	0.00	0.00	+0.20		
	मूल	0.00				
	पूरक	0.00				
	पुनर्वित्त	0.00				
	वार्षिक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बड़ी उचन समायोजन के ₹ 20,128 है।					

4)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पर्यनिर्धारित योजना	3.06	27.43	+24.37		
	मूल	3.06				
	पूरक					
	पुनर्वित्त					
	वार्षिक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2004-05 के आपत्तिगत बड़ी उचन समायोजन के क्रमशः ₹ 15,600 एवं ₹ 26,27,293 भी सम्मिलित है।					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(5)	03 विधिक अधिकारियों का अधिष्ठान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	57.39
	पुनर्वि०	0.00		+57.39
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 16,96,697 एवं ₹ 40,43,127 है।			

(6)	14 जनगणना योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.22
	पुनर्वि०	0.00		+0.22
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 21,745 है।			

(7)	2075 विविध सामान्य सेवायें			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	11 वक्फों, न्यासों और धर्मस्थों को देय वार्षिकी में वृद्धियां			
	मूल	0.10	0.10	21.43
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 1,680 एवं ₹ 21,00,000 भी सम्मिलित है।			

(8)	2245 प्राकृतिक विपतियों के कारण राहत			
	05 आपदा राहत निधि			
	800 अन्य व्यय			
	03 आपदा राहत समिति			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	13.08
	पुनर्वि०	0.00		+13.08
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 13,08,000 है।			

प्रभारित-

- (vii) ₹ 19.58 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
(viii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
2070	अन्य प्रशासनिक सेवायें			
	00			
	104 सर्तकता			
	05 लोक आयुक्त संगठन			
	मूल	1,43.06		
			1,68.74	1,49.17
	पूरक	25.68		-19.57

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 25.68 लाख की वृद्धि वेतन, अन्य भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा व्यय एवं स्टॉफ कारों/मोटर गाड़ियों के कय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(ix) ₹ 43,93.36 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,15.47 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(x) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
	60 अन्य भवन			
	051 निर्माण			
	09 पटवारी चौकी का निर्माण			
	मूल	1,50.00		
	पूरक	50.00	84.53	84.53
	पुनर्वि०	-1,15.47		0.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि पटवारी चौकी के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,15.47 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(2)	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए			
	मूल	30,00.00		
			60,00.00	22,81.40
	पूरक	30,00.00		-37,18.60

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 30,00.00 लाख की वृद्धि वरुणावत पर्वत, उत्तरकाशी के उपचार हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3)	03 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के कार्यालय के भवन निर्माण/जीर्णोद्धार/भू-अधिग्रहण प्रतिकर			
	पूरक	2,00.00	2,00.00	6.95

माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रावधान राज्य सूचना आयोग के भवन का निर्माण/नवीनीकरण तथा भूमि अधिग्रहण के सरचार्ज के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किया गया।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत क्रम सं० (2) एवं (3) के शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 07 वि. कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

कुल अनुदान / वार्षिक व्यय
 आधिक्य (+)
 बचत (-)
 (हजार ₹ में)

मुख्य
 लेखाधीन

राजस्व :

- 2030 स्टाफ पंजीकरण
- 2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर
- 2045 बरतियाँ तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क
- 2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं
- 2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन
- 2049 ब्याज अदायगियां
- 2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं
- 2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन
- 2059 लोक निर्माण कार्य
- 2071 ध्वजन तथा अन्य सेवा निर्वाह हित लाभ
- 3451 सचिवालय - आर्थिक सेवाएं
- 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
- 3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुद्देशन

दलमत-

शुल	पूरक	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)
18,18,58.83	54,62.89	18,73,21.72
		17,66,87.31
		-1,06,34.41

प्रभावि-

शुल	पूरक	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)
17,15,93.05	30,47.00	17,46,40.05
		16,05,65.17
		-1,40,74.88

अनुदान के राजस्व दलमत अनुभाग में ₹ 5.23 हजार नहीं लिये गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अभिगम से व्यय किये गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूजीगत:

- 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परियोजना
- 4216 आवास पर पूजीगत परियोजना
- 4515 अन्य ग्राम विकास कार्यकर्मों पर पूजीगत परियोजना
- 6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण
- 6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अभिगम
- 6075 विविध सामान्य सेवाएं हेतु कर्ज
- 7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज
- 7615 विविध उधार

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
दत्तमत—			
मूल	55,31,89		
		67,09,70	
पूरक	11,77,81	58,31,75	-8,77,95
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			3,23,18
प्रभारित—			
मूल	12,99,63,00		
		12,99,63,00	
पूरक	00	11,80,34,16	-1,19,28,84
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			99,19,75

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,46,83 हजार नहीं लिये गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 1,06,34.41 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 60,09.87 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 1,06,34.41 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 54,62.89 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2030 स्टांप पंजीकरण			
	01 स्टांप न्यायिक			
	102 स्टांपों की बिक्री पर व्यय			
	03 न्यायिक स्टांप			
	मूल	1,00.00		
			92.76	
	पुनर्वि०	-7.24	5.34	-87.42

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2005-06 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के क्रमशः ₹ 37, ₹ 18 एवं ₹ 219 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	02 स्टाम्प न्यायिकेतर			
	101 स्टाम्पों की लागत			
	03 गैर अदालती स्टाम्प			
	मूल	2,50.00		
	पूरक	3,00.00	5,20.66	5,20.72
	पुनर्वि०	-29.34		+0.06

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,565 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3)	03 पंजीकरण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 मुख्यालय			
	मूल	56.82		
	पूरक	2.85	38.94	40.13
	पुनर्वि०	-20.73		+1.19

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,18,942 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2.85 लाख की वृद्धि वेतन एवं व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(4)	04 जिला व्यय			
	मूल	3,33.36		
	पूरक	80.00	3,32.72	3,96.42
	पुनर्वि०	-80.64		+63.70

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 80.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(5)	05 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्टाम्प पंजीकरण क्षतिपूर्ति			
	मूल	15,00.00		
	पुनर्वि०	-1,05.50	13,94.50	13,37.45
				-57.05

उपरोक्त क्रम सं० (1) से (5) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को किए गए अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए।

(6)	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
	00			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	पूरक	8,18.00		
	पुनर्वि०	-5,94.00	2,24.00	2,15.00
				-9.00

माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 8,18.00 लाख के प्रावधान वाणिज्य कर विभाग को कम्प्यूटराइज्ड किए जाने के लिए 35% राज्यांश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

दिनांक 31-03-2011 को 5,94.00 लाख के अभ्यर्पण यात्रा व्यय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, अन्य व्यय, प्रशिक्षण व्यय, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के क्रय एवं लेखन सामग्री में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(7)	03 अधिष्ठान			
	मूल	5,20.64		
	पूरक	5.00	2,81.29	2,83.03
	पुनर्वि०	-2,44.35		+1.74
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,54,046 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि गुप्त सेवा हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,44.35 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(8)	05 वाणिज्य कर सलाहकार समिति का अधिष्ठान			
	मूल	14.10		
	पुनर्वि०	-8.20	5.90	6.78
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.20 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन व्यय एवं व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए।			
(9)	06 पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा योजना			
	मूल	25.00		
	पुनर्वि०	-3.83	21.17	21.17
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.83 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(10)	101 संग्रहण प्रभार			
	03 व्यापार कर अधिष्ठान			
	मूल	36,50.03		
	पूरक	59.00	30,65.06	33,04.85
	पुनर्वि०	-6,43.97		+2,39.79
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,78,58,913, ₹ 59,37,709, ₹ 1,30,200 एवं ₹ 61,756 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 59.00 लाख की वृद्धि व्यापार कर अधिष्ठान हेतु स्टाफ कार/मोटर गाड़ियों के क्रय तथा मशीनरी एवं उपकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 6,43.97 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(11)	800 अन्य व्यय			
	05 वेट के अन्तर्गत वापसी मूल	5,00.00	1,03.90	0.00
	पुनर्वि०	-3,96.10		
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 3,96.10 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में बचत के कारण किए गए। बचत विभिन्न कारणों से होना सूचित किया गया।			
(12)	2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
	00			
	101 संग्रहण प्रभार—मनोरंजन कर			
	03 मनोरंजन कर से सम्बन्धित अधिष्ठान मूल	1,74.18	1,25.92	+0.10
	पुनर्वि०	-48.26		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 497 एवं ₹ 8,962 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 48.26 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(13)	103 संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क			
	03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय मूल	97.15	97.15	-12.22
(14)	2052 सचिवालय—सामान्य सेवायें			
	00			
	090 सचिवालय			
	03 सचिवालय अधिष्ठान मूल	51,72.14	47,04.18	-5.59
	पुनर्वि०	-4,67.96		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 29,000 एवं ₹ 26,328 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08-11-2010 को ₹ 3.00 लाख की कमी टेलीफोन व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई। दिनांक 28-03-2011 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन द्वारा की गई जो कि कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री के क्रय तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर हेतु निधि की आवश्यकता के कारण थी। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4,66.96 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(15)	04 सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार			
	मूल	5.00	2.28	+0.88
	पुनर्वि०	-2.72		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 87,937 भी सम्मिलित है।			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28-03-2011 को ₹ 2.00 लाख की कमी कार्यालय व्ययों में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.72 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(16)	05 रेसिडेन्ट कमिश्नर नई दिल्ली अधिष्ठान मूल	86.57		
	पुनर्वि०	-0.96		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.96 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
		85.61	84.80	-0.81
(17)	06 पुनर्गठन आयुक्त-लखनऊ मूल	21.18		
	पुनर्वि०	-7.24		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 7.24 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
		13.94	13.93	-0.01
(18)	08 राष्ट्रीय उत्सव एवं राजकीय भोज पर व्यय मूल	20.00		
	पुनर्वि०	-1.47		
		18.53	18.53	0.00
(19)	11 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का अधिष्ठान मूल	35.53		
	पूरक	0.80		
	पुनर्वि०	-11.00		
	माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 0.80 लाख के अतिरिक्त प्रावधान मजदूरी के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			
		25.33	25.33	0.00
(20)	12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान मूल	48.63		
	पूरक	7.00		
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7.00 लाख की वृद्धि कार्यालय प्रयोगार्थ स्टॉफ कारों/मोटर गाड़ियों के क्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
		55.63	35.70	-19.93
(21)	13 सभा सचिवों के निजी स्टाफ हेतु मानदेय मूल	26.00		
	पुनर्वि०	-8.78		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.78 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
		17.22	17.22	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(22)	091 संलग्न कार्यालय 03 राज्य सम्पति विभाग			
	मूल	12,59.31		
	पूरक	5,81.00	17,66.01	17,74.37
	पुनर्वि०	-74.30		+8.36
वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,41,070 भी सम्मिलित है। अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,81.00 लाख की वृद्धि राज्य सम्पति विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 74.30 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(23)	04 बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय			
	मूल	37.06		
			46.41	28.15
	पूरक	9.35		-18.26
अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 9.35 लाख की वृद्धि कार्यालय प्रायोगार्थ स्टॉफ कारों/मोटर गाड़ियों के कय तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(24)	05 जनपदों में विभिन्न विभागों के आवश्यकता से अधिक स्टॉफ हेतु एकमुश्त व्यवस्था			
	मूल	1,76.95	1,76.95	61.89
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,28,538 भी सम्मिलित है।				
(25)	07 कार्यालय निरीक्षणालय			
	मूल	28.88		
			24.87	24.62
	पुनर्वि०	-4.01		-0.25
वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 21,712 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को 4.01 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(26)	09 संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ की स्थापना			
	मूल	16.93	16.93	1.78
-15.15				
(27)	10 वित्त आयोग निदेशालय			
	मूल	93.59	93.59	50.57
-43.02				
(28)	11 तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ			
	मूल	5.50	5.50	0.63
-4.87				
(29)	12 वित्त आडिट प्रकोष्ठ की स्थापना			
	पूरक	5.46	5.46	2.19
माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 5.46 लाख का प्रावधान वित्त आडिट प्रकोष्ठ के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(30)	13 कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ पूरक	9.74	9.74	0.52	-9.22
	माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9.74 लाख का प्रावधान अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किया गया।				
(31)	800 अन्य व्यय 04 सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान मूल	2,00.00	2,00.00	95.82	-1,04.18
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 18,71,087, ₹ 10,816 एवं ₹ 30,000 भी सम्मिलित है।				
(32)	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन 00 095 लेखा तथा खजाना निदेशालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं पूरक	2,55.00			
	पुनर्वि०	-2,24.59	30.41	30.39	-0.02
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,55.00 लाख का प्रावधान 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में कर्मचारियों/पेंशनरों के डाटाबेस तैयार किए जाने हेतु लेखा तथा खजाना निदेशालय के व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के क्रय तथा अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,24.59 लाख की कमी व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के क्रय तथा अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।				
(33)	05 लेखा एवं हकदारी अधिष्ठान मूल पूरक पुनर्वि०	1,72.40 14.00 -20.03	1,66.37	1,66.53	+0.16
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 14.00 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान एवं लघु निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 20.03 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(34)	097 खजाना स्थापना 03 कोषागार अधिष्ठान मूल पूरक पुनर्वि०	25,41.61 1,57.00 -2,11.23	24,87.38	24,93.87	+6.49
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,73,385 एवं ₹ 5,26,438 भी सम्मिलित है। प्रावधान में माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,57.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,11.23 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(35)	04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में वेतन एवं भुगतान कार्यालय			(04)
	मूल	18.41		
	पूरक	2.20	16.47	16.43
	पुनर्वि०	-4.14		-0.04
	प्रावधान में माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2.20 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा अन्य भत्तों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(36)	098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा			
	04 सहकारी एवं पंचायतें लेखा परीक्षा			
	मूल	5,44.91		
	पूरक	16.50	5,01.26	5,01.23
	पुनर्वि०	-60.15		-0.03
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बर्ही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 1,444 एवं ₹ 5,315 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 16.50 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय, गाड़ियों का अमुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, किराया, कर एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 60.15 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(37)	05 जिला पंचायतों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन			
	मूल	1,65.00	1,65.00	1,00.70
				-64.30
(38)	2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ			
	01 सिविल			
	102 पेंशन का सांराशीकृत मूल्य			
	03 पेंशनों की राशिमूल्य (कम्युटेड वैल्यु ऑफ पेंशन)			
	मूल	2,00,00.01		
			1,16,77.88	1,16,77.87
	पुनर्वि०	-83,22.13		-0.01
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 83,22.13 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण की गई।			
(39)	104 उपादान			
	03 उपादान			
	मूल	2,10,00.01		
			1,55,68.01	1,53,03.19
	पुनर्वि०	-54,32.00		-2,64.82
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 54,32.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(40)	105 परिवार पेंशन 03 परिवार पेंशन मूल	1,00,00.01	66,80.01	66,80.68	+0.67
	पुनर्वि०	-33,20.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 33,20.00 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण की गई।				
(41)	109 राज्य में सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन 04 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक सुविधाएं मूल	25,00.01	8,54.82	8,55.07	+0.25
	पुनर्वि०	-16,45.19			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 16,45.19 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण की गई।				
(42)	115 सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ 03 सेवा निवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ मूल	73,00.02	65,73.02	62,67.03	-3,05.99
	पूरक	15,00.00			
	पुनर्वि०	-22,27.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 9,95,106 भी सम्मिलित है। प्रावधान में माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति/पदच्युत पर अवकाश नकदीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 22,27.00 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण की गई।				
(43)	3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं 00 092 अन्य कार्यालय 04 आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन मूल	2,50.00	2,50.00	17.61	-2,32.39
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 25,758 भी सम्मिलित है।				
(44)	05 सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना मूल	10.00	91.24	91.24	0.00
	पूरक	83.42			
	पुनर्वि०	-2.18			
	प्रावधान में माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 83.42 लाख की वृद्धि सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिष्ठान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.18 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(45)	3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 01 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 4,55.00 पूरक 11,00.00	15,55.00	3,91.83	-11,63.17
प्रावधान में माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 11,00.00 लाख की वृद्धि जनगणना-2011 के अन्तर्गत मानदेय एवं प्रशिक्षण व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(46)	02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं पूरक 2,70.05 पुनर्वि० -2,68.08	1.97	1.97	0.00
माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,70.05 लाख का प्रावधान निम्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किया गया— ➤ भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना का क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन (100% के०स०) ➤ 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में राज्य एवं जिला सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,68.08 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में बचत के कारण किए गए।				
(47)	03 अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान मूल 10,61.43 पूरक 30.47 पुनर्वि० -2,61.58	8,30.32	8,27.78	-2.54
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 59,423 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 30.47 लाख की वृद्धि मजदूरी, प्रकाशन, कार्यालय प्रयोगार्थ स्टॉफ कार/मोटर गाड़ियों के क्य तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,61.58 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।				
(48)	04 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान मूल 60.19 पूरक 1.00 पुनर्वि० -26.27	34.92	43.70	+8.78
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय एवं विद्युत देयों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 26.27 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।				
(49)	800 अन्य व्यय 03 एन०आई०सी० राज्य इकाई को सहायता मूल 2.00 पुनर्वि० -2.00	0.00	0.01	+0.01

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 650 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(50)	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01 नगरीय स्थानीय निकाय 191 नगर निगम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	9,67.00	9,67.00	1,78.71	-7,88.29
(51)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	34,94.22	34,94.22	30,71.39	-4,22.83
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,26,00,000 भी सम्मिलित है।					
(52)	192 नगर पालिका/नगर निकाय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	24,72.00	24,72.00	5,78.36	-18,93.64
(53)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	99,20.44	99,20.44	92,59.86	-6,60.58
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 5,00,000 भी सम्मिलित है।					
(54)	193 नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	5,65.00	5,65.00	1,19.74	-4,45.26
(55)	03 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	23,68.74	23,68.74	19,55.99	-4,12.75
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 27,00,000 भी सम्मिलित है।					
(56)	04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल	60.00	60.00	50.00	-10.00
(57)	02 पंचायती राज संस्थाएं 196 जिला पंचायतें/परिषदें 01 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल	31,74.00	31,74.00	5,50.40	-26,23.60
(58)	03 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	48,66.62	48,66.62	42,74.40	-5,92.22
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 42,40,000 भी सम्मिलित है।					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(59)	197 विकास खण्ड स्तरीय पंचायत			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	35,46.00	35,46.00	8,25.60
(60)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन			
	मूल	71,75.52	71,75.52	63,48.00
(61)	04 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान			
	मूल	47.50	47.50	45.60
(62)	198 ग्राम पंचायतें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	59,10.00	59,10.00	13,76.00
(63)	05 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान			
	मूल	7,80.00	7,80.00	7,69.18

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हैं के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर				
	00				
	800 अन्य व्यय				
	06 प्रवेश कर के सापेक्ष विकास निधि को अन्तरण				
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	-5,00.00
(2)	2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें				
	00				
	800 अन्य व्यय				
	03 वेतन पुनरीक्षण एवं महंगाई भत्ते आदि की वृद्धियों के लिए एक मुश्त प्रावधान				
	मूल	15,00.00			
			4,49.60	0.00	-4,49.60
	पुनर्वि०	-10,50.40			

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

कम
लेखाशीर्ष
कुल अनुदान
वास्तविक व्यय
आधिक्य(+)
बचत(-)
(लाख ₹ में)

(3) 2071 धरेन तथा अन्य सेवा निर्वहण हिल लाम
01 निवहिल
106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबन्ध में धरेन सम्बन्धी प्रभार
03 धरेन तथा उपादान के अशदान
मूल 40.01 40.01 0.00 -40.01
वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे थे।

(4) 200 अन्य धरेन
06 नई धरेन योजना हेतु सीआरए को भुगतान
मूल 1,50.00
पुनर्वित्त -79.29
वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे थे।

(5) 800 अन्य व्यय
05 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
मूल 1,20.00 1,20.00 0.00 -1,20.00
06 राज्य सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष उपचार हेतु सहायता
मूल 1,00.00 1,00.00 0.00 -1,00.00
वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे थे।

(6) 09 राज्य न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को धरेन सेवक भत्ता
मूल 10.00 10.00 0.00 -10.00
वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे थे।

(7) 3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं
092 अन्य कार्यालय
00
06 भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना
मूल 2,50.00 2,50.00 0.00 -2,50.00
वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे थे।

(8) 3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदान
01 नगरीय स्थानीय निकाय
192 नगर पालिका/नगर निकाय
04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संसूचित अन्य अनुदान
मूल 50.00 50.00 0.00 -50.00
वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2030 स्टाम्प पंजीकरण			
	01 स्टाम्प न्यायिक			
	101 स्टाम्पों की लागत			
	03 न्यायिक स्टाम्प			
	मूल	50.00		
			19.16	
			70.30	+51.14
	पुनर्वि०	-30.84		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,098 एवं ₹ 72 भी सम्मिलित है।			

(2)	02 स्टाम्प न्यायिकेतर			
	102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय			
	03 गैर अदालती स्टाम्प			
	मूल	1.00		
	पूरक	1,00.00	1,59.81	3,47.39
	पुनर्वि०	58.81		+1,87.58

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,46,969 एवं ₹ 16,35,703 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-08-2010 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 41.19 लाख के अभ्यर्षण अन्य व्ययों में बचत के कारण किए गए। अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए।

(3)	2040 बिक्री व्यापार आदि पर कर			
	00			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	04 वाणिज्य कर प्राधिकरण का अधिष्ठान			
	मूल	1,43.70	1,43.70	3,76.24
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 84,48,570 ₹ 34,48,581, ₹ 1,32,110 एवं ₹ 74,266 भी सम्मिलित है।			+2,32.54

(4)	2047 अन्य राजकोषीय सेवायें			
	00			
	103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि			
	03 राज्य अल्प बचत संगठन			
	मूल	4,01.41		
			2,73.62	
			4,72.82	+1,99.20
	पुनर्वि०	-1,27.79		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,00,10,713 एवं ₹ 6,342 भी सम्मिलित है।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,27.79 लाख के अभ्यर्षण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन 00			
	095 लेखा तथा खजाना निदेशालय			
	03 कोषागार एवं वित्त सेवायें अधिष्ठान			
	मूल	1,35.33		
	पूरक	20.17	1,71.53	1,73.17
	पुनर्वि०	16.03		+1.64
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,74,561 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 20.17 लाख की वृद्धि विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19-07-2010 को ₹ 53.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा मशीन एवं उपकरणों हेतु और अधिक निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 31-03-2011 को ₹ 36.97 लाख के अभ्यर्पण किए गए जो कि अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण थे।			
(6)	098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा			
	03 स्थानीय निधि सम्प्रेक्षा			
	मूल	2,51.43		
	पूरक	4.40	2,82.78	2,82.64
	पुनर्वि०	26.95		-0.14
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,816 भी सम्मिलित है।			
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को 4.40 लाख का प्रावधान मानदेय एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-12-2010 एवं 31-03-2011 को ₹ 36.54 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9.59 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।			
(7)	2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ			
	01 सिविल			
	101 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
	03 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
	मूल	3,30,00.01		
			5,03,06.04	5,01,88.04
	पुनर्वि०	1,73,06.03		-1,18.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,73,06.03 लाख की वृद्धि सेवा निवृत्त लाभों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	109 राज्य में सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन			
	03 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं			
	मूल	30,00.01		
			56,76.52	56,76.91
	पुनर्वि०	26,76.51		+0.39

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(9)	05 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन मूल	17,50.01	42,32.54	42,32.53	-0.01
	पुनर्वि०	24,82.53			
(10)	06 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ मूल	35,00.01	1,06,74.01	1,06,74.04	+0.03
	पुनर्वि०	71,74.00			
(11)	111 विधायकों को पेंशन—राज्य विधान मण्डल के सदस्य				
	03 विधायकों को पेंशन—राज्य विधान मण्डल के सदस्य मूल	10.01	89.30	89.29	-0.01
	पुनर्वि०	79.29			
(12)	800 अन्य व्यय				
	04 राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता मूल	3,00.00	25,27.00	25,27.22	+0.22
	पुनर्वि०	22,27.00			
	उपरोक्त क्रम सं० (8) से (12) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत क्रम प्रावधान के आवंटन के कारण की गई।				
(13)	3451 सचिवालय—आर्थिक सेवाएं				
	00				
	092 अन्य कार्यालय				
	03 नियोजन अधिष्ठान मूल	1,95.80	2,56.45	2,22.00	-34.45
	पूरक	14.25			
	पुनर्वि०	46.40			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 14.25 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12-07-2010 को ₹ 46.40 लाख की वृद्धि राज्य वित्त आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं पांच अशासकीय सदस्यों के देयों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(14)	3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
	02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
	800 अन्य व्यय				
	01 केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	0.00	0.00	1.02	+1.02
	पूरक	0.00			
	पुनर्वि०	0.00			

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

कम	लेखाशीर्ष	केल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय(+)	बचत(-)	(लाख ₹ में)
	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समन्वय					
	02 पंचायती राज संस्थाएँ					
	198 ग्राम पंचायतें					
	03 राज्य विन आयोग द्वारा संरचित करों से समन्वय	1,00,96.95	1,00,96.95			
	मूल	1,00,96.95	1,00,96.95			
	उपरोक्त कम सं० (7) और (13) शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत एवं कम सं० (1) से (4) एवं (15) शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिव्यय के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।					
	(vi) दृष्टांत जहाँ व्यय/आधिव्यय आपत्तिगत बड़ी उचल के समायोजन के कारण परिवर्धित हुआ:					
(1)	2030 स्तम्भ पुंजीकरण					
	02 स्तम्भ-पुंजीकरण					
	001 निर्देशन तथा प्रशासन					
	03 अन्य व्यय	0.00	0.00			
	मूल	0.00	0.00			
	पूरक	0.00	0.00			
	पुनर्वित्त	0.00	0.00			
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बड़ी उचल समायोजन के ₹ 47,474 के कारण है।					
(2)	800 अन्य व्यय					
	03 विशेष प्रमाण पत्र पर देय स्तम्भ शूल्क का अधिव्यय कल्याण निधि समिति को संक्रमण					
	मूल	0.00	0.00			
	पूरक	0.00	0.00			
	पुनर्वित्त	0.00	0.00			
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बड़ी उचल समायोजन के ₹ 30,000 के कारण है।					
(3)	2040 विकी व्यापार आदि पर कर					
	800 अन्य व्यय					
	03 मीटर स्पीड एवं लीडकेन्स के करविवार के साक्ष्य निधि को संक्रमण					
	मूल	0.00	0.00			
	पूरक	0.00	0.00			
	पुनर्वित्त	0.00	0.00			
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बड़ी उचल समायोजन के क्रमशः ₹ 3,50,353 तथा ₹ 1,45,327 के कारण है।					
(4)	2047 अन्य राजकोषीय संघाय					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
800	अन्य व्यय			
03	भारतीय भांगिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट फण्डस अधिनियम का क्रियान्वयन अधिष्ठान			
	मूल	65.31		
	पूरक	2.50	57.62	13,56.08
	पुनर्वि०	-10.19		+12,98.46

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 13,00,54,492 के कारण है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2.50 लाख की वृद्धि कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(5)	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
	00			
	092 अन्य कार्यालय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	10.61
	पुनर्वि०	0.00		+10.61

वास्तविक व्यय वर्ष 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 10,61,428 के कारण है।

(6)	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
	00			
	200 अन्य विभिन्न क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन			
	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों का समनुदेशन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	7,79.25
	पुनर्वि०	0.00		+7,79.25

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 7,79,25,499 के कारण है।

**राजस्व:
प्रभारित-**

- (vii) ₹ 1,40,74.88 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 1,40,74.88 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 30,47.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	2049 ब्याज अदायगियां			
	01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
	10 राज्य विकास ऋण, 2010			
	मूल	26,20.72	26,20.72	5,00.63
				-21,20.09
(2)	14 राज्य विकास ऋण जो 2003-04 में प्राप्त हुआ			
	मूल	84,46.14	84,46.14	84,42.71
				-3.43

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	15 राज्य विकास ऋण जो 2004-05 में प्राप्त हुआ मूल	19,04.03	19,04.03	19,00.34	-3.69
(4)	17 राज्य विकास ऋण जो 2006-07 में प्राप्त हुआ मूल	30,38.97	30,38.97	30,25.61	-13.36
(5)	19 राज्य विकास ऋण जो 2008-09 में प्राप्त हुआ मूल	71,83.10	71,83.10	53,08.00	18,75.10
(6)	115 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज 01 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज मूल	10,00.00	10,00.00	94.90	-9,05.10
(7)	123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज मूल	5,97,28.00	5,97,28.00	5,47,35.16	-49,92.84
(8)	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 03 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज मूल	5,00.00	5,00.00	3,09.63	-1,90.37
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 7,72,524 भी सम्मिलित है।					
(9)	07 नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	74,15.63	-25,84.37
(10)	11 उ०प्र० राज्य वि०प० के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त ऋण दायित्वों पर ब्याज (पावर बांड) मूल	34,00.00	34,00.00	14,58.60	-19,41.40
(11)	305 ऋण प्रबन्ध 03 ऋण प्रबन्ध पर व्यय मूल	3,00.00	3,00.00	1,57.30	-1,42.70
(12)	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज 104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज मूल	2,50.00	2,50.00	1,12.85	-1,37.15
(13)	108 बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज 03 कर्मचारी सामुहिक बीमा योजना पर ब्याज मूल	1,00.00	1,00.00	21.00	-79.00
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 21,00,000 भी सम्मिलित है।					

कम लेखाशीर्ष
शु
कम लेखाशीर्ष
शु
कूल विनियोग
वार्षिक व्यय
आधिक्य (+)
बचत (-)
(लाख ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
(14)	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज 101 जमाओं पर ब्याज 03 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (देवरी पी.एल.ए. में) अवशेष	11,70.50	65,00.00	65,00.00	65,00.00	65,00.00	65,00.00	65,00.00	65,00.00	65,00.00	65,00.00
(15)	701 विविध 06 पुस्तकालय विकास निधि जमा पर ब्याज	40.00	90.01	90.01	90.01	90.01	90.01	90.01	90.01	90.01	90.01
(16)	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 800 अन्य व्यय 06 मा10 न्यायालयों द्वारा की गई डिकी से सम्बन्धित धनराशि	-50.01	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
(1)	2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन 797 आरक्षित निधियाँ तथा जमा लेखों को/से अन्तरण 04 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की संतुलन राशि का अन्तरण	-10,00.00	10,00.00	10,00.00	10,00.00	10,00.00	10,00.00	10,00.00	10,00.00	10,00.00	10,00.00
(2)	2049 ब्याज अदायगियाँ 01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 101 बाजार कर्जों पर ब्याज 21 राज्य विकास ऋण जो 2010-11 में प्राप्त किए गए	-29,57.00	29,57.00	29,57.00	29,57.00	29,57.00	29,57.00	29,57.00	29,57.00	29,57.00	29,57.00
(3)	03 अन्य बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज 104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 05 अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज	-1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00
(4)	06 अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज	-1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00	1,00.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत आन्तरिक अन्तरण के कारण संचित नहीं किए गए										
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत आन्तरिक अन्तरण के कारण संचित नहीं किए गए (अप्रैल 2011)।										
	(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:										
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत आन्तरिक अन्तरण के कारण संचित नहीं किए गए (अप्रैल 2011)।										

(xi) आधिकाय निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिचालित हुआ:

क्र.सं.	वर्ष	वर्षावधि	कुल विनियोग	वार्षिक आय	आधिकाय(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2049	आज अदायगीया 01 आन्तरिक ऋणों पर आज 101 बाजार कर्जा पर आज	5,15.80	5,15.80	+9.02
(2)	12	राज्य विकास ऋण, जी 2001-2002 में प्राप्त हुआ	19,89.13	19,89.13	+2.15
(3)	13	राज्य विकास ऋण जी 2002-2003 में प्राप्त हुआ	65,68.02	65,68.02	+1.01
(4)	16	राज्य विकास ऋण, जी 2005-06 में प्राप्त हुआ	43,86.47	43,86.47	+8,11.97
(5)	20	राज्य विकास ऋण, जी 2009-10 में प्राप्त हुआ	46,72.00	46,72.00	+48,22.79
(6)	200	अन्य आन्तरिक ऋणों पर आज	9,00.00	9,00.00	+4.48
(7)	03	अन्य बचती अधिकाय निधियाँ आदि पर आज	2,30,00.00	2,30,00.00	+42,44.63
(8)	04	केंद्रीय सरकार के कर्ज तथा अग्रिमों पर आज	30,00.00	30,00.00	+5,46.05
	101	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जा पर आज	30,00.00	30,00.00	
	03	उपरोक्त अग्रिमों पर आज	35,46.05	35,46.05	

(xii) वर्द्धित जहाँ आय/अधिकाय आपत्तिगत बड़ी उचन के समायोजन के फलस्वरूप परिचालित हुए:

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत आन्तरिक आधिकाय के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(1) 2049 आज अदायगीया
01 आन्तरिक ऋणों पर आज
101 बाजार कर्जा पर आज

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	07 राज्य विकास ऋण			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	47.69
	पुनर्वि०	0.00		+47.69
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 21,05,000, ₹ 21,05,000 एवं ₹ 5,59,291 भी सम्मिलित है।			

(2) 200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

04 पूर्वोत्तर उ०प्र० के नैगोसिएटेड ऋण के प्रभाजित अंश पर ब्याज

मूल	0.00			
पूरक	0.00	0.00	54.23	+54.23
पुनर्वि०	0.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 18,96,912 एवं ₹ 35,26,472 भी सम्मिलित है।

पूजीगत:

दत्तमत-

(xiii) ₹ 8,77.95 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 3,23.18 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(xiv) ₹ 8,77.95 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 11,77.81 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।

(xv) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1) 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय

80 सामान्य

800 अन्य भवन

03 स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवन निर्माण (चालू कार्य)

मूल	1,00.00	1,00.00	53.74	-46.26
-----	---------	---------	-------	--------

(2) 05 वाणिज्य कर/कम्पोजिट चौकी का निर्माण

मूल
 7,50.00 | | | |

पुनर्वि०
 -1,63.87 | 5,86.13 | 2,27.85 | -3,58.28 |

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,00,000 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21-03-2011 को ₹ 0.80 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,63.07 लाख की कमी विभिन्न कारणों से बचत का होना सूचित किया गया।

क्र. सं.	विवरण	कूल अर्जन	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	06 कौशाल्य/उपकौशल के निर्माण	1,94.31	1,94.31	-7.45
(4)	09 वास्तव्य कर विभाग के आवासीय/अवासीय भवन निर्माण	15,00.00	13,85.03	0.00
		पुनर्वि		
		-1,14.97		
	प्राधान्य में अस्पताल द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,14.97 लाख की कमी का कारण विभिन्न कारणों से हुई बचत को सूचित किया गया।			
(5)	11 स्वाम्य एवं पंजीकरण के भवनों का निर्माण	50.01	50.01	-25.01
(6)	4216 आवास पर पंजीगत परिव्यय 02 शहरी आवास 800 अन्य भवन 04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली का विस्तार, जीर्णोद्धार आदि	5,00.00	7,00.00	-6,35.00
		पूरक		
		2,00.00		
	प्राधान्य में अर्जपुरक अर्जन द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली का विस्तार, जीर्णोद्धार आदि हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(7)	12 मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्प्लियमेंट की स्थापना	4,00.00	29.78	0.00
		पुनर्वि		
		-3,70.22		
	प्राधान्य में पुनर्विनिर्माण द्वारा दिनांक 30-08-2010 को ₹ 1,55.93 लाख, दिनांक 13-09-2010 को ₹ 79.46 लाख, दिनांक 16-09-2011 को ₹ 75.00 लाख, दिनांक 27-09-2010 को ₹ 29.37 लाख, दिनांक 29-09-2010 को ₹ 10.24 लाख एवं दिनांक 04-03-2011 को ₹ 19.83 लाख एवं अस्पताल द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.39 लाख की कमी का कारण योजना में निधि की कम आवश्यकता होना सूचित किया गया।			
(8)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यकर्मा पर पंजीगत परिव्यय 102 सामुदायिक विकास 91 विद्या योजना	15,00.00	17,43.50	-37.91
		पूरक		
		2,43.50		
	विकास खण्डों के विकास के लिए अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(9)	7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज 00			
	201 भवन निर्माण अग्रिम			
	03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्माण/मरम्मत के लिए अग्रिम मूल	50.00	50.00	8.80
				-41.20
(10)	04 राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/मरम्मत हेतु अग्रिम मूल	1,00.00	1,00.00	96.53
				-3.47
(11)	7615 विविध उधार 00			
	200 अन्य कर्ज			
	01 विधायकों को आवास हेतु ऋण मूल	10.00		
			50.00	10.00
				-40.00
	पूरक	40.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 40.00 लाख की वृद्धि विधायकों को ऋण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xvi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

7615 विविध उधार 00				
200 अन्य कर्ज				
02 विधायकों हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।				

(xvii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य				
	800 अन्य भवन				
	10 भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण के भवन का निर्माण मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	16.04	+16.04
	पुनर्वि०	0.00			

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिना निधि के प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 शहरी आवास			
	800 अन्य भवन			
	03 राज्य सम्पति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण			
	मूल	5,00.00		
	पूरक	5,00.00	13,25.10	19,58.90
	पुनर्वि०	3,25.10		+6,33.80

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि राज्य सम्पति विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30-08-2010 को ₹ 1,55.93, दिनांक 13-09-2010 को ₹ 79.46 लाख, दिनांक 16-09-2011 को ₹ 75.00 लाख, दिनांक 27-09-2010 को ₹ 29.37 लाख, दिनांक 29-09-2010 को ₹ 10.24 लाख एवं दिनांक 04-03-2011 को ₹ 19.83 लाख की वृद्धि प्रावधान के कम आवंटन तथा योजना को पूर्ण किए जाने हेतु और अधिक निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 44.73 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि की आवश्यकता न होना सूचित किया गया। यद्यपि, अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

**पूंजीगत:
प्रभारित-**

- (xviii) ₹ 1,19,28.84 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 99,19.75 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (xix) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
	00			
	105 नाबार्ड से कर्ज			
	03 नाबार्ड को ऋण वापसी			
	मूल	1,40,00.00	1,40,00.00	1,23,91.57
				-16,08.43
(2)	108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज			
	04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋणों का भुगतान			
	मूल	15,00.00	15,00.00	11,84.29
				-3,15.71
(3)	6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
	02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज			
	101 एक मुश्त कर्ज तथा अग्रिम			
	03 एक मुश्त उधार			
	मूल	36,00.00	36,00.00	23,51.88
				-12,48.12

(xx) दृष्टित जहाँ सम्पूर्ण माध्याम अपयुक्त रहे:

क्र.सं.	कम	लेखाशीर्षक	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिस्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	1,02,00.00	2,80.25	-2,80.25
		00			
		101 बाजार कर्ज			
		06 बिना व्याज के बजार कर्ज			
		मूल			
		पुनर्वित्त			
(2)	109	अन्य संस्थाओं से कर्ज	50.00	50.00	-50.00
		01 अन्य संस्थाओं से कर्ज			
		मूल			
(3)	800	अन्य ऋण	10.00	10.00	-10.00
		03 अन्य ऋण			
		मूल			
(4)	6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	30.00	30.00	-30.00
		04 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज			
		800 अन्य कर्ज			
		04 सीमा तथा जल संरक्षण			
		मूल			
(5)	06	सड़क तथा पुल	2.00	2.00	-2.00
		मूल			
(6)	09	फसल कृषि कम	20.60	20.00	-20.00
		मूल			
(7)	10	अन्य	20.00	20.00	-20.00
		मूल			
(8)	07	1984-85 से पूर्व के कर्ज	5,00.00	5,00.00	-5,00.00
		800 अन्य कर्ज			
		03 अन्य कर्ज			
		मूल			

उक्त शीर्षक के अन्तर्गत माध्याम का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xxi) आहिक्य मूल्कतः निम्न शीर्षा के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

कम	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आहिक्य (+)	बचत (-)	(लाख ₹ में)
(1)	6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 00 101 बजार कर 03 ब्याज बजार कर्ज का मुगलान	90,00.00	90,00.00	1,01,50.24	+11,50.24	
(2)	110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम 03 अर्थापय अग्रिम का प्रतिदान	7,00,00.00	7,00,00.00	7,05,87.00	+5,87.00	
(3)	111 कन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्पवत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति 03 राष्ट्रीय अल्पवत निधि के ऋण का मुगलान	1,50,00.00	1,50,00.00	1,52,89.75	+2,89.75	
(4)	6004 कन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 01 आयाज-तत्पर कर्ज 800 अन्य कर्ज 03 पूर्वोत्तर उद्योग के विमानन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की वापसी	1,00.00	1,00.00	1,30.01	+30.01	
(5)	04 कन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनगत रकीमों के लिए कर्ज 800 अन्य कर्ज 03 सहकारिता	1,60.00	1,60.00	1,79.24	+19.24	

अनुदान सं० 08 आबकारी

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
------------------------	-------------------	----------------------	--

राजस्व :

2039 राज्य उत्पाद शुल्क

दत्तमत—

मूल	9,74,57			
		9,98,87	8,73,39	-1,25,48
पूरक	24,30			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				1,42,31

पूंजीगत :

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	1			
		1	00	-1
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,25.48 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 1,42.31 लाख अभ्यर्पित किए गए।
- (ii) ₹ 1,25.48 लाख की अन्तिम बचत के देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 24.30 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
-----------------	------------------	-------------------	----------------------	---

(1) 2039 राज्य उत्पाद शुल्क

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 अधिष्ठान

मूल 2,49.23

पूरक 18.00 2,37.31 2,43.56 +6.25

पुनर्वि० -29.92

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उच्यन्त समायोजन के ₹ 6,25,000 भी सम्मिलित है।

पूर्जीगत :
दलमत-

(iv) पूर्जीगत प्रमाण में ₹ 0.01 लाख की के प्राधान वर्ष पूर्वगत अपर्यक्त रहे।

क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वार्षिक व्यय	आधिय (+)	बचत (-)	(लाख ₹ में)
(2)	04 मदिया	मूल	7,25.34	6.30	6,19.25	6,29.83
		परक	6.30			+10.58
		पूर्जा	-1,12.39			

प्राधान में अनुपरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को 18.00 लाख की वृद्धि विज्ञापन व्यय, विकी व्यय, कम्प्यूटर हाडवेयर एवं साफ्टवेयर के कय, कम्प्यूटर के अनुक्षण एवं लेखन सामग्री के कय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
प्राधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01-03-2011 को ₹ 2.50 लाख की वृद्धि विद्यत व्यय एवं अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 32.42 लाख के अनुक्षण अडिखन व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग

मुख्य लेखाशीर्षक	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(हजार ₹ में)
------------------	-------------	---------------	------------	---------	--------------

राजस्व:

2051 लोक सेवा आयोग

प्रभासित-	मूल	पूरक	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)	पूर्जीगत :
	6,68,86	1,68,83	8,37,69	00

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूर्जीगत परिव्यय

प्रभासित-	मूल	पूरक	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)	राजस्व :	प्रभासित-
	1,00,00	5,31,33	6,31,33	2,02,45	3,36,87

टिप्पणियां एवं टीकाएं

राजस्व :

प्रभासित-

- (i) ₹ 81.51 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याहित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 81.51 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए मार्च 2010 को प्राप्त अनुपूर्क विनियोग ₹ 1,68.83 लाख आधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्नतः परिलक्षित हुईं:

कम	लेखाशीर्षक	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(लाख ₹ में)
----	------------	-------------	---------------	------------	---------	-------------

2051 लोक सेवा आयोग

00	102 राज्य लोक सेवा आयोग	03 राज्य लोक सेवा आयोग	मूल	पूरक
			6,68.86	1,68.83
			8,37.69	7,56.18
				-81.51

प्राधान्य में अनुपूर्क विनियोग द्वारा मार्च 2010 को ₹ 1,68.83 लाख की वृद्धि अधिखान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण संचितही किए गए (अगस्त 2011)।

पूर्वगत :
प्रसारित-

- (iv) ₹ 4,28.88 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 8.87 लाख अस्पष्टण हेतु प्रत्याहित किए जा सके।
- (v) ₹ 4,28.88 लाख की अन्तिम बचत को देखते : माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूर्कक विनियोग ₹ 5,31.33 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (vi) बचत निम्नतः परिलक्षित हुई:

कम	लेखाशीर्ष	कुल वियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(लाख ₹ में)
----	-----------	-----------	---------------	------------	---------	-------------

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूर्णगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

03 लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/अनावासीय भवन माण

मूल	1,00.00					
पूर्क	5,31.33	2,916				
पुनर्दि०	-3,36.87					
			2,02.45			
						-92.01

प्राधान्य में अनुपूर्कक विनियोग द्वारा माह सितम्बर 2010 वरु 5,31.33 लाख की वृद्धि लोक सेवा आयोग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि आवश्यकता के कारण की गई। प्राधान्य में अस्पष्टण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को 3,36.87 लाख की कमी का कारण वृद्धि निर्माण कार्य में बचत हेतु संचित किया गया। उपरोक्त शीर्ष के अन्त अन्तिम बचत के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

क्रम लेखाशीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(6) 104 विशेष पुलिस			
03 राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य			
मूल	1,01,98.70		
पूरक	2,32.30	90,91.25	90,66.39
पुनर्वि०	-13,39.75		-24.86
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,11,607 एवं ₹ 14,725 भी सम्मिलित है।			
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 तथा 28-03-2011 को ₹ 13,00.27 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 39.48 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।			
(04 इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना			
मूल	14,60.36		
पूरक	9,47.10	23,83.39	23,79.27
पुनर्वि०	-24.07		-4.12
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 9.13 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को 14.94 लाख की कमी इंडिया रिजर्व वाहिनी के अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
) 109 जिला पुलिस			
04 रेडियो अधिष्ठान			
मूल	22,44.51		
पूरक	2,44.80	24,44.67	24,73.78
पुनर्वि०	-44.64		+29.11
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 5,40,876 भी सम्मिलित है।			
(9) 07 घुडसवार पुलिस इकाई			
मूल	1,44.12		
पूरक	5.00	1,39.64	1,39.53
पुनर्वि०	-9.48		-0.11
(10) 08 यातायात व्यवस्था			
मूल	19.00		
पुनर्वि०	-4.51	14.49	13.98
			-0.51
(11) 09 जल पुलिस			
मूल	3.75		
पूरक	0.50	1.70	1.70
पुनर्वि०	-2.55		0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(12)	11 श्वान दल				
	मूल	6.00			
	पूरक	0.50	2.99	2.99	0.00
	पुनर्वि०	-3.51			
(13)	110 ग्राम पुलिस				
	03 ग्राम पुलिस अधिष्ठान				
	मूल	1,11.00			
			1,08.92	1,07.14	-1.78
	पुनर्वि०	-2.08			
(14)	111 रेलवे पुलिस				
	03 मुख्य				
	मूल	1,42.16			
	पूरक	10.70	1,44.41	1,46.96	+2.55
	पुनर्वि०	-8.45			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 60,013 भी सम्मिलित है।					
(15)	113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण				
	04 चिकित्सालय व्यय				
	मूल	1,70.60			
	पूरक	1.50	1,70.39	1,42.21	-28.18
	पुनर्वि०	-1.71			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 51,924, ₹ 64,897 एवं ₹ 23,492 भी सम्मिलित है।					
(16)	05 खेलकूद निधि तथा खेलकूद समारोहों एवं टूर्नामेन्ट के सम्बन्ध में व्यय				
	मूल	90.00			
			77.97	78.45	+0.48
	पुनर्वि०	-12.03			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 47,850 भी सम्मिलित है।					
(17)	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (50%)				
	मूल	6,50.00			
			4,78.30	4,78.30	0.00
	पुनर्वि०	-1,71.70			

उपरोक्त क्रम सं० (8) से (17) के शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान पुनर्विनियोजन तथा अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(18)	800 अन्य व्यय 03 अभियोजन अधिष्ठान मूल	3,21.81	3,21.81	2,56.04	-65.77
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 79,386 एवं ₹ 8,721 भी सम्मिलित है।				
(19)	11 राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद् मूल	15.71	21.41	14.88	-6.53
	पूरक	5.70			
(20)	13 निर्वाचन मूल	1,80.00	1,19.62	1,19.62	0.00
	पुनर्वि०	-60.38			
(21)	16 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान मूल	72.40	90.03	90.03	0.00
	पूरक	23.86			
	पुनर्वि०	-6.23			
(22)	2056 जेलें 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 कारागार अधिष्ठान मूल	18,00.54	19,55.04	17,27.59	-2,27.45
	पूरक	1,54.50			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 6,81,225 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,54.50 लाख की वृद्धि जेल अधिष्ठान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(23)	04 कारागार मुख्यालय मूल	55.82	56.62	51.24	5.38
	पूरक	0.80			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 0.80 लाख की वृद्धि गाड़ियों का रख-रखाव एवं पेट्रोल आदि की खरीद एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहा परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	2055 पुलिस 00			
	800 अन्य व्यय			
	05 मुठभेड़ में मृत्यु होने अथवा साहसिक कार्य हेतु पुलिस बल को सहायता/पुरस्कार मूल	5.00	5.00	0.00
				-5.00
(2)	15 राज्य सुरक्षा आयोग मूल	5.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-5.00		

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2055 पुलिस 00			
	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
	05 आपराधिक अन्वेषण			
	मूल	3,02.35		
	पूरक	54.11	3,65.25	3,65.44
	पुनर्वि०	8.79		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 14.39 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.60 लाख के अभ्यर्षण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर थे।

(2)	109 जिला पुलिस 03 जिला पुलिस (मुख्य)			
	मूल	2,65,01.00		
	पूरक	43,83.00	3,24,40.55	3,24,55.04
	पुनर्वि०	15,56.55		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 8,36,168 तथा ₹ 90,233 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 17,17.71 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,61.16 लाख के अभ्यर्षण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(3)	05 मोटर परिवहन अधिष्ठान			
	मूल	17,14.92		
	पूरक	79.50	18,41.62	18,40.68
	पुनर्वि०	47.20		-0.94
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 56.90 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान, गाड़ियों का रख-रखाव एवं पेट्रोल की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9.70 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(4)	800 अन्य व्यय			
	04 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण अधिष्ठान			
	मूल	21,35.30		
	पूरक	39.00	22,39.99	22,80.98
	पुनर्वि०	65.69		+40.99
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 40,50,891 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 1,34.95 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 69.26 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(5)	10 कुम्भ मेला व्यवस्था			
	मूल	3,16.11		
	पूरक	8,59.00	12,30.58	12,33.18
	पुनर्वि०	55.47		+2.60
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 7,00,023 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01-09-2010 को ₹ 60.00 लाख की वृद्धि आपूर्तिकर्ताओं के अवशेष देयकों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.53 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(6)	17 स्पेशल टास्क फोर्स			
	मूल	53.77		
			60.51	72.31
	पुनर्वि०	6.74		+11.80
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2011 को ₹ 9.60 लाख की वृद्धि मजदूरी, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.86 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			

प्रसारित-

(vi) प्रसारित विनियोग के अन्तर्गत ₹ 0.43 लाख के व्यय निम्नानुसार है:

कम	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वार्षिक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(लाख ₹ में)
	2055 पुलिस					
	00					
	109 जिला पुलिस					
	03 जिला पुलिस (मुख्य)					
	मूल	0.00				
	प्रक	0.00				
	प्रतिवर्ष	0.00				
			0.00			
				0.43		
						+0.43

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत विना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण संचित नहीं किए गए।

मुख्य लेखाशीर्ष 2055 'पुलिस' के विभिन्न उपशीर्षों में माह सितम्बर 2010 को ₹ 81,542.27 लाख के अर्पक अर्जुन द्वारा प्रावधान द्वारा पुलिस मुख्यालय, शिखा एवं प्रशिक्षण, अभिसूचना आदि, राज्य वस्त्र कान्स्ट्रक्शन-मुख्य, इंडिया रिजर्व वाहिनी आदि, जिला पुलिस मुख्य, शिखा आदि, मोटर परिवहन आदि, पुलिस इकाई, जल पुलिस, बवान दल, रेलवे पुलिस आदि, पुलिस कर्मियों का कल्याण, अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण आदि, जिला राज्य स्तरीय पुलिस मुख्यालय प्राधिकरण आदि के कर्मियों के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु किए गए।

पूर्वगत:

दलगत-

(vii) ₹ 4,11.50 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 78.92 लाख अस्पष्ट हेतु प्रत्याहित किए जा सके।

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

कम	लेखाशीर्ष	कुल अर्जुन	वार्षिक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(लाख ₹ में)
	4055 पुलिस पर पूर्वगत परिव्यय					
	80 सामान्य					
	800 अन्य व्यय					
	04 जलों का निर्माण/मर्मित क्रय	5,00.00				
	मूल	5,00.00				
			5,00.00			
				3,31.39		
						-1,68.61

उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(ix) दृष्टित जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूर्वगत परिव्यय	80 सामान्य	800 अन्य व्यय	03 जलों का आर्थिकीकरण	मूल	5,00.00				
						5,00.00			
							5,00.00		
								0.00	
									-5,00.00

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(x) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	211 पुलिस आवास			
	04 पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	2,75.01		
			2,75.00	3,74.93
	पुनर्वि०	-0.01		+99.93
(2)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	3,00.00		
			2,21.09	3,43.67
	पुनर्वि०	-78.91		+1,22.58

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,22,38,000 भी सम्मिलित है।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 78.91 लाख के अभ्यर्पण निधि का उपयोग न हो पाने के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए।

(xi) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

(1)	4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 00				
	211 पुलिस आवास				
	03 पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था (चालू कार्य) मूल	2,50.00	2,50.00	3,08.21	+58.21
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 58,21,000 भी सम्मिलित है।				
(2)	800 अन्य व्यय				
	05 पुलिस आधुनिकीकरण मूल	0.01	0.01	55.32	+55.31
	वास्तविक व्यय वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 55,32,000 के कारण है।				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2202 सामान्य शिक्षा
2203 तकनीकी शिक्षा
2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें
2205 कला एवं संस्कृति

दत्तमत—

मूल	28,64,34,04			
		32,38,48,73	30,62,46,92	-1,76,01,81
पूरक	3,74,14,69			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				1,93,47,91

प्रभारित—

मूल	2			
		2	00	-2
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

पूंजीगत:

4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	47,63,09			
		1,59,60,11	99,40,12	-60,19,99
पूरक	1,11,97,02			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				56,89,18

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,76,01.81 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 1,93,47.91 लाख अभ्यर्पित किए गए।
- (ii) ₹ 1,76,01.81 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 3,74,14.69 लाख अत्याधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारम्भिक शिक्षा 102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 10,25.00 पुनर्वि० -8,54.72	1,70.28	6,84.40	+5,14.12
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 5,14,15,271 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8,54.72 लाख की कमी केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण की गई।			
(2)	14 सहायता प्राप्त उ.मा. विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान मूल 4,50.00 वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,16,562 भी सम्मिलित है।	4,50.00	4,43.24	-6.76
(3)	18 शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान मूल 27,36.00 वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 9,60,000 भी सम्मिलित है।	27,36.00	20,71.89	-6,64.11
(4)	20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मूल 4,00.00 पुनर्वि० -83.12 प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 83.12 लाख की कमी मांग प्राप्त न होने के कारण की गई।	3,16.88	3,16.87	-0.01
(5)	109 छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन 04 प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पन्द्रह ₹ प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिए योग्यता छात्रवृत्ति मूल 10.00 पुनर्वि० -3.90 प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.90 लाख की कमी मांग प्राप्त न होने के कारण की गई।	6.10	6.02	-0.08
(6)	02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान मूल 9,26.83 पूरक 0.01 पुनर्वि० -1,80.18	7,46.66	7,17.94	-28.72

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 80,129 एवं ₹ 3,151 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-02-2011 तथा 16-03-2011 को ₹ 50.83 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,29.35 की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(7)	004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,25.81		
	पुनर्वि०	8.73		
			3,34.54	3,23.46
				-11.08
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2011 को ₹ 22.83 लाख की वृद्धि माह फरवरी 2011 के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 14.10 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(8)	101 निरीक्षण			
	03 क्षेत्रीय निरीक्षण			
	मूल	16,50.62		
	पुनर्वि०	-2,39.96		
			14,10.66	13,64.00
				-46.10
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,23,889, ₹ 1,72,171 एवं ₹ 2,81,963 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-02-2011 को ₹ 1,95.60 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 44.36 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन एवं महंगाई भत्ते में हुई बचत के कारण की गई।			
(9)	107 छात्रवृत्तियां			
	01 केन्द्रीय अयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3.44		
	पुनर्वि०	-2.04		
			1.40	3.16
				+1.76
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,51,300 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.04 लाख के अभ्यर्पण प्रावधान के अधिक आवंटन के कारण किए गए।			
(10)	05 देश के चुने हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने के लिए प्रतिभावान बालक एवं बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्तियां देना			
	मूल	2.60		
	पुनर्वि०	-2.35		
			0.25	0.25
				0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.35 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(11)	07 अवर उच्चविद्यालय (कक्षा 7-8) पर अतिरिक्त छात्र वृत्तियों की व्यवस्था मूल पुनर्वि०	1.80 -1.71	0.09 0.06	-0.03
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.71 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(12)	09 प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त हाई स्कूल छात्रवृत्ति की व्यवस्था मूल	10.00	10.00 8.79	-1.21
(13)	108 परीक्षाएं 03 माध्यमिक शिक्षा परिषद् मूल	5,36.50	5,36.50 5,10.16	-26.34
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 39,52,812 एवं ₹ 5,706 भी सम्मिलित है।			
(14)	04 माध्यमिक शिक्षा परिषद् का अधिष्ठान मूल	5,79.32	5,79.32 5,65.22	-14.10
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 19,225 भी सम्मिलित है।			
(15)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 05 नए राजकीय हाईस्कूल की स्थापना तथा राजकीय जू०हा० स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर कर्मोनयन मूल पूरक पुनर्वि०	4,67.15 0.03 -3,14.15	1,53.03 1,75.54	+22.51
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,98,164, ₹ 70,555 एवं ₹ 4,838 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-12-2010 को ₹ 1,37.91 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,76.24 लाख की कमी अध्यापकों के रिक्त पदों को न भरे जाने से हुई बचत के कारण की गई।			
(16)	09 नए राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना तथा कर्मोनयन मूल पूरक पुनर्वि०	4,26.86 0.03 -4,14.84	12.05 12.00	-0.05
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-12-2010 को ₹ 2,70.00 लाख, 28-03-2011 को ₹ 91.98 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 52.86 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।			
(17)	10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण मूल पुनर्वि०	2,07.64 -97.30	1,10.34 80.24	-30.10
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 97.30 लाख के अभ्यर्पण योजना को सर्व शिक्षा योजना के साथ संलग्न किए जाने के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(18)	11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों की स्थापना			
	मूल	2,67.02		
			76.21	65.68
	पुनर्वि०	-1,90.81		-10.53
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-02-2011 को ₹ 1,39.38 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 51.43 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।			
(19)	110 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
	03 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान			
	मूल	2,15,90.00		
	पूरक	71.00	1,83,99.43	1,92,89.61
	पुनर्वि०	-32,61.57		+8,90.18
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 6,25,98,087, ₹ 2,73,68,345 एवं ₹ 21,32,119 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32,45.06 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 16.51 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई।			
(20)	04 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
	मूल	2,07.20		
			50.14	60.76
	पुनर्वि०	-1,57.06		+10.62
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 6,48,192 एवं ₹ 9,60,222 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 06-10-2010 को ₹ 28.60 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,28.46 लाख की कमी पी०टी० अध्यापकों के मानदेय में हुई बचत के कारण की गई।			
(21)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	1,16,60.00		
	पूरक	1,44.75	26,45.70	26,45.37
	पुनर्वि०	-91,59.05		-0.33
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 18,009 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28-03-2011 को ₹ 91.98 लाख की वृद्धि केन्द्र पोषित बालिका प्रोत्साहन माध्यमिक शिक्षा 2010-11 योजना के संचालन हेतु निधि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 92,51.03 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के कम प्राप्त होने तथा मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(22)	09 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/संचालन निधि हेतु अनुदान			
	मूल	2,75.00		
			1,05.97	1,05.97
	पुनर्वि०	-1,69.03		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,69.03 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(23)	12 ब्लाक/जनपद/राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में भाग लेना मूल	40.00	40.00	36.39	-3.61
(24)	14 दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मूल	45.00			
	पुनर्वि०	-2.91	42.09	29.89	-12.20
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.91 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।				
(25)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 उच्च शिक्षा निदेशालय मूल	2,12.51			
	पूरक	99.20	3,07.20	3,09.58	+2.38
	पुनर्वि०	-4.51			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,39,744 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 04-01-2011 को ₹ 2.71 लाख की वृद्धि गाड़ियों के रख-रखाव, मशीन एवं उपकरणों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 7.22 लाख के अभ्यर्पण स्वीकृत पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।				
(26)	102 विश्वविद्यालयों को सहायता 03 कुमाऊं विश्वविद्यालय मूल	22,00.00			
	पूरक	9,58.82	23,82.91	25,33.31	+1,50.40
	पुनर्वि०	-7,75.91			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 39,942, ₹ 350 एवं ₹ 1,50,00,000 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 7,75.91 लाख के अभ्यर्पण प्रवक्ताओं तथा श्रेणी-III के स्वीकृत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों में बचत के कारण किए गए।				
(27)	05 दून विश्वविद्यालय मूल	11,00.00			
	पूरक	11,00.00	11,02.82	11,02.82	0.00
	पुनर्वि०	-10,97.18			
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03-03-2011 को ₹ 97.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 10,00.18 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(28)	06 संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना मूल 1,00.00	11,50.98	10,50.00	-1,00.98
	पूरक 10,50.98			
(29)	07 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मूल 4,50.00	3,25.21	3,25.78	+0.57
	पुनर्वि० -1,24.79			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 56,488 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03-03-2011 को ₹ 97.00 लाख की वृद्धि राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,21.79 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।			
(30)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान 03 राजकीय उपाधि महाविद्यालय मूल 59,54.62	70,26.66	70,42.60	+15.94
	पूरक 20,14.00			
	पुनर्वि० -9,41.96			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 14,41,622, ₹ 1,56,257 एवं ₹ 872 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 07-03-2011 को ₹ 1.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9,40.96 लाख की कमी अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण की गई।			
(31)	04 वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन तथा नए संकायों एवं विषयों का समावेश मूल 6,22.21	9,19.78	9,20.22	+0.44
	पूरक 3,43.80			
	पुनर्वि० -46.23			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 37,034 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 46.23 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(32)	08 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना मूल 7,86.81	12,66.11	12,66.31	+0.20
	पूरक 5,87.00			
	पुनर्वि० -1,07.70			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,000 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,07.70 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(33)	104 अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता 03 गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान			
	मूल	41,10.00		
	पूरक	20,20.00	57,37.38	57,37.38
	पुनर्वि०	-3,92.62		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3,92.62 लाख के अभ्यर्षण वेतन हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।			
(34)	05 वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अधिष्ठान व्यय में वृद्धि			
	मूल	1,51.50		
			1,36.52	1,36.90
	पुनर्वि०	-14.98		+0.38
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 37,987 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 14.98 लाख के अभ्यर्षण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(35)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	2,73.45		
	पूरक	13.50	2,52.97	2,52.24
	पुनर्वि०	-33.98		-0.73
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 33.98 लाख के अभ्यर्षण राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष कैम्प (75% के०स०) राष्ट्रीय सेवा योजना अधिष्ठान (के०पो०) में हुई बचत के कारण किए गए।			
(36)	04 प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों सेमिनारों में भाग लेने के लिए अनुदान			
	मूल	6.00		
			0.40	0.40
	पुनर्वि०	-5.60		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.60 लाख के अभ्यर्षण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(37)	05 भाषा विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान			
	मूल	70.62	70.62	43.33
				-27.29
(38)	102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन			
	04 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान			
	मूल	1,07.81		
			12.00	12.00
	पुनर्वि०	-95.81		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 95.81 लाख के अभ्यर्षण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(39)	07 संस्थान की शोध पत्रिका का प्रकाशन पूरक 10.00	4.60	4.60	0.00
	पुनर्वि० -5.40			
(40)	11 राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय भाषा सम्मेलन पूरक 50.00	15.25	15.25	0.00
	पुनर्वि० -34.75			
(41)	13 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी का अधिष्ठान पूरक 86.81	13.80	13.80	0.00
	पुनर्वि० -73.01			
उपरोक्त क्रम सं० (39) से (41) के शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान का अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।				
(42)	103 संस्कृत शिक्षा 03 राजकीय संस्कृत पाठशाला मूल 2,45.69	2,45.69	1,08.37	-1,37.32
(43)	04 संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान मूल 13,41.50	13,41.50	13,04.02	-37.48
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 12,03,142 भी सम्मिलित है।				
(44)	06 जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण मूल 84.08	84.08	6.82	-77.26
(45)	80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 एन०सी०सी० निदेशालय अधिष्ठान मूल 30.97	18.92	18.92	0.00
	पुनर्वि० -12.05			
दिनांक 31-03-2011 को ₹ 12.05 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(46)	003 प्रशिक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 15,67.06	15,37.70	15,48.47	+10.77
	पुनर्वि० -29.36			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 22,33,405 भी सम्मिलित है।				

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 29.36 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(47)	03 राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (प्राथमिक)(पुरुष) मूल	1,84.01		
	पुनर्वि०	-56.62	1,27.39	1,30.49
				+3.10
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 4,39,263 एवं ₹ 4,15,742 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 56.62 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
(48)	800 अन्य व्यय			
	04 राष्ट्रीय सेना छात्र दल			
	मूल	10,72.01		
	पूरक	11.00	7,64.74	7,66.19
	पुनर्वि०	-3,18.27		+1.45
(49)	05 एन०सी०सी० रिमाण्ड एन्ड वेटनरी स्ववार्डन की स्थापना			
	मूल	27.88		
	पुनर्वि०	-11.15	16.73	16.77
				+0.04
(50)	07 एयर स्ववार्डन एन०सी०सी० की स्थापना			
	मूल	22.78		
	पुनर्वि०	-6.49	16.29	14.75
				-1.54
	उपरोक्त क्रम सं० (47) से (49) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को किए गए अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण थे।			
(51)	2203 तकनीकी शिक्षा			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय			
	मूल	73.88		
	पुनर्वि०	-4.87	69.01	62.95
				-6.06
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12-03-2011 को ₹ 4.87 लाख की कमी मानदेय एवं मशीनरी में हुई बचत के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(52)	104 अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता 03 के०एल० पॉलीटेक्निक रूड़की			
	मूल	2,50.00		
	पुनर्वि०	-50.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 11,98,000 भी सम्मिलित है।	2,00.00	2,61.98	+61.98
(53)	105 बहु शिल्प (पॉलीटेक्निक) विद्यालय 03 सामान्य पॉलीटेक्निक			
	मूल	34,47.79		
	पुनर्वि०	-4,63.87		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,33,667 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4,63.87 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।	29,83.92	29,42.87	-41.05
(54)	112 इन्जीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 03 पंत कालेज ऑफ टेक्नोलोजी, पंतनगर को सहायक अनुदान			
	मूल	9,25.00		
	पूरक	1,56.81	9,98.81	10,48.81
	पुनर्वि०	-83.00		+50.00
(55)	04 इन्जीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट (अल्मोडा)			
	मूल	7,00.01		
	पूरक	2,76.40	9,76.40	8,98.92
	पुनर्वि०	-0.01		-77.48
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 22,52,000 भी सम्मिलित है।			
(56)	800 अन्य व्यय 04 स्किल डेवलपमेंट योजना			
	मूल	20.00	20.00	10.00
				-10.00
(57)	97 वाहय सहायतित परियोजनाएं			
	मूल	20,00.00		
	पुनर्वि०	-19,75.00	25.00	25.00
				0.00
(58)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवायें 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 खेलकूद निदेशालय			
	मूल	3,34.60		
	पूरक	4.00	3,27.42	3,22.38
	पुनर्वि०	-11.18		-5.04

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 1,23,811 तथा ₹ 61,775 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(59)	04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण			
	मूल	4,42.86		
	पूरक	1,13.70	5,34.34	5,34.37
	पुनर्वि०	-22.22		+0.03
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 6,809 भी सम्मिलित है।			
(60)	91 जिला योजना			
	मूल	8,91.79		
			8,00.30	7,99.18
	पुनर्वि०	-91.49		-1.12
(61)	104 खेलकूद			
	03 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता			
	मूल	10.00		
			0.15	1.65
	पुनर्वि०	-9.85		+1.50
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,49,908 भी सम्मिलित है।			
(62)	04 क्रीड़ा छात्रवास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय			
	मूल	45.00		
			43.19	43.19
	पुनर्वि०	-1.81		0.00
(63)	07 विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार			
	मूल	21.00		
			1.00	1.00
	पुनर्वि०	-20.00		0.00
(64)	08 नेहरू पर्वतारोहण संस्था को अनुदान			
	मूल	2,32.53		
	पूरक	1,32.52	3,32.52	3,32.52
	पुनर्वि०	-32.53		0.00
(65)	10 राष्ट्रीय प्रतियोगताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार			
	मूल	5.00		
	पूरक	20.00	22.22	22.22
	पुनर्वि०	-2.78		0.00

क्र.सं.	विवरण	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(66)	12 प्रादेशीय कीड़ा संघों, बल्लों एवं अन्य कीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खलकंद उपकरण कय हेतु अनारवर्तिक अनुदान	30.00	6.00	0.00
(67)	14 प्रतियोगिताओं का आयोजन	8.02	4.02	-0.02
(68)	24 स्थान स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता	5.00	1.44	0.00
(69)	2205 कला एवं संस्कृति 00 ललित कला शिक्षा 03 भातखण्ड हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय	1,19.94	97.63	+1.59
	पूरक	2.00	99.22	
	पुनर्वित्त	-24.31		
वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उद्यम का समायोजन ₹ 1,38,806 भी सम्मिलित है।				
(70)	102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 01 कन्द्रीय आयोजनगत/कन्द द्वारा प्रयोजित योजना	12.75	0.12	0.00
	पुनर्वित्त	-12.63		
(71)	04 स्वयं सहायता समूहों के पत्र-पत्रिकाओं का संचालन	9.41	7.70	-0.03
	पुनर्वित्त	-1.71		
(72)	12 शहीद स्मारक	10.00	2.88	0.00
	पुनर्वित्त	-7.12		

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(73)	33 लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता मूल	15.00		
	पुनर्वि०	-5.00	10.00	10.00
				0.00
(74)	36 संस्कृति के विभिन्न आयामों का अडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण पूरक	10.00		
	पुनर्वि०	-7.00	3.00	3.00
				0.00
(75)	103 पुरातत्व विज्ञान 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	6.73		
	पुनर्वि०	-1.77	4.96	4.15
				-0.81
(76)	03 पुरातत्व अधिष्ठान मूल	64.01		
	पुनर्वि०	-0.54	63.47	53.72
				-9.75
(77)	104 अभिलेखागार 03 राज्य अभिलेख मूल	73.59		
	पुनर्वि०	-10.39	63.20	62.88
				-0.32
(78)	105 सार्वजनिक पुस्तकालय 03 केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय मूल	1,28.01		
	पुनर्वि०	-15.65	1,12.36	1,02.34
				-10.02
वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 5,250 भी सम्मिलित है।				
(79)	107 संग्रहालय 03 अधिष्ठान व्यय मूल	73.35		
	पूरक	1.75	65.49	65.47
	पुनर्वि०	-9.61		

उपरोक्त क्रम सं० (57) से (79) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को किए गए अभ्यर्पण मुख्यतः अधिष्ठान व्ययों में बचत तथा कड़े आर्थिक उपायों के कारण थे।

उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दस्तावेज जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

कम लेखाशीर्षक
कूल अर्जदान वास्तविक व्यय
आधिक्य(+)
बचत(-)
(लाख ₹ में)

क्र.सं.	वर्ष	कम	लेखाशीर्षक	कूल अर्जदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	बचत(-)	(लाख ₹ में)
(1)	2202 सामान्य शिक्षा	0.00	01 प्राथमिक शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			21 पोषाहार के कूलान भाड़े का अनुदान	-10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			पुनर्वित्त	-10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्षक के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।								
(2)	02 माध्यमिक शिक्षा	0.00	001 निदेशन तथा प्रशासन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04 राज्य शिक्षा उन्नयन समिति के कार्यालय की स्थापना	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			पुनर्वित्त	-21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्षक के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।								
(3)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय	0.00	12 कर्करखा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का इण्टर स्तर तक विस्तारीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			पूरक	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			पुनर्वित्त	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4)	03 विदेवविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	0.00	102 विदेवविद्यालयों को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08 गांधी मण्डल में एफिलिटिंग विदेवविद्यालय की स्थापना	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			पुनर्वित्त	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्षक के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।								
(5)	09 राष्ट्रीय विधि विदेवविद्यालय की स्थापना	0.00	पूरक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			पुनर्वित्त	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र.सं.	विवरण	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अधिक्य(-)	(लाख ₹ में)
(11)	2203 तकनीकी शिक्षा					
	104 अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता	50.00	50.00	0.00		
	04 मान्यता प्राप्त प्राविधिक निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान	50.00	0.00			-50.00
(10)	06 कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन					
	पूर्वक	25.00	0.00			
	पुनर्वित्त	-25.00	0.00			0.00
(9)	05 भाषा विकास					
	102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन					
	05 उत्तराखण्ड भाषा निधि	2,00.00	0.00			
	पूर्वक	2,00.00	0.00			
	पुनर्वित्त	-2,00.00	0.00			0.00
(8)	08 एम.बी.ए. आदि पाठ्यक्रमों में शून्यक निर्धारण हेतु गठित समिति के सदस्यों के मानदेय आदि का भुगतान					
	पूर्वक	3.00	0.00			
	पुनर्वित्त	-3.00	0.00			0.00
	वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(7)	800 अन्य व्यय					
	05 शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में रोबर्स रेजुर्स केम की योजना लागू करना					
	पूर्वक	0.50	0.00			
	पुनर्वित्त	-0.50	0.00			0.00
(6)	107 छात्रवृत्तियाँ					
	05 इंजीनियरिंग/मैट्रिकल आदि के अध्ययन हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना	5.00	0.00			
	पूर्वक	5.00	0.00			
	पुनर्वित्त	-5.00	0.00			0.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(12)	112 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 07 स्ववित्त पोषित इजी०/बी० फार्मा संस्थानों में फीस निर्धारण समिति के सदस्यों को मानदेय आदि का भुगतान मूल	5.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-5.00		0.00
(13)	08 तकनीकी विश्वविद्यालय मूल	1,00.00	50.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		-50.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(14)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवायें 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 07 ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम मूल	1,00.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,00.00		0.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(15)	09 युवा दलों को आर्थिक सहायता मूल	20.00	4.08	0.00
	पुनर्वि०	-15.92		-4.08
	वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(16)	2205 कला एवं संस्कृति 00 102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 06 साहित्यिक कला परिषद की स्थापना मूल	3.40	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-3.40		0.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(17)	13 उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन मूल	20.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-20.00		0.00
	वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

कम लेखाशीर्ष
 कुल अर्जदान वास्तविक व्यय
 आधिक्य(+)
 घवल(-)
 (लाख ₹ में)

(18) 19 सार्वजनिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का कय

मूल	20.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	-20.00			

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(19) 25 कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना

मूल	10.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	-10.00			

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(20) 32 देहरादून में ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना

मूल	15.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	-15.00			

(21) 105 सार्वजनिक पुस्तकालय
 01 केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
 मूल 40.00
 पुनर्वि० -40.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

2202 सामान्य शिक्षा	मूल	65,00.00	18,15.24	1,31,23.11	1,31,33.11	+10.00
01 प्राथमिक शिक्षा	पुनर्वि०	48,07.87				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपतित बही उद्यत्त समायोजन के ₹ 10,00,000 भी सम्मिलित है।
 प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2011 को ₹ 48,07.87 लाख की वृद्धि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2010-11 में रखाई पर तथा मण्डल के निर्माण हेतु निधि की आवश्यक्ता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(2)	04 बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण मूल	10,66,08.03	10,65,96.99	10,70,62.42	+4,65.43
	पुनर्वि०	-11.04			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 5,45,25,494 भी सम्मिलित है।				
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 11.04 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।				
(3)	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 07 विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू.हा.वि. एवं केजी/नर्सरी विद्यालयों को सहायता मूल	45,00.00	65,00.00	72,65.01	+7,65.01
	पूरक	15,00.00			
	पुनर्वि०	5,00.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 8,71,41,234 एवं ₹ 48,00,000 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03-02-2011 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5,00.00 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।				
(4)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,52,50.00	1,37,02.21	1,37,02.21	0.00
	पूरक	63,60.14			
	पुनर्वि०	-79,07.93			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण द्वारा ₹ 79,07.93 लाख की कमी सर्व शिक्षा अभियान में हुई बचत के कारण की गई।				
(5)	02 माध्यमिक शिक्षा 004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 03 सीमेट की स्थापना मूल	85.63	1,08.43	98.71	-9.72
	पुनर्वि०	22.80			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 06-10-2010 को ₹ 28.60 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.80 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत होने के कारण किए गए।				
(6)	101 निरीक्षण 04 विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना मूल	11,77.05	15,29.62	14,53.16	-76.46
	पुनर्वि०	3,52.57			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-12-2010 को ₹ 4,07.91 लाख की वृद्धि खण्ड स्तर पर				

वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 55.34 लाख के अभ्यर्पण विद्युत में बचत तथा जिला स्तर से मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(7)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 03 बालक एवं बालिका			
	मूल	7,38,99.50		
	पूरक	1,70,92.03	9,63,35.94	9,63,58.22
	पुनर्वि०	53,44.41		+22.28
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 82,76,728, ₹ 8,68,274, ₹ 5,002, ₹ 1,31,827, ₹ 8,94,460 तथा ₹ 20,62,873 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2011 को ₹ 53,58.63 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 14.22 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत होने के कारण किए गए।			
(8)	07 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना			
	मूल	6,30.40		
	पुनर्वि०	87.39	7,17.79	7,03.24
				-14.55
(9)	08 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीकरण			
	मूल	8,92.12		
	पुनर्वि०	2,42.66	11,34.78	11,35.82
				+1.04
(10)	800 अन्य व्यय			
	07 जिला मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन			
	मूल	10.00		
	पुनर्वि०	11.77	21.77	20.06
				-1.71
	उपरोक्त क्रम सं० (8) से (10) के शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि अधिष्ठान व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(11)	2203 तकनीकी शिक्षा			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	03 प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद			
	मूल	1,92.36		
	पूरक	-15.40	1,76.96	2,19.95
				+42.99

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(12)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवायें 00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	10 विभिन्न निर्वाचनों में तैनात पी०आर०डी०स्वयं सेवक मूल	0.03		
			0.00	4.08
	पुनर्वि०	-0.03		+4.08
(13)	104 खेलकूद			
	13 स्पोर्टस कालेज को अनुदान			
	मूल	1,90.00		
	पूरक	10.00	2,12.57	2,12.57
	पुनर्वि०	12.57		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 को ₹ 32.52 लाख की वृद्धि स्पोर्टस कालेज के संचालन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 19.95 लाख के अभ्यर्पण छटे वेतन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण न होने के कारण किए गए।			
(14)	2205 कला एवं संस्कृति 00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय मूल	2,01.70		
	पूरक	1,54.60	3,89.97	3,89.92
	पुनर्वि०	33.67		-0.05
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-02-2011 को ₹ 0.20 लाख एवं दिनांक 24-03-2011 को ₹ 41.90 लाख की वृद्धि स्वतंत्रता दिवस, अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार मेला, गणतंत्र दिवस, पारम्परिक मेले, त्यौहार इत्यादि के लिए देय भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.43 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत होने के कारण किए गए।			
(15)	102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन			
	09 वृद्ध कलाकारों लेखकों को मासिक पेंशन मूल	20.00		
			21.00	22.28
	पुनर्वि०	1.00		+1.28
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,28,000 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08-03-2011 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि प्रसिद्ध वृद्ध कलाकारों, लेखकों को बढ़ी हुई पेंशन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(16)	34 धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थाई निवसियों को आर्थिक सहायता			
	पूरक	5.00		
			13.25	13.25
	पुनर्वि०	8.25		0.00

प्राधान्य में पुनर्विनिर्माण द्वारा दिनांक 08-03-2011 को ₹ 10.50 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड के स्टाई निवासियों की धार्मिक यात्राओं के लिए आर्थिक सहायता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.25 लाख के अस्पष्ट उक्त शीर्ष में बचत होने के कारण किए गए।

उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिव्यय के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टिगत जहां व्यय/अधिव्यय आपत्तिगत बड़ी उचल के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय(+)	बचत(-)	(लाख ₹ में)
------	-----------	------------	---------------	------------	--------	-------------

(1)	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्राथमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 निदेशालय अधिष्ठान	0.00	0.00	0.00	1.97	+1.97
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बड़ी उचल के समायोजन ₹ 1,96,726 के कारण है।					

(2)	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 03 राजकीय प्राथमिक विद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.39	+0.39
	कमशः ₹ 5,297 एवं ₹ 33,555 के कारण है।					

(3)	91 लिना योजना	0.00	0.00	0.00	1,08.80	+1,08.80
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बड़ी उचल के समायोजन ₹ 1,08,79,534 के कारण है।					

(4)	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 15 श्री सरकारी मा. विद्यालयों को संबद्ध ग्राहमरी कक्षाओं हेतु सहायक अनुदान (बालक)	0.00	0.00	0.00	5.19	+5.19
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बड़ी उचल के समायोजन ₹ 5,18,596 के कारण है।					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	17 शिक्षक बन्धुओं को मानदेय का भुगतान			
	मूल	2.00	2.00	6.61
	पूरक			
	पुनर्वि०			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 34,258, ₹ 47,847, ₹ 3,33,910 एवं ₹ 1,35,520 सम्मिलित है।			+4.61
(6)	104 निरीक्षण			
	03 क्षेत्रीय निरीक्षण स्टॉफ			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	10.67
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 3,14,752 तथा ₹ 7,52,627 के कारण है।			+10.67
(7)	107 अध्यापक प्रशिक्षण			
	03 राजकीय प्रशिक्षण संस्थाएं (पुरुष)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	19.85
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 19,84,928 सम्मिलित है।			+19.85
(8)	109 छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
	05 नए शासकीय हाईस्कूलों की स्थापना तथा जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकरण			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.13
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,12,747 के कारण है।			+1.13
(9)	800 अन्य व्यय			
	04 पदम सिंह छात्रवृत्ति			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.19
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 19,000 के कारण है।			+0.19
(10)	02 माध्यमिक शिक्षा			
	107 छात्रवृत्तियां			
	03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं और छात्रवृत्ति			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	13.23
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 13,22,622 के कारण है।			+13.23

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(11)	108 परीक्षाएं			
	05 उत्तराखण्ड राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.03
	पुनर्वि०	0.00		+0.03
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,871 के कारण है।			
(12)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.36
	पुनर्वि०	0.00		+0.36
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 36,476 के कारण है।			
(13)	04 राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग/विषय का समावेश			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	2.98
	पुनर्वि०	0.00		+2.98
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,98,111 के कारण है।			
(14)	06 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	39.71
	पुनर्वि०	0.00		+39.71
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 39,33,882 तथा ₹ 37,109 के कारण है।			
(15)	91 राजकीय हाईस्कूलों का इंटर स्तर तक उच्चीकरण (जिला योजना)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.51
	पुनर्वि०	0.00		+1.51
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,47,763 एवं ₹ 3,078 के कारण है।			
(16)	800 अन्य व्यय			
	08 अन्य व्यय			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	5.92
	पुनर्वि०	0.00		+5.92
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 2,59,286 तथा ₹ 3,32,579 के कारण है।			

कम लेखाशीर्ष
शु0
कुल अनुदान वास्तविक व्यय
आधिक्य(+)
बचत(-)
(लाख ₹ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	बचत(-)	(लाख ₹ में)
(17)	03 विदेवविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा					
	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान					
	06 राजकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना					
	मूल	0.02				
	पुनर्वित्त	-0.02				
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन संमायोजन के ₹ 2,62,319 के कारण है।		0.00	2.62		+2.62
(18)	91 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना					
	मूल	0.00				
	पूरक	0.00				
	पुनर्वित्त	0.00				
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन संमायोजन के क्रमशः ₹ 2,66,161 तथा ₹ 5,80,987 के कारण है।		0.00	8.47		+8.47
(19)	107 छात्रवृत्तियां					
	03 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की योजना					
	मूल	0.50				
	पुनर्वित्त	-0.50				
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन संमायोजन के ₹ 42,145 के कारण है।		0.00	0.42		+0.42
(20)	80 सामान्य					
	003 प्रशिक्षण					
	04 राजकीय प्रशिक्षण संस्थाएं (प्राथमिक) (महिला)					
	मूल	0.00				
	पूरक	0.00				
	पुनर्वित्त	0.00				
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन का संमायोजन ₹ 43,572 के कारण है।		0.00	0.44		+0.44
(21)	2204 खेल केंद्र तथा युवा सेवाएं					
	00					
	102 विद्यालयों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम					
	03 राष्ट्रीय युवा छात्र संगठन					
	मूल	0.00				
	पूरक	0.00				
	पुनर्वित्त	0.00				
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन का संमायोजन ₹ 72,91,910 के कारण है।		0.00	72.92		+72.92

(vii) खल एवं युवा सेवाएं हेतु प्राधान्यित ₹ 0.02 लाख के प्रभाषित विनियोग अपयुक्त रहे।

प्रभाषित-

राजस्व :

- संपादकालय अधिष्ठान के विद्युत देयों के भुगतान हेतु प्राधान्य
 - स्वर्ण नामा योजना का आयोजन
 - मूल समितियों को पारम्परिक एवं अन्य मूलों के आयोजन हेतु अनुदान
 - राज्य के स्थाई निवासियों को धार्मिक यात्राओं हेतु अनुदान
 - कला एवं संस्कृति के उन्नयन हेतु स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान
 - महाराष्ट्र हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय के व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु प्राधान्य
 - सांस्कृतिक विभाग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु
- से निधि की आवश्यकता के कारण की गई-
- प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,63.35 लाख की वृद्धि निम्न कारणों

कला एवं संस्कृति

- प्रतिष्ठा शिक्षियों के आयोजन हेतु सहायक अनुदान।
 - स्टाटस कालेज, देहरादून को सहायक अनुदान।
 - हेतु सहायक अनुदान।
 - राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रादेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था
 - राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु सहायक अनुदान।
 - कर्मियों को वेतन इत्यादि का भुगतान।
 - खल निर्देशालय, प्रादेशिक विकास दल, युवा कल्याण एवं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के
- आवश्यकताओं के कारण की गई-
- प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,87.72 लाख की वृद्धि निधि की निम्न

खल एवं युवा सेवाएं

- अनुदान के कारण की गई।
- बहुविध (पालीटेक्निक) विद्यालय तथा इंजिनियरिंग कालेज द्वारा टाटा (अल्माडा)/वृद्धि (पीडी) शिक्षा निर्देशालय के कर्मियों को वेतन इत्यादि के भुगतान, पालीटेक्निक रुड़की को अनुदान, प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 11,02.78 लाख की वृद्धि प्राथमिक

तकनीकी शिक्षा

- उत्तराखण्ड मीम अकादमी के कर्मियों के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु सहायक अनुदान
 - पुस्तकालय की स्थापना एवं पुस्तकों के कय हेतु सहायक अनुदान
 - राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन हेतु सहायक अनुदान
 - साहित्यकारों के सम्मान हेतु सहायक अनुदान
 - उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान
 - संस्थान की शाखा पत्रिका के प्रकाशन हेतु सहायक अनुदान
 - कक्षाशाला/प्रादेशिक कार्यकर्ताओं के आयोजन हेतु सहायक अनुदान
 - उत्तराखण्ड भाषा निधि
- स्थापनाओं हेतु निधि की आवश्यकताओं के कारण प्राप्त किए गए-
- माह सितम्बर 2010 को ₹ 4,19.31 लाख के अनुपूर्वक अनुदान का प्राधान्य निम्न संस्थाओं,

भाषा विकास

पूँजीगत :
दत्तमत—

- (viii) ₹ 60,19.99 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 56,89.18 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
(ix) ₹ 60,19.99 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 1,11,97.02 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
(x) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4202 शिक्षण खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 202 माध्यमिक शिक्षा 11 राजकीय हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवन हीन/जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण मूल 5,00.00 पूरक 63,34.37 पुनर्वि० -29,73.22	38,61.15	37,16.74	-1,44.41
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 29,73.22 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(2)	16 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण मूल 2,50.00 पूरक 7,50.00 पुनर्वि० -9,00.00	1,00.00	1,00.00	0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9,00.00 लाख के अभ्यर्पण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(3)	19 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण मूल 1,00.00 पूरक 1,00.00 पुनर्वि० -1,49.43	50.57	50.57	0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,49.43 लाख के अभ्यर्पण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(4)	22 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों के आवासीय भवनों का निर्माण मूल 1,00.00 पूरक 4,00.00 पुनर्वि० -4,70.00	30.00	30.00	0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4,70.00 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(5)	91 जिला योजना मूल 11,32.50 पूरक 20,81.85 पुनर्वि० -31.59	31,82.76	31,79.28	-3.48
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 31.59 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 05 उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी का भवन निर्माण मूल 25.00	4.10	4.10	0.00
	पुनर्वि० -20.90			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-03-2011 एवं 15-03-2011 को ₹ 20.90 लाख की कमी भवनों के निर्माण हेतु टी0ए0सी0 के अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण की गई।			
(7)	02 तकनीकी शिक्षा 104 बहुशिल्प 05 कोटाबाग रामनगर में महिला पालीटेक्निक की स्थापना मूल 50.00	25.00	25.00	0.00
	पुनर्वि० -25.00			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 25.00 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(8)	16 पालिटेक्निकों हेतु भूमि कय/भवन निर्माण मूल 2,50.00	2,38.06	2,38.06	0.00
	पुनर्वि० -11.94			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 11.94 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(9)	105 इजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 03 एन0आई0टी0 की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण/भवन निर्माण मूल 1,00.00	30.75	30.75	0.00
	पुनर्वि० -69.25			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 69.25 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(10)	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडियम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 80.00 पूरक 50.00 पुनर्वि० -51.00	79.00	79.00	0.00
(11)	04 स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (नए कार्य) मूल 50.00 पूरक 50.00 पुनर्वि० -71.68	28.32	28.32	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(12)	91 जिला योजना मूल	2,57.56		
	पुनर्वि०	-11.10	2,46.46	2,46.46
				0.00
	उपरोक्त क्रम सं० (10) से (12) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा कमी शासन के निर्देशानुसार एजेन्सी द्वारा प्राकलन तैयार नहीं किए जाने के कारण की गई।			
(13)	04 कला और संस्कृति 106 संग्रहालय 03 संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण मूल	85.00		
	पूरक	2,15.00	76.70	77.69
	पुनर्वि०	-2,23.30		+0.99
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,23.30 लाख की कमी पर्याप्त निधि स्वीकृत न होने के कारण की गई।			
(14)	04 महान विभूतियों की मूर्तियां/शहीद स्मारक का निर्माण मूल	10.00		
	पूरक	30.00	38.15	38.15
	पुनर्वि०	-1.85		0.00
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.85 लाख की कमी महान विभूतियों की मूर्तियां/शहीद स्मारक के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण की गई।			
	(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 202 माध्यमिक शिक्षा 17 शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण मूल	2,00.00		
	पुनर्वि०	-2,00.00	0.00	0.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(2)	20 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	-1,00.00	0.00	0.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(3)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 13 सोसाइटी मोड में स्ववित्त पोषित बीएड कक्षाओं का संचालन मूल	20.00		
	पुनर्वि०	-20.00	0.00	0.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(4)	205 भाषा विकास 03 संस्कृत विद्यालयों में पेयजल टैंक एवं शोचालयों का निर्माण मूल	83.00	83.00	0.00	-83.00
(5)	04 भाषा संस्थान तथा हिन्दी अकादमी भवन का निर्माण मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,00.00			
(6)	02 तकनीकी शिक्षा 104 बहुशिल्प 07 काण्डा (बागेश्वर) पालिटेक्निक हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण मूल	50.00	25.00	0.00	-25.00
	पुनर्वि०	-25.00			
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(7)	11 गोपेश्वर (चमोली) में महिला पालिटेक्निक हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण मूल	50.00	25.00	0.00	-25.00
	पुनर्वि०	-25.00			
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(8)	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडियम 05 स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य) मूल	50.00	0.00	0.00	0.00
	पूरक	50.00			
	पुनर्वि०	-1,00.00			
(9)	09 अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण मूल	25.00	0.00	0.00	0.00
	पूरक	25.00			
	पुनर्वि०	-50.00			
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(10)	13 देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज के भवन का निर्माण मूल	50.00	0.00	0.00	0.00
	पूरक	25.00			
	पुनर्वि०	-75.00			
(11)	14 पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कालेज भवन का निर्माण पूरक	82.30	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-82.30			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(12)	04 कला और संस्कृति 106 संग्राहालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए पूरक	50.00	50.00	0.00	-50.00
(13)	05 नेहरू हेरिटेज सेंटर पूरक पुनर्वि०	50.00 -50.00	0.00	0.00	0.00
(14)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना पूरक	50.00	50.00	0.00	-50.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 04 राजकीय महाविद्यालयों के भूमि/भवन क्रय मूल	1,00.00	1,20.90	1,20.90	0.00
	पुनर्वि०	20.90			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-03-2011 को ₹ 10.00 लाख एवं दिनांक 15-03-2011 को ₹ 10.90 लाख की वृद्धि शासकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	02 तकनीकी शिक्षा 104 बहुशिल्प 03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन का निर्माण/सुदृढीकरण मूल	2,00.00	2,50.00	3,00.00	+50.00
	पुनर्वि०	50.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21-03-2011 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि राजकीय बहुशिल्प संस्थान, पित्थूवाला, देहरादून हेतु भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं0 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2211 परिवार कल्याण

दत्तमत-

मूल	6,88,07,43			
		7,16,12,49	5,91,73,24	-1,24,39,25
पूरक	28,05,06			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

प्रभारित-

मूल	00			
		00	2	+2
पूरक	00			

पूँजीगत:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय
4211 परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,10,66,76			
		1,29,40,42	66,88,88	-62,51,54
पूरक	18,73,66			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				40

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,24,39.25 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,24,39.25 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को ₹ 28,05.06 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं0	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
-------------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

- (1) 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 मुख्यालय अधिष्ठान			
	मूल	6,13.73		
	पूरक	2.10		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,09,741 भी सम्मिलित है।	6,15.83	6,04.74	-11.09
(2)	05 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्मार्ट कार्ड योजना का प्रबन्धन			
	मूल	25.00	25.00	13.00
				-12.00
(3)	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	05 क्षय रोग रुजालय (क्लीनिक)			
	मूल	5,86.21	5,86.21	5,17.62
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 72,257 भी सम्मिलित है।			-68.59
(4)	10 उच्च न्यायालय में चिकित्सालय की स्थापना			
	मूल	40.99	40.99	40.44
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 2,09,849 तथा ₹ 5,385 भी सम्मिलित है।			-0.55
(5)	14 विधान सभा में रा0एलो0 औषधालय की स्थापना			
	मूल	24.76	24.76	22.95
				-1.81
(6)	15 राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान			
	मूल	11,50.00		
	पूरक	9,00.00	20,50.00	20,30.00
				-20.00
(7)	18 मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अधिष्ठान			
	मूल	7,79.66	7,79.66	7,66.04
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 20,55,625 भी सम्मिलित है।			-13.62
(8)	19 केन्द्रीय औषधि भण्डार की स्थापना			
	मूल	13.50	13.50	11.70
				-1.80
(9)	20 महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री आवास हेतु चिकित्सा व्यवस्था			
	मूल	10.47	10.47	6.03
				-4.44
(10)	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	1,08.42	1,08.42	90.52
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 66,514 एवं ₹ 28,201 भी सम्मिलित है।			-17.90

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(11)	03 प्रदेश में अस्थपन की रोकथाम	2,44.91	2,44.91	-24.74
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन का समाधान ₹ 1,21,939 भी सम्मिलित है।			
(12)	07 राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना	75.16	76.66	-23.73
	मूल			
	परक	1.50		
(13)	800 अन्य व्यय	50.00	50.00	-9.88
	06 तीर्थयात्रा मार्ग पर सफाई/विकिर्सा सुविधा			
	मूल	50.00	50.00	40.12
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन का समाधान ₹ 1,02,794 भी सम्मिलित है।			
(14)	07 स्त्रीछिक संस्थाओं का अनुदान	50.00	50.00	-3.59
(15)	09 विभिन्न मंगों में रखला एवं विकिर्सा व्यवस्था	25.00	25.00	-13.30
(16)	11 नई दिल्ली में उत्तराखण्ड के योगियों के परिवारों हेतु विश्राम गृह	11.00	11.00	-1.82
(17)	02 शहरी स्वास्थ्य संवाय-अन्य विकिर्सा पद्धतियां			
	101 आयुर्वेद			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरनिधानित योजनाएं	42.03	42.03	-17.99
	परक			
(18)	03 निदेशन तथा प्रशासन	4,44.35	4,65.35	-22.13
	मूल			
	पुरनवि०	21.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन का समाधान कमशः ₹ 15,631, ₹ 32,010 एवं ₹ 76,501 भी सम्मिलित है।			
(19)	04 विमानिय औषधीय विनिर्माण	1,55.15	1,55.15	-12.52
	मूल			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन का समाधान ₹ 584 भी सम्मिलित है।			
(20)	08 आयुर्वेदिक	50,88.25	53.01	-1,06.07
	मूल			
	परक			
	पुरनवि०	1,05.00		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 15,27,825, ₹ 20,58,047 एवं ₹ 92,399 भी सम्मिलित है।
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2011 को ₹ 1,05.00 लाख की वृद्धि आयुर्वेदिक अधिष्ठान के कर्मियों के वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(21)	11 आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को सहायता मूल	3,00.01	3,00.01	1,04.00	-1,96.01
(22)	102 होम्योपैथी 03 निदेशन तथा प्राशासन				
	मूल	41.04			
	पूरक	14.55	59.98	48.48	-11.50
	पुनर्वि०	4.39			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 2,01,462 एवं ₹ 69,175 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 को ₹ 4.39 लाख की वृद्धि प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों के वेतन के भुगतान एवं छटे वेतन आयोग के अन्तर्गत अवशेष वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(23)	04 अस्पताल तथा औषधालय				
	मूल	2,88.38			
	पूरक	9.67	3,00.24	2,61.29	-38.95
	पुनर्वि०	2.19			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2005-06 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 36,464, ₹ 4,580 एवं ₹ 43,936 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.19 लाख की वृद्धि विधान सभा में तैनात कर्मियों के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(24)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पश्चात्य चिकित्सा पद्धति 101 स्वास्थ्य उपकेन्द्र 03 सुदूर क्षेत्र के उपकेन्द्रों में फार्मासिस्ट की व्यवस्था				
	मूल	20,16.29	20,16.29	16,55.71	-3,60.58
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,53,063 भी सम्मिलित है।				
(25)	04 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना (राज्य पोषित)				
	मूल	21.80	21.80	7.99	-13.81
(26)	05 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढीकरण योजना				
	मूल	80.00			
	पूरक	26.51	1,06.51	69.44	-37.07

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(27)	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	30,56.59	30,56.59	28,77.55	-1,79.04
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 43,05,119 भी सम्मिलित है।				
(28)	104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	38,38.02	38,32.42	34,94.04	-3,38.38
	पुनर्वि०	-5.60			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 07-10-2010 को ₹ 5.60 लाख की कमी का कारण वेतन एवं महंगाई भत्ते में बचत होना सूचित किया गया।				
(29)	91 जिला योजना मूल	1,73.84	1,73.84	1,47.98	-25.86
(30)	110 अस्पताल तथा औषधालय 06 क्षय रोग रूजालय मूल	9,35.16	9,35.16	8,49.34	-85.82
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,43,854 भी सम्मिलित है।				
(31)	10 टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक चिकित्सा सुविधा मूल	60.55	60.55	61.96	+1.41
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 6,44,518 एवं ₹ 3,88,878 भी सम्मिलित है।				
(32)	11 ब्लड बैंक की स्थापना मूल	42.43	42.43	34.21	-8.22
(33)	17 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना मूल	41,12.21	41,12.21	36,71.25	-4,40.96
(34)	18 ग्रामीण महिला चिकित्सालयों की स्थापना मूल	2,63.11	2,63.11	2,07.70	-55.41
(35)	19 राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रामा सेन्टर की स्थापना मूल	1,00.01	1,00.01	82.79	-17.22
(36)	22 चिकित्सा स्वास्थ्य सलाहकार का अधिष्ठान पूरक	12.30	12.30	4.93	-7.37
(37)	23 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सलाहकार परिषद् का अधिष्ठान पूरक	20.10	20.10	7.67	-12.43

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(38)	91 जिला योजना मूल	2,12.75	2,12.75	1,94.45	-18.30
(39)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	75.66	75.66	44.01	-31.65
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,39,226 भी सम्मिलित है।				
(40)	03 प्रदेश में अंधेपन की रोकथाम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास मूल	1,68.62	1,68.62	1,59.40	-9.22
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,68,981, ₹ 14,837, ₹ 2,467 एवं ₹ 8,284 भी सम्मिलित है।				
(41)	04 निजी चिकित्सीय/निदान केन्द्र की स्थापना मूल	10.00	10.00	0.07	-9.93
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 7,121 भी सम्मिलित है।				
(42)	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 102 होम्योपैथी 03 अस्पताल और औषधालय मूल	8,08.77	8,02.19	5,19.19	-2,83.00
	पुनर्वि०	-6.58			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,39,648 एवं ₹ 24,856 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 को ₹ 6.58 लाख की कमी का कारण वेतन एवं महंगाई भत्ते में बचत का होना सूचित किया गया।				
(43)	05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 101 आयुर्वेद 06 अन्य व्यय मूल	12,86.98	11,63.98	10,54.20	-1,09.78
	पूरक	3.00			
	पुनर्वि०	-1,26.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,20,035 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2011 को ₹ 1,26.00 लाख की कमी का कारण वेतन, महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों में बचत का होना सूचित किया गया।				
(44)	105 पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 03 शिक्षा मूल	1,25.00	1,25.00	77.28	-47.72

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(45)	04 मेडिकल कालेज मूल	1,30,70.95	1,30,70.95	72,07.84	-58,63.11
(46)	05 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा मूल	7,99.99	9,78.99	2,53.22	-7,25.77
	पूरक	1,79.00			
(47)	06 लोक स्वास्थ्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधिष्ठान व्यय मूल	58.53	58.53	53.96	-4.57
(48)	003 प्रशिक्षण 03 सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र मूल	1,73.73	1,80.23	1,56.52	-23.71
	पूरक	6.50			
(49)	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	2,38.56	2,38.56	1,48.16	-90.40
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 15,83,017 एवं ₹ 35,618 भी सम्मिलित है।				
(50)	03 लोक स्वास्थ्य मूल	14,03.03	14,03.03	13,39.69	-63.34
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 18,77,590, ₹ 2,90,581, ₹ 6,931 एवं ₹ 21,759 भी सम्मिलित है।				
(51)	04 महामारी निरोधक क्रियायें मूल	4,63.51	4,63.51	4,10.92	-52.59
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,92,146 एवं ₹ 6,121 भी सम्मिलित है।				
(52)	05 मातृ एवं शिशु कल्याण मूल	26,43.01	26,43.01	22,74.62	-3,68.39
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 33,544 एवं ₹ 1,33,458 भी सम्मिलित है।				
(53)	06 कुष्ठ रोगियों की सहायता मूल	4,70.51	4,70.51	4,44.03	-26.48
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 20,31,538 भी सम्मिलित है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(54)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन मूल 23,10.00 पूरक 4,25.00	27,35.00	8,92.72	-18,42.28
(55)	102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण 03 सरकारी जन विश्लेषक प्रयोगशाला मूल 2,09.87 वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 12,116 भी सम्मिलित है।	2,09.87	1,79.07	-30.80
(56)	104 औषधि नियंत्रण 03 ड्रग कन्ट्रोल मूल 79.70	79.70	65.49	-14.21
(57)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल 3,16.90 पूरक 1,50.00 वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 927 भी सम्मिलित है।	4,66.90	3,08.96	-1,57.94
(58)	04 जन्म मरण सम्बन्धी आंकड़ों के पंजीयन और संग्रहण व्यवस्था मूल 18.33 वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,120 एवं ₹ 4,816 भी सम्मिलित है।	18.33	13.64	-4.69
(59)	06 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित भवनों के मरम्मत अनुरक्षण निर्माण कार्य मूल 25.00	25.00	10.99	-14.01
(60)	07 वाहनों का संचालन एवं अनुरक्षण मूल 55.00	55.00	54.07	-0.93
(61)	11 पार्ट टाईम दार्इयों को अतिरिक्त मानदेय मूल 1,00.00	1,00.00	68.74	-31.26
(62)	2211 परिवार कल्याण 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल 5,13.73 वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 4,24,364, ₹ 2,02,984, ₹ 20,861 एवं ₹ 16,099 भी सम्मिलित है।	5,13.73	4,37.19	-76.54

क्र.सं.	वर्ष	लेखाशीर्षक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(63)	003	प्रशिक्षण	2,04.51	2,09.51	1.35.27
	01	केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा प्रयोजित योजनाय	5.00		
		पूरक			
		वार्षिक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन का समायोजन कमशः ₹ 59,180 एवं ₹ 67,451 भी सम्मिलित है।			
(64)	101	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाय	54,47.01	54,47.01	47,28.29
	01	केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा प्रयोजित योजनाय			
		मूल			
		वार्षिक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन का समायोजन कमशः ₹ 1,16,329, ₹ 6,26,994, ₹ 3,36,839 एवं ₹ 23,967 भी सम्मिलित है।			
		उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत बचत को अस्पष्ट नही किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण संचित नही किए गए (अगस्त 2011)।			
(iv)		दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	2210	विक्रय तथा लोक स्वास्थ्य			
	01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-प्राथमिक चिकित्सा पद्धति			
	001	निर्देशन तथा प्रशासन			
	04	मानव अंग प्रत्यारोपण विशेषज्ञ सेवा			
		मूल			
		वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(2)	200	अन्य स्वास्थ्य सेवाय			
	06	टेली मीडियन की व्यवस्था			
		मूल			
		वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(3)	800	अन्य व्यय			
	12	कंधा विहीन चिकित्सा प्रतिक्रिया			
		मूल			
		वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(4)	02	शहरी स्वास्थ्य सेवाय-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
	102	होमोपैथी			
	91	विना योजना			
		मूल			
		वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(5)	03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाय-प्राथमिक चिकित्सा पद्धति			
	110	अस्पताल तथा औषधालय			
	21	ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना			
		मूल			
		वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			

क्र.सं.	विवरण	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	04 शाहीपुल स्वास्थ्य संघर्ष 102 होमोपैथी 01 कन्द्रीय आयोजनागत कन्द द्वारा पर्यवेक्षणित योजनाय	19.01	19.01	-19.01
(7)	06 लोक स्वास्थ्य 101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण 08 राज्य एड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता	2.00	2.00	-2.00
(8)	09 इंस्टीट्यूट डिजीन सर्वेलेस प्रोजेक्ट मूल	22.34	22.34	-22.34
(9)	800 अन्य व्यय 09 दैवी आपदा व दुर्घटनाओं में उपचार हेतु विकिन्सा आपदा निधि मूल	5.00	5.00	-5.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(1)	2210 विकिन्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य संघर्ष-प्राथमिक विकिन्सा पद्धति 110 अस्पताल तथा औषधालय 03 एलपैथी एकीकृत विकिन्सालय और औषधालय मूल	68,78.00	74,22.79	+1,13.15
	प्रक	5,44.79		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचित का समायोजन कमशः ₹ 6,95,621, ₹ 13,54,468 एवं ₹ 34,031 भी सम्मिलित है।			
(2)	11 बजट बैंक की स्थापना मूल	75.61	75.61	+3.92
(3)	16 सचिवालय में तथा उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में ए10एलपैथिक औषधालय की स्थापना मूल	34.53	34.53	+1.54

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(4)	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें 05 मानसिक चिकित्सा प्राधिकरण मूल 8.12 पुनर्वि० 5.60	13.72	13.58	-0.14
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.60 लाख का प्रावधान उक्त शीर्ष के अन्तर्गत कम आवंटन प्राप्त होने के कारण किए गए।				
(5)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 91 जिला योजना मूल 2,88.13	2,88.13	3,22.92	+34.79
(6)	110 अस्पताल तथा औषधालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए मूल 15,40.00	15,40.00	17,55.89	+2,15.89
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 13,48,450 एवं ₹ 2,02,408 भी सम्मिलित है।				
(7)	09 एलौपैथिक चिकित्सालय और औषधालय मूल 30,19.34	30,19.34	30,87.68	+68.34
वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 16,343, ₹ 7,18,039 एवं ₹ 12,50,000 भी सम्मिलित है।				
(8)	06 लोक स्वास्थ्य 003 प्रशिक्षण 04 राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र मूल 13.95	13.95	18.23	+4.28
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 70,241 भी सम्मिलित है।				
(9)	107 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें 03 प्रभाग के मुख्य स्थानों पर प्रयोगशालायें मूल 10.05	10.05	19.55	+9.50
(10)	2211 परिवार कल्याण 00 102 शहरी परिवार कल्याण सेवायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल 2,89.56	2,89.56	3,03.55	+13.99
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,45,877 एवं ₹ 4,262 भी सम्मिलित है।				

उक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के परिणाम स्वरूप परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना 03 अधिष्ठान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.63
	पुनर्वि०	0.00		+1.63
वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 43,083, ₹ 62,407 एवं ₹ 57,805 के कारण है।				
(2)	110 अस्पताल तथा औषधालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.02
	पुनर्वि०	0.00		+0.02
वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 2,400 के कारण है।				
(3)	04 नर्स सेवाएं			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	37.11
	पुनर्वि०	0.00		+37.11
वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 11,11,907 एवं ₹ 25,99,106 के कारण है।				
(4)	06 कुष्ठ रोगियों को सहायक अनुदान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	13.71
	पुनर्वि०	0.00		+13.71
वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 10,33,364 एवं ₹ 3,37,679 के कारण है।				
(5)	07 जिला एवं अन्य चिकित्सालयों में ई०एन०टी०/आंख/आर्थोपेडिक यूनिट की स्थापना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.79
	पुनर्वि०	0.00		+0.79
वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2003-04 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 40,777 एवं ₹ 37,929 के कारण है।				
(6)	97 वाह्य सहायतित परियोजनायें			
	मूल	0.01		
	पूरक	0.00	0.01	1.65
	पुनर्वि०	0.00		+1.64

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 1,65,000 के कारण है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(7)	800 अन्य व्यय			
	04 राजकीय चिकित्सालयों में डीजल जनरेटर हेतु डीजल की व्यवस्था			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.06
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 5,520 के कारण है।

(8)	02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
	101 आयुर्वेद			
	05 अस्पताल तथा रूजालय			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.96
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 95,634 के कारण है।

(9)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पारचात्य चिकित्सा पद्धति			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	03 कुष्ठ रोगियों को सहायता			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	13.83
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 9,38,999, ₹ 4,16,965 एवं ₹ 26,994 के कारण है।

(10)	05 प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	2.94
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 2,94,235 के कारण है।

(11)	07 नर्सिंग सेवायें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	11.82
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2005-06 के आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,70,244, ₹ 9,40,230, ₹ 7,000 एवं ₹ 64,324 के कारण है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(12)	06 लोक स्वास्थ्य			
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
	07 स्वास्थ्य मेला			
	मूल	0.01		
	पूरक	0.00	0.01	0.49
	पुनर्वि०	0.00		+0.48
वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 49,050 के कारण है।				
(13)	800 अन्य व्यय			
	03 परिवार कल्याण उपकेन्द्रों का विस्तारीकरण			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.10
	पुनर्वि०	0.00		+0.10
वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 9,858 के कारण है।				
(14)	2211 परिवार कल्याण			
	00			
	103 मातृ तथा बाल स्वास्थ्य			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.47
	पुनर्वि०	0.00		+0.47
वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 46,823 के कारण है।				
(15)	104 परिवहन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.08
	पुनर्वि०	0.00		+0.08
वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 2,902 एवं ₹ 4,838 के कारण है।				
(16)	105 क्षतिपूर्ति			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.65
	पुनर्वि०	0.00		+0.65
वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 35,000, ₹ 10,000 एवं ₹ 20,000 के कारण है।				

क्र.सं.	कम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)	(लाख ₹ में)
---------	----	-----------	------------	---------------	---------------------	-------------

(17)	106	सावधानीक शिक्षा	01	केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	0.00	0.00	0.01	+0.01
				मूल	0.00			
				पुरक	0.00			
				पुनर्वित्त	0.00			
				वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचल के समायोजन ₹ 914 के कारण है।				

(18)	200	अन्य सेवायें तथा पूर्तिया	01	केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	0.01	12.46		+12.45
				मूल	0.01			
				पुरक	0.00			
				पुनर्वित्त	0.00			
				वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचल का समायोजन कमरा: ₹ 2,77,097 एवं ₹ 9,69,056 के कारण है।				

प्रसारित-

(vii) प्रसारित विनियोग के अन्तर्गत विना विनियोजन के ₹ 0.02 लाख के व्यय परिलक्षित हुए। विना विनियोग के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए।

प्रवाधान में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 28,05,06 लाख की वृद्धि जो कि उपशीर्षक के अन्तर्गत प्रदर्शित की गई है निम्न विकल्पा योजनाओं के कमियों को वतन इत्यादि के मुगलान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई-

- मुख्यलय अधिदान
- एलवीएचएकीकृत विकल्पालय और औषधालय
- राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान
- एलवीएचएक विकल्पालयों में भारतीय विकल्पा पद्धति (आयुर्वेद) ब्राख की स्थापना (100% क०स०)
- आयुर्वेदिक विकल्पालयों का अधिदान
- होम्योपैथी निदेशालय
- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढीकरण योजना
- राजकीय स्वायत्तता प्राप्त विकल्पालयों का अनुदान
- विकल्पा स्वास्थ्य सलाहकार परिषद का अधिदान
- आर्यष कर्मसिधियों के सुदृढीकरण हेतु मशीनें एवं उपकरणों की खरीद
- आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों तथा उनसे संबद्ध अस्पतालों का प्रान्तीयकरण
- स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून की स्थापना
- सममान्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्पाण प्रशिक्षण केंद्र
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (25% राज्यांश)
- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन

**पूर्तिगत-
दलगत:**

(viii) ₹ 62,51,54 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 0.40 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(ix) ₹ 62,51.54 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 18,73.66 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(x) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

कम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110 अस्पताल तथा औषधालय 03 शव विच्छेदन मूल	60.00	60.00	21.56 -38.44
(2)	10 नये जनपद बागेश्वर, चंपावत तथा रुद्रप्रयाग में जिला चिकित्सालयों का निर्माण मूल	1,00.00	1,12.82	1,00.00 -12.82
	पूरक	12.82		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 12.82 लाख की वृद्धि जिला चिकित्सालय बागेश्वर, चम्पावत एवं रुद्रप्रयाग के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	17 अनावासीय भवनों में वहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण मूल	2,50.00	7,50.00	6,74.87 -75.13
	पूरक	5,00.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि अनावासीय भवनों के निर्माण, अनुरक्षण एवं विस्तारीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	18 राष्ट्रीय राज मार्गों पर ट्रामा सेंटर का निर्माण मूल	1,00.00	1,00.00	23.39 -76.61
(5)	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण (राज्य योजना) मूल	50.00	1,00.00	38.90 -61.10
	पूरक	50.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(6)	91 जिला योजना मूल	2,00.00	3,45.88	2,82.17 -63.71
	पूरक	1,45.88		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,45.88 लाख की वृद्धि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्र.सं.	विवरण	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(7)	110 अस्पताल तथा औषधालय 91 जिला योजना	7,16.91	7,35.80	-23.20
		मूल		
		परक		
		18.89		
	प्रावधान में अनुपरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 18.89 लाख की वृद्धि राजकीय एलायन्सिक विकिसालयों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	0.02	16.87	-0.02
		मूल		
		परक		
		16.85		
	वार्षिक व्यय में वर्ष 2003-04 तथा 2009-10 के आपत्तिगत बही उद्यम समायोजन के क्रमशः ₹ 5,91,000 तथा ₹ 16,49,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 16.85 लाख की वृद्धि आयुष फार्मिसिया के सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(9)	03 राज्य सचिव	40.00	40.00	-12.47
		मूल		
(10)	03 विकिसालय शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105 एलायन्सिक 06 अन्तर्गत में मंडिकल कालेज की स्थापना हेतु बस विकिसालय का उद्घाटन	5,00.00	5,00.00	-4,75.00
		मूल		
(11)	08 दूध मंडिकल कालेज की स्थापना	30,00.00	29,99.60	-28,30.00
		मूल		
		पुनर्वि		
		-0.40		
(12)	09 राजकीय मंडिकल कालेज इच्छानी एवं सम्बद्ध विकिसालयों की स्थापना	30,58.00	30,58.00	-23,07.78
		मूल		
(13)	4211 परिवार कल्याण पर पुंजीगत परिव्यय			
		00		
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा	59.60	59.60	-53.77
		मूल		
	03 उप-केन्द्रों के भवनों का निर्माण			
		59.60		
(14)	91 उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना)	3,87.22	3,97.22	-3.17
		मूल		
		परक		
		10.00		

प्राधान्य में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि ग्रीष्म परिवार कल्याण सेवाओं के अन्तर्गत उष कन्दों (जिला योजना) के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अस्पष्टता नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण स्पष्टित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xi) दृष्टांत जहाँ सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे:

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)	(लाख ₹ में)
---------	-----------	------------	---------------	---------------------	-------------

(1)	4210 वित्तिका तथा लोक स्वास्थ्य पर पूर्णतः परियोजना 01 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा 110 अस्पताल तथा औषधालय 21 सीएमडीओ कार्यालय भवन का निर्माण	50.00	50.00	0.00	-50.00
	मूल				
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे थे।				

(2)	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा 110 अस्पताल तथा औषधालय 09 ब्लड बैंक की स्थापना/निर्माण कार्य	10.00	10.00	0.00	-10.00
	मूल				
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे थे।				

(3)	10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे।				

(4)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा 105 एनएचसी 07 एनएचसी वित्तिका तथा लोक स्वास्थ्य का निर्माण	2,00.00	2,00.00	0.00	-2,00.00
	मूल				

(5)	4211 परिवार कल्याण पर पूर्णतः परियोजना 103 मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य 03 एमटीसी/एमटीसी का भवन निर्माण	1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
	मूल				
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य के अप्रयुक्त रहने के कारण स्पष्टित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।				

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4210 वित्तिका तथा लोक स्वास्थ्य पर पूर्णतः परियोजना 01 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा 110 अस्पताल तथा औषधालय
-----	--

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	04 ब्लड बैंक स्थापना/निर्माण कार्य			
	मूल	20.00	20.00	+1.10
(2)	19 देहरादून में बी०एस०सी० नर्सिंग कालेज के भवन का निर्माण			
	मूल	1,00.00	1,80.00	+80.00
(3)	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
	104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
	03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना			
	मूल	3,00.00		
	पूरक	2,00.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 20,17,000 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
		5,00.00	5,87.41	+87.41
(4)	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	07 एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण			
	मूल	40.00	40.00	74.76
				+34.76
(5)	800 अन्य व्यय			
	91 जिला योजना			
	मूल	4,05.00		
	पूरक	5,19.22		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,19.22 लाख की वृद्धि निम्न कारणों से की गई—			
	➤ राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण			
	➤ अपूर्ण निर्माण कार्यों का निर्माण			
	➤ होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण			
		9,24.22	9,46.48	+22.26
(6)	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	105 एलोपैथी			
	04 निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन/एन.पी.वी. का भुगतान			
	मूल	0.01	0.01	16.16
				+16.15
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2215 जल पूर्ति तथा सफाई
2217 शहरी विकास

दत्तमत—

मूल	7,48,10,61			
		8,47,77,60	4,74,98,08	3,72,79,52
पूरक	99,66,99			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011) 1,65,26
अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,90,32 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 3,72,79.52 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,65.26 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 3,72,79.52 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 99,66.99 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
	01 जलपूर्ति			
	101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
	05 नगरीय पेय जल			
	मूल	70,60.00		
	पूरक	21,00.00	89,60.00	89,55.76
	पुनर्वि०	-2,00.00		-4.24

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 21,00.00 लाख की वृद्धि निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण की गई—

- नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान
- नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण हेतु अनुदान
- हैण्ड पम्पों की मरम्मत/रख-रखाव आयरन रिमूवल यंत्र हेतु अनुदान
- पंपिंग योजनाओं के रख-रखाव हेतु अनुदान
- नगरीय पेयजल योजनाओं का रख-रखाव

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01-11-2010 को ₹ 2,00.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(2)	07 केन्द्र पोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान पूरक	15,00.00	15,00.00	9,00.00	-6,00.00
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान केन्द्र पोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				
(3)	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम 03 ग्रामीण पेयजल (राज्य सेक्टर) मूल	15,00.00	16,00.00	12,02.95	-3,97.05
	पूरक	1,00.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 30,00,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि ग्रामीण पेयजल राज्य सेक्टर को अनुदान देने हेतु की गई।				
(4)	91 जिला योजना मूल	53,99.38	91,21.38	87,27.93	-3,93.45
	पूरक	37,22.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 37,22.00 लाख की वृद्धि ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना तथा हैण्डपंपों के अधिष्ठान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(5)	97 बाह्य/विश्व बैंक सहायतित मूल	1,75,00.00	1,75,00.00	1,45,00.00	-30,00.00
(6)	02 मल निकासी एवं सफाई 105 सफाई सेवाएं 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	13,60.00	21,00.32	8,43.91	-12,56.41
	पूरक	7,40.32			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7,40.32 लाख की वृद्धि ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (75% के0स0) को अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(7)	106 वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण 03 गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु जल निगम को अनुदान (फेज 1 व 2) मूल	8,00.00	14,00.00	3,73.24	-10,26.76
	पूरक	6,00.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 6,00.00 लाख की वृद्धि गंगा कार्यकारी योजना के रख-रखाव हेतु जल निगम को अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(8)	2217 शहरी विकास 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	06 नगर एवं ग्राम्य नियोजन अधिष्ठान			
	मूल	2,95.66		
	पूरक	3.69		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3.69 लाख की वृद्धि मजदूरी, अन्य भत्ते, गाड़ियों के रख-रखाव एवं पेट्रोल इत्यादि की खरीद, किराया एवं कम्प्यूटरों के रख-रखाव तथा लेखन सामाग्री की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	2,99.35	2,58.45	-40.90
(9)	07 विहित अधिकारियों का अधिष्ठान			
	मूल	94.41		
	पूरक	15.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 8,487 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	1,09.41	97.65	-11.76
(10)	08 परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारियों एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु			
	मूल	50.01	50.01	45.48
				-4.53
(11)	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	50,77.10	50,77.10	38,40.78
				-12,36.32
(12)	03 नगरों का समेकित विकास			
	मूल	2,64.01		
	पूरक	5,60.00	6,74.01	3,39.52
	पुनर्वि०	-1,50.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,60.00 लाख की वृद्धि निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण की गई—			
	➤ उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि हेतु अनुदान			
	➤ नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास हेतु अनुदान			
	➤ नवीन चकराता विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन हेतु अनुदान			
	➤ टिहरी झील परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन हेतु अनुदान			
(13)	97 वाहय सहायतित योजना			
	मूल	92,61.97	92,61.97	25,72.92
				-66,89.05
(14)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,19,05.16	2,19,05.16	21,50.38
				-1,97,54.78

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(15)	04 नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 स्थानीय निकाय अधिष्ठान			
	मूल	74.63		
			85.33	
	पूरक	10.70	81.91	-3.42
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10.70 लाख की वृद्धि वेतन, मजदूरी, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते एवं किराये के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(16)	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 नगर पंचायतों का चुनाव			
	मूल	1,04.31		
	पूरक	17.76	1,11.47	+83.56
	पुनर्वि०	-10.60		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,60,748, ₹ 68,990 एवं ₹ 84,46,000 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 17.76 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 10.60 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरे जाने तथा अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।			
(17)	04 उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग			
	मूल	9.47	9.47	6.48
				-2.99
(18)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	15,00.00	15,00.00	9,71.00
				-5,29.00
(19)	03 हरिद्वार कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान			
	पूरक	1,73.32	1,73.32	1,09.57
				-63.75
(20)	04 शहरी भूमि सीमा रोपण			
	मूल	46.29	46.29	43.85
				-2.44
(21)	06 मेला प्राधिकरण का अधिष्ठान			
	पूरक	13.35	13.35	6.28
				-7.07
(22)	07 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्			
	पूरक	7.40		
			2.74	
	पुनर्वि०	-4.66	2.74	0.00

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7.40 लाख का प्रावधान उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.66 लाख के अभ्यर्षण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हैं के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(1)	2215 जल पूर्ति तथा सफाई 01 जलापूर्ति 101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	-10,00.00
(2)	06 चारधाम यात्रा/पर्यटन मार्गों पर पेयजल उपलब्ध कराना मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
(3)	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	2,66.72	2,66.72	0.00	-2,66.72
(4)	04 जल स्रोतों का रख-रखाव तथा पुनर्जीवन मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
(5)	08 गंगा नदी में प्रदूषण नियन्त्रण तथा संरक्षण कार्य पूरक	5,00.00	5,00.00	0.00	-5,00.00
अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,00.00 लाख के प्रावधान गंगा नदी में प्रदूषण नियन्त्रण तथा संरक्षण कार्य हेतु प्रदान किए गए।					
(6)	02 मल निकासी एवं सफाई 107 मल निकासी सेवायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ मूल	6,62.37	6,62.37	0.00	-6,62.37
(7)	2217 शहरी विकास 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 800 अन्य व्यय 04 कम्प्यूटरीकरण एवं जी.आई.एस. योजना मूल	25.00	25.00	0.00	-25.00

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
	01 जलपूर्ति			
	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
	07 केन्द्रीय पोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान			
	मूल	2,00.00		
			4,00.00	8,00.00
	पुनर्वि०	2,00.00		+4,00.00
(2)	02 मल निकासी एवं सफाई			
	106 वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण			
	05 गंगा-यमुना एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करना			
	मूल	20.00	20.00	38.51
				+18.51
(3)	2217 शहरी विकास			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
	03 नगरों का समेकित विकास			
	मूल	2,64.01		
			1,14.01	3,39.52
	पुनर्वि०	-1,50.00		+2,25.51
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,50.00 लाख के अभ्यर्पण टिहरी बांध क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।			
(4)	04 नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 शहरी विकास योजना अनुश्रवण परिषद्			
	मूल	6.30		
			15.07	17.74
	पूरक	8.77		+2.67
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 8.77 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के लिए की गई।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के परिणाम स्वरूप परिलक्षित हुए:

2215	जल पूर्ति तथा सफाई			
	01 जलपूर्ति			
	800 अन्य व्यय			
	03 पेयजल सलाहकार समिति			
	मूल	4.50		
			22.50	3,66.00
	पूरक	18.00		+3,43.50

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,43,50,000 भी सम्मिलित है।

अनुदान सं० 14 सूचना

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2220 सूचना तथा प्रचार

दत्तमत—

मूल	20,31,40		
		40,59,23	37,29,29
पूरक	20,27,83		-3,29,94
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			2,40,57

पूंजीगत :

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	50,00		
		50,00	00
पूरक	00		-50,00
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			-50,00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व : \

दत्तमत—

- (i) ₹ 3,29.94 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 2,40.57 लाख अभ्यर्पित किए गए।
- (ii) ₹ 3,29.94 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 20,27.83 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1)	2220 सूचना तथा प्रसार			
	01 फिल्म			
	105 फिल्मों का निर्माण			
	03 अधिष्ठान			
	मूल	49.90		
			39.49	39.48
	पुनर्वि०	-10.41		-0.01

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 10.41 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(2)	60 अन्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	3,31.11		
			3,22.94	
			3,22.60	-0.34
	पुनर्वि०	-8.17		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,623 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-12-2010 को ₹ 51.45 लाख की वृद्धि निम्न कारणों से की गई-

- आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु क्योंकि स्वीकृत पद रिक्त रहे।
- कार्यालय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता
- निदेशालय के पास अपना भवन न होने के कारण किराए के भवन का किराया भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता।
- पत्रकारों को टैक्सी/गाड़ियां, ठहरने की व्यवस्था तथा मुख्यमंत्री द्वारा प्रेसकार्नेफेन्स किए जाने हेतु अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता
- कम्प्यूटरों के रख-रखाव

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 59.62 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

(3)	101 विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार			
	05 अधिष्ठान			
	मूल	10,34.20		
	पूरक	20,00.00	26,78.12	25,90.21
	पुनर्वि०	-3,56.08		-87.91

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 41,600 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19-12-2010 को ₹ 2,00.00 लाख एवं दिनांक 23-12-2010 को ₹ 1,38.85 लाख की कमी विज्ञापन व्ययों में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 17.23 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

(4)	102 सूचना केन्द्र			
	03 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान			
	मूल	66.33		
			48.13	
			48.54	+0.41
	पुनर्वि०	-18.20		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 40,608 एवं ₹ 768 भी सम्मिलित है।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 18.20 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	91 जिला योजना मूल	6.00		
	पुनर्वि०	-0.97	5.03	5.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.97 लाख के अभ्यर्पण फोटोग्राफी योजना के अन्तर्गत अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			-0.03
(6)	106 क्षेत्र प्रचार 03 अधिष्ठान मूल	2,27.16		
	पूरक	20.18	2,00.95	2,01.91
	पुनर्वि०	-46.39		+0.96
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 89,140 एवं ₹ 6,572 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 20.18 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 46.39 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(7)	04 जिला सूचना कार्यालय का सुदृढीकरण (जि०यो०) मूल	8.00		
	पुनर्वि०	-0.13	7.87	5.35
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.13 लाख के अभ्यर्पण कम्प्यूटरों एवं रख-रखाव में हुई बचत के कारण किए गए।			-2.52
(8)	109 फोटो सेवायें 03 अधिष्ठान मूल	34.80		
	पुनर्वि०	-6.73	28.07	28.07
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-12-2010 को ₹ 2.40 लाख की वृद्धि मजदूरी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9.13 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			0.00
(9)	800 अन्य व्यय 06 श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति मूल	5.00		
	पुनर्वि०	-4.66	0.34	0.34
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.66 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए। उपरोक्त क्रम सं० (3), (4) एवं (7) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए।			0.00

(iv) खाते जहाँ सम्पूर्ण प्राध्यान अप्रयुक्त रहे:

कम लेखाई
शुं
कम अनुदान
वार्षिक व्यय
आधिकांश(+)
बचत(-)
(लाख ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
(1)	2220 वना तथा प्रचार 01 फल 105 फल का निर्माण 06 फल परिषद की स्थापना	10.00	10.00	0.00	0.00
(2)	60 न्य 102 वना कन्द 04 वनी महिला सेंटर	7.65	7.65	0.00	0.00
(3)	103 स सेवा सुचना 03 तराखण्ड में प्रस वलवा की स्थापना	50.00	50.00	0.00	0.00
(4)	103 स सुचना सेवाएं 04 प्रकार कल्याण कोष की स्थापना	2,00.00	2,00.60	2,00.60	2,00.60
(5)	2220 वना तथा प्रचार 60 न्य 103 स सुचना सेवाएं 04 प्रकार कल्याण कोष की स्थापना	70.80	70.80	1,52.53	1,52.53
(6)	110 काशन 03 विज्ञान	81.73	81.73	1,52.53	1,52.53
(7)	प्राध्यान पुनर्वििनयोजन द्वारा दिनांक 19-11-2010 को ₹ 85.00 लाख की वृद्धि निम्न कारणों से की गई।				0.00
(8)	प्राध्यान पुनर्वििनयोजन द्वारा दिनांक 19-11-2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार प्रकार कल्याण कोष हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				0.00

(v) विषय मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(अनार011)। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राध्यान के अप्रयुक्त रहने के कारणों को स्पष्टित नहीं किया गया।

- राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विकास फंड का प्रकाशन
 - मासिक पत्रिका "देव माँसि सन्देश" का प्रकाश
 - सूर्यना निर्देशिका एवं कलेंडर 2011 का प्रकाश
- दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.27 लाख के अस्पष्ट खिचान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

पूर्वगत :
दलगत-

- (vi) पूर्वगत अनुदान का ₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण खिचान अप्रयुक्त रहा।
(vii) अप्रयुक्त प्रवाधान निम्नतः रहा:

क्र.सं.	विवरण	रकम
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूर्वगत परियोजना	60 अन्य
051	निर्माण	03 सूर्यना निर्देशिका एवं सूर्यना निर्माण की व्यय
	मूल	50.00
	पूर्वगत	-50.00
	बचत	0.00
	आधिव्यय(+)	0.00
	बचत(-)	0.00
	आधिव्यय(+)	0.00

(अप्रैल 2011)।
वक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रवाधान के अस्पष्ट किए जाने के कारण संचित नहीं किए गए।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाय

मुख्य लेखाधीन कूल अनुदान/ वार्षिक व्यय विनियोग
 आधित्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)

राजस्व :

2225 अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ
 2251 सविवालय-सामाजिक सेवाएँ

दलगत-
 मूल 3,75,77,31
 पूरक 89,48,53
 वर्ष में अत्यधिक धनराशि (मात्र 2011) 4,65,25,84
 3,81,53,51
 -83,72,33
 4,30,60

प्रसारित-
 मूल 00
 पूरक 00
 00
 40
 +40

अनुदान के राजस्व दलगत अनुभाग में ₹ 1,07,59 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकारिकता निधि के आगम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूर्जागत :
 4225 अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूर्जागत परियोजना
 4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूर्जागत परियोजना
 4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूर्जागत परियोजना

दलगत-
 मूल 5,90,06
 पूरक 11,27,39
 वर्ष में अत्यधिक धनराशि (मात्र 2011) 17,17,45
 3,43,58
 -13,73,87
 1,49,63

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :
 दलगत-

- (i) ₹ 83,72,33 लाख की अतिम बचत में से मात्र ₹ 4,30.60 लाख अत्यधिक हेतु प्रत्याहित किए जा सके।
 (ii) ₹ 83,72,33 लाख की अतिम बचत को देखते हुए मात्र खितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 89,48.53 लाख आधिक सिद्ध हुए।
 (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलिखित हुईं:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान मूल 1,26.14 1,26.14 1,18.39 -7.75			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 60,000 भी सम्मिलित है।				
(2)	05 जिला कार्यालयों का अधिष्ठान मूल 6,49.46 पूरक 1,10.82	7,60.28	7,52.87	-7.41
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 8,94,343, ₹ 2,015 एवं ₹ 12,763 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,10.82 लाख की वृद्धि वेतन एवं विद्युत देयों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(3)	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मूल 37.90 पूरक 5.82	43.72	38.60	-5.12
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5.82 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(4)	277 शिक्षा 03 अन्य पिछड़ी जातियों के दशमोत्तर कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति (100% के०स०) मूल 15,60.00 15,60.00 15,00.71 -59.29			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 5,000 भी सम्मिलित है।				
(5)	91 पिछड़ी जातियों के पूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता (50% के०स०) मूल 3,77.41 3,77.41 3,66.42 -10.99			
(6)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 04 विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये आश्रित कर्मशालायें व प्रशिक्षण केन्द्र मूल 61.81 61.81 51.89 -9.92			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 10 भी सम्मिलित है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(7)	07 विकलांग युवक/युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन मूल	20.00	20.00	17.38	-2.62
(8)	09 विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन मूल	45.00	45.00	38.14	-6.86
(9)	11 विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु कार्यक्रम मूल	14.89	34.89	7.82	-27.07
	पूरक	20.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि विकलांग जन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(10)	19 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता मूल	11.00	11.00	9.07	-1.93
(11)	20 नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान मूल	13,59.00			
	पूरक	9,33.20	23,44.00	23,34.97	-9.03
	पुनर्वि०	51.80			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 9,33.20 लाख की वृद्धि नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान दिए जाने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 51.80 लाख की वृद्धि विकलांग जनों को पेंशन भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(12)	102 बाल कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	73,29.15	87,79.25	55,89.41	-31,89.84
	पूरक	14,50.10			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2006-07 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 12,21,997, ₹ 4,50,294, ₹ 7,878, ₹ 22,500 एवं ₹ 41,488 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 14,50.10 लाख की वृद्धि निम्न योजनाओं के अन्तर्गत अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई-				
	➤ आई०सी०डी०एस० योजना में मेडिसिन किट्स की आपूर्ति (100% के०स०)				
	➤ आई०सी०डी०एस० परियोजना/कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अवसंरचना सुविधाएं (90% के०स०)				
	➤ किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण योजना (100% के०स०)				
	➤ मातृत्व सहयोग योजना (100% के०स०)				
	➤ महिला सशक्तिकरण मिशन (100% के०स०)				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(13)	03 परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बालविकास पोषाहार, पोषाहार हेतु ईंधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था मूल	59,00.00	59,00.00	45,26.75	-13,73.25
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 65,23,576, ₹ 1 एवं ₹ 1,28,420 भी सम्मिलित है।				
(14)	04 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र मूल	86.11	86.11	74.33	-11.78
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,83,415, ₹ 1,075, एवं ₹ 27,348 भी सम्मिलित है।				
(15)	05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना मूल	35.45	35.45	28.56	-6.89
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 27,675 भी सम्मिलित है।				
(16)	06 बाल कल्याण की विविध योजनायें मूल	16,04.00			
	पूरक	57.68	16,61.68	1,50.35	-15,11.33
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 12,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 57.68 लाख की वृद्धि बाल कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(17)	07 संस्थानों/गृहों का संचालन मूल	4,33.84			
	पूरक	59.87	5,34.81	5,02.17	-32.64
	पुनर्वि०	41.10			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,08,179 एवं ₹ 1,82,349 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 59.87 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30-03-2011 को ₹ 41.10 लाख की वृद्धि संस्थाओं/गृहों के संचालन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(18)	10 राज्य महिला आयोग की स्थापना मूल	15.00	15.00	0.01	-14.99
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 600 भी सम्मिलित है।				
(19)	103 महिला कल्याण 03 महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योजना मूल	3.67	3.67	2.67	-1.00
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 56,982 भी सम्मिलित है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(20)	09 अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन अतिरिक्त उद्धार संगठनों की स्थापना मूल	8.22	8.22	4.66	-3.56
(21)	10 राज्य महिला आयोग की स्थापना मूल	38.85			
	पूरक	19.10	57.95	46.31	-11.64
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 19.10 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(22)	16 विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किए एवं अन्तर्वासियों के पुनर्वासन एवं प्रशिक्षण के लिए राज सहायता मूल	20.00	20.00	9.25	-10.75
(23)	17 महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति मूल	5.00	5.00	2.11	-2.89
(24)	91 जिला योजना मूल	5.53	5.53	22.77	+17.24
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 20,01,105 भी सम्मिलित है।				
(25)	104 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निःसहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण 03 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह मूल	21.50	21.50	18.28	-3.22
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 96,000 भी सम्मिलित है।				
(26)	04 भिक्षावृत्ति का निवारण मूल	61.27	61.27	44.71	-16.56
(27)	05 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निःसहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण मूल	5.00	5.00	1.00	-4.00
(28)	800 अन्य व्यय 07 योजनाओं का मूल्यांकन, प्रचार प्रसार मूल	10.00	10.00	4.32	-5.68
(29)	09 समाज कल्याण अनुश्रवण समिति मूल	25.00	25.00	12.50	-12.50
(30)	91 सम्प्रेक्षण गृहों आदि का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण मूल	14.31	14.31	12.59	-1.72

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(31)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के आधीन पेंशन			
	05 सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन			
	मूल	26,50.00		
	पूरक	32,14.80	58,23.70	57,72.97
	पुनर्वि०	-41.10		-50.73
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 32,14.80 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30-03-2011 को ₹ 41.10 लाख की कमी वृद्धावस्था पेंशन में हुई बचत के कारण की गई।			
(32)	107 स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
	03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को वेतन			
	मूल	10,00.00	10,00.00	6,74.43
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 7,31,597, ₹ 24,676 एवं ₹ 8,912 भी सम्मिलित है।			
(33)	200 अन्य कार्यक्रम			
	03 सैनिकों का कल्याण			
	मूल	17,55.56		
	पूरक	4,76.66	18,01.62	18,13.11
	पुनर्वि०	-4,30.60		+11.49
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 17,21,929, ₹ 11 एवं ₹ 5 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4,76.66 लाख की वृद्धि निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण की गई-			
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सैनिकों के कल्याण के अन्तर्गत सैनिक मुख्यालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु ➤ विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन एवं पुरस्कार ➤ वार-टू-सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य के सैनिकों को एक मुश्त अनुदान/एन्यूटी ➤ उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को पेंशन ➤ भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों/पुत्रियों को सेना/पुलिस में भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4,30.60 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(34)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	34,05.00	34,05.00	33,94.79
				-10.21
(35)	06 गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के लिए जनश्री बीमा योजना			
	मूल	4,25.00	4,25.00	2,99.60
				-1,25.40

क्र.सं.	कम-लेखाशीर्ष	कृता अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(36)	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
	800 अन्य व्यय			
	01 कन्द्रीय आयाजनागत/कन्द द्वारा पुनर्निर्धारित योजनाएं	26,60.00	26,60.00	-16,51.99
(37)	09 पन्द्रह सैत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय	30.00	30.00	-14.75
	मूल			
	02 आन्ध्र प्रदेश के आयाजनागत/कन्द द्वारा पुनर्निर्धारित योजनाएं	15.00	15.00	0.17
	05 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान तथा अन्य सहायता			
	मूल			
(38)	12 मुस्लिम एजुकेशन मिशन की स्थापना	25.00	25.00	-2.00
(39)	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
	00			
	092 अन्य कार्यालय			
	05 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान तथा अन्य सहायता	15.00	15.00	-14.83
	मूल			
(1)	2225 अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10.00	10.00	-10.00
	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
	800 अन्य व्यय			
	04 जातिका अवसर प्रोत्साहन योजना			
	मूल			
(2)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	6.00	6.00	-6.00
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	800 अन्य व्यय			
	03 काश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास			
	मूल			
(3)	02 समाज कल्याण	65.00	65.00	-65.00
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	16 प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर जिला विकास पुनर्वास कन्द			
	मूल			
(4)	18 हरिद्वार में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों हेतु दीर्घकालिक आवास का संचालन	5.00	5.00	-3.20
	मूल			
	पुनर्निर्माण	-1.80	-1.80	0.00

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(iv) दृष्टांत जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत आधिक्य के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(5)	103 महिला कल्याण 13 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(6)	14 मानसिक रूप से विकसित महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन मूल	5.00	5.00	0.00	-5.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(7)	107 स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान 05 श्री श्रद्धानन्द बाल वनिता आश्रम हेतु अनुदान मूल	50.00			
			0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00			
(8)	91 अनाथों के दाह दफन हेतु स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों को सहायता (जिला योजना) मूल	2.50	2.50	0.00	-2.50
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(9)	800 अन्य व्यय 06 विकलांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना मूल	5.00	5.00	0.00	-5.00
	वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(10)	12 भिक्षावृत्ति नियंत्रण अधिनियम का क्रियान्वयन पूरक	5.00	5.00	0.00	-5.00
(11)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 अन्य कार्यक्रम 05 दंगा पीड़ितों को सहायता पूरक	15.00	15.00	0.00	-15.00
(12)	2250 अन्य सामाजिक सेवायें 00 800 अन्य व्यय 11 अल्प संख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(13)	15 मदरसा अरबी फारसी बोर्ड मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(14)	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवायें			
	00			
	092 अन्य कार्यालय			
	03 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा स्वतन्त्रता जन्म शताब्दी आदि के लिए सहायक अनुदान			
	मूल	2.00	2.00	0.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			-2.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	04 अल्प संख्यक आयोग का अधिष्ठान			
	मूल	27.93		
			35.55	44.42
	पूरक	7.62		+8.87
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7.62 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	05 अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण			
	मूल	72.00	72.00	2,06.25
				+1,34.25

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुए:

(1)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	102 आर्थिक विकास			
	03 औद्योगिक प्राशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को व्यक्तिगत उद्यम प्रोत्साहन योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.05
	पुनर्वि०	0.00		+0.05

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 4,934 के कारण है।

(2)	277 शिक्षा			
	01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1,07.10
	पुनर्वि०	0.00		+1,07.10

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 83,18,419 एवं ₹ 23,91,890 के कारण है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	02 अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.15
	पुनर्वि०	0.00		+0.15
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 15,000 के कारण है।			
(4)	03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	14.78
	पुनर्वि०	0.00		+14.78
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 14,77,695 के कारण है।			
(5)	06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	14.48
	पुनर्वि०	0.00		+14.48
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 12,86,955 एवं ₹ 1,61,103 के कारण है।			
(6)	14 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.11
	पुनर्वि०	0.00		+0.11
	वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 10,648 के कारण है।			
(7)	91 जिला योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1,22.61
	पुनर्वि०	0.00		+1,22.61
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 1,21,10,681 एवं ₹ 1,50,436 के कारण है।			
(8)	800 अन्य व्यय			
	04 वित्त एवं विकास निगम को आर्थिक सहायता			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.50
	पुनर्वि०	0.00		+1.50
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 1,50,000 के कारण है।			

क्रम सं०	खाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(9)	91 जिला योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	4.50
	पुनर्वि०	0.00		+4.50
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2003-04 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः 2,00,000 एवं ₹ 2,50,000 के कारण है।			
(10)	02 समाज कल्याण			
	01 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 एकीकृत अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी अधिष्ठान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.13
	पुनर्वि०	0.00		+1.13
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 1,12,501 के कारण है।			
(11)	77 शिक्षा			
	01 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	11.50
	पुनर्वि०	0.00		+11.50
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹37,397 एवं ₹ 3,12,135 के कारण है।			
(12)	3 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय एवं उसका अनुरक्षण			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.54
	पुनर्वि०	0.00		+0.54
	वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 53,860 के कारण है।			
(13)	4 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास एवं उसका अनुरक्षण			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	6.29
	पुनर्वि०	0.00		+6.29
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-2002 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 10,129 एवं ₹ 1,38,590 के कारण है।			
(14)	7 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	जिला योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	13.82
	पुनर्वि०	0.00		+13.82
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-2002 एवं 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 2,300 एवं ₹ 12,00,000 के कारण है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुा	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(15)	800 अन्य व्यय			
	91 एकीकृत अनुसूचित जनजाति विकास परियोजना का चलन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0)	3.43 +3.43
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-2002 के आपत्तिगत बही उचन्त केमायोजन ₹ 3,43,461 के कारण है।			
(16)	03 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
	05 कक्षा 1 से 10 के पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छाति एवं अनार्वतक सहायता			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0)	3.05 -3.05
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-2002 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन ₹ 3,05,480 के कारण है।			
(17)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	01 पुर्नवास			
	102 पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित			
	01 पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापितों का पुनर्वास			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	00	2.03 +2.03
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-2002 एवं 2002-03 के आपगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 2,02,821 एवं ₹ 562 के कारण है।			
(18)	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योज			
	मूल	0.01		
	पूरक	0.00	.01	6.45 +6.44
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 5,09,016 एवं ₹ 1,35,860 के कारण है।			
(19)	02 अनूसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	1.00	1.20 +1.20
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आपगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 1,605 एवं ₹ 1,18,000 के कारण है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(20)	91 जिला योजना			
	मूल	0.01		
	पूरक	0.00	0.00	0.55
	पुनर्वि०	0.00		+0.54
वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 54,900 के कारण है।				
(21)	103 महिला कल्याण			
	08 विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	26.26
	पुनर्वि०	0.00		+26.26
वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 26,26,000 के कारण है।				
(22)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
	03 वृद्ध/किसान पेंशन			
	O	0.00		
	S	0.00	0.00	1,88.04
	R	0.00		+1,88.04
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 1,59,16,258, ₹ 10,88,147 एवं ₹ 18,00,000 के कारण है।				
(23)	98 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना (जिला योजना)			
	O	0.00		
	S	0.00	0.00	1.07
	R	0.00		+1.07
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 1,07,000 के कारण है।				
(24)	2250 अन्य सामाजिक सेवायें			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	13 भरण-पोषण योजना			
	मूल	20.00	20.00	1,20.00
वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,00,00,000 भी सम्मिलित है।				
(25)	91 अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति			
	O	0.00		
	S	0.00	0.00	3.23
	R	0.00		+3.23
वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 3,22,600 के कारण है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(26)	2251 सचिवालय-सामाजिक सवायें 00			
	200 सचिवालय-सामाजिक सवायें			
	03 स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक निर्माण हेतु अनुदान			
	O	0.00		
	S	0.00	0.00	1.25 +1.25
	R	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 1,25,000 के कारण है।

प्रभारित-

- (vii) प्रभारित विनियोग में ₹ 0.40 लाख के व्यय परिलक्षित हुए हैं जो कि वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के परिणामस्वरूप परिलक्षित हैं।

पूँजीगत :

दत्तमत-

- (viii) ₹ 13,73.87 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,49.63 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ix) ₹ 13,73.87 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 11,27.39 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (x) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:
- (1) 4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
- | | | | | |
|---|-------|-------|------|--------|
| 02 समाज कल्याण | | | | |
| 102 बाल कल्याण | | | | |
| 03 स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण | | | | |
| मूल | 15.00 | 15.00 | 2.08 | -12.92 |
- (2) 103 महिला कल्याण
- | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-------|----------|
| 10 कार्यशील महिला छात्रवास | | | | |
| पूरक | 8,58.42 | 8,58.42 | 12.16 | -8,46.26 |
- माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 8,58.42 लाख के प्रावधान कार्यशील महिला छात्रावासों (राज्य योजना) के निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।
- (3) 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम
- | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|------|
| 200 अन्य कार्यक्रम | | | | |
| 03 सैनिक कल्याण | | | | |
| मूल | 1,10.00 | | | |
| पूरक | 2,15.47 | 1,75.84 | 1,75.84 | 0.00 |
| पुनर्वि० | -1,49.63 | | | |

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,49.63 लाख के अभ्यर्पण शासन स्तर से निधि की स्वीकृति न होने के कारण किए गए।

क्रम सं० (1) एवं (2) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xi) दृष्टिगत जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	बचत(-)	(लाख ₹ में)
(1)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूर्णतः परित्यक्त					
	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण					
	190 सांख्यिक क्षेत्र तथा अन्य उपकर्मों में निवेश					
	03 पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंश पूर्ण	20.00	20.00		0.00	-20.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(2)	277 शिक्षा					
	01 केंद्रीय आयाजनागत/केंद्र परीक्षणित योजनाएं	50.00	50.00		0.00	-50.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(3)	4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूर्णतः परित्यक्त					
	02 समाज कल्याण					
	102 बाल कल्याण					
	01 केंद्रीय आयाजनागत/केंद्र परीक्षणित योजनाएं	1,00.01	1,00.01		0.00	-1,00.01
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(4)	04 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्यस्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण	25.00	25.00		0.00	-25.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(5)	103 महिला कल्याण					
	09 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण	25.00	25.00		0.00	-25.00
(6)	104 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण					
	01 केंद्रीय आयाजनागत/केंद्र द्वारा परीक्षणित योजना	10.00	10.00		0.00	-10.00
(7)	04 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह	50.00	50.00		0.00	-50.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(8)	190 सांख्यिक क्षेत्र तथा अन्य उपकर्मों में निवेश					
	03 विकलांगों हेतु स्वरोजगार अंशपूर्णा (49% के0स0)	10.00	10.00		0.00	-10.00
(9)	4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूर्णतः परित्यक्त					
	800 अन्य व्यय					
	03 हज हाकस का निर्माण	50.00	50.00		0.00	-50.00
	पूरक	50.00	50.00		0.00	-50.00

माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 50.00 लाख का प्रावधान हज हाउस के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(10)	07 बेरोजगारों अल्पसंख्यक महिलाओं को सिलाई आदि का प्रशिक्षण मूल	25.00	25.00	0.00	-25.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				
(11)	08 अल्प संख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय				
02	समाज कल्याण				
103	महिला कल्याण				
06	किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण				
	मूल	1,00.00	1,00.00	1,50.00	+50.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2230 श्रम तथा रोजगार

दत्तमत—

मूल	52,32,69			
		72,17,76	60,09,72	-12,08,04
पूरक	19,85,07			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				1,54,69

पूंजीगत :

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	1,15,00			
		8,37,68	6,71,20	-1,66,48
पूरक	7,22,68			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 12,08.04 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,54.69 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 12,08.04 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 19,85,07 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

- | | | | | |
|-----|---|---------|---------|---------|
| (1) | 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | | | |
| | 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति | | | |
| | 102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना | | | |
| | 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें | | | |
| | मूल | 6,74.07 | | |
| | | | 6,30.76 | 6,29.65 |
| | पुनर्वि० | -43.31 | | -1.11 |

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 43.31 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(2) 2230 श्रम तथा रोजगार

01 श्रम

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 श्रम विभाग का अधिष्ठान

मूल 1,53.76

पूरक 5.55 1,19.43 1,19.17 -0.26

पुनर्वि० -39.88

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5.55 लाख की वृद्धि श्रम विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 11-08-2010 को ₹ 3.25 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 36.63 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

(3) 101 औद्योगिक सम्बन्ध

03 विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन

मूल 3,16.14

पूरक 90.75 4,03.45 3,75.34 -28.11

पुनर्वि० -3.44

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 90.75 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.44 लाख के अभ्यर्पण वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए।

(4) 05 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान

मूल 1,03.51

पूरक 35.00 1,04.71 1,04.03 -0.68

पुनर्वि० -33.80

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 35.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 33.80 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

(5) 102 कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा

03 निरीक्षण अधिष्ठान

मूल 60.67

पूरक 7.30 47.09 56.65 +9.56

पुनर्वि० -20.88

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 9,87,000 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7.30 लाख की वृद्धि निरीक्षण अधिष्ठान के अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 20.88 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	103 सामान्य श्रम कल्याण			
	03 श्रमिक कल्याण की विविध योजनायें/कल्याण केन्द्र			
	मूल	62.32		
			46.69	48.48
	पुनर्वि०	-15.63		+1.79
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,01,195 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 15.63 लाख के अभ्यर्ण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(7)	02 रोजगार सेवाएं			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान			
	मूल	4,72.02	4,72.02	4,08.36
				-63.66
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,16,058 भी सम्मिलित है।			
(8)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	17.02	17.02	11.53
				-5.49
(9)	03 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना (पिछड़े वर्ग हेतु)			
	मूल	1,03.26	1,03.26	81.16
				-22.10
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 45,445 भी सम्मिलित है।			
(10)	04 सेवायोजन कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों का सुदृढीकरण			
	मूल	5.75	5.75	4.07
				-1.68
(11)	06 समस्त कैरियर केन्द्रों की नेटवर्किंग			
	मूल	4.50	4.50	2.96
				-1.54
(12)	03 प्रशिक्षण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 प्रशिक्षण एवं रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान			
	मूल	1,56.16		
			1,94.16	1,60.71
				-33.45
	पूरक	38.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 38.00 लाख की वृद्धि प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग के अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
(13)	003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
	03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान			
	मूल	25,40.29		
			40,51.38	32,27.73
				-8,23.65
	पूरक	15,11.09		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 6,35,288 एवं ₹ 14,020 भी सम्मिलित है।			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 15,11.09 लाख की वृद्धि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कठपुडिया, जौरासी, अगस्त्यमुनि, वामस्यूं, सराई खेत एवं चौथान पट्टी के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(14)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण मूल	2,00.00	2,00.00	48.35	-1,51.65
(15)	08 औद्योगिक प्रशिक्षण सलाहकार समिति मूल	9.60	19.80	18.46	-1.34
	पूरक	10.20			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10.20 लाख की वृद्धि राजकीय औद्योगिक सलाहकार समिति के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(16)	102 शिक्षता प्रशिक्षण 03 शिक्षता प्रशिक्षण योजना मूल	10.00	10.00	1.87	-8.13

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2230 श्रम तथा रोजगार 01 श्रम				
	103 सामान्य श्रम कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	2.00	2.00	0.00	-2.00
(2)	03 प्रशिक्षण 003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 09 नए व्यवसाय एवं अतिरिक्त यूनिट खोला जाना मूल	47.67	47.67	0.00	-47.67

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2230 श्रम तथा रोजगार 01 श्रम				
	101 श्रम तथा रोजगार				

कम लेखाधीन सं0
 कल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य(+)
 बचत(-)
 (लाख ₹ में)

04 राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड
 मूल 16.06
 प्रक 1.60
 पुनर्बि0 3.25
 प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1.60 लाख की वृद्धि राज्य श्रम सलाहकार संविदा परिषद के आधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
 प्राधान्य में पुनर्निर्धारित अनुदान द्वारा दिनांक 11-08-2011 को ₹ 3.25 लाख की वृद्धि मानदेय एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2) 03 प्रशिक्षण
 003 दस्तकारों तथा पदवेक्षकों का प्रशिक्षण
 01 केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र पुनर्निर्धारित योजनाएं
 मूल 2,37.08
 प्रक 2,85.58
 वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बड़ी उचल का समायोजन ₹ 33,217 भी सम्मिलित है।
 प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,85.58 लाख की वृद्धि योजना के आधिष्ठानिकीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु मशीन एवं उपकरणों की खरीद के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
 उपरोक्त क्रम सं0 (1) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत तथा क्रम सं0 (2) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण संवित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

पूर्वगत :
 दलगत-

(vi) ₹ 1,66.48 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अस्पष्ट हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
 (vii) ₹ 1,66.48 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूर्वक अनुदान ₹ 7,22.68 लाख अधिक सिद्ध हुए।
 (viii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुईं:

(1) 4216 आवास पर पूर्वागत परिव्यय
 80 सामान्य
 001 निर्देशन तथा प्रशासन
 03 श्रमव्यवस्था के अधीन आवासीय/अनवासीय भवन/भूमि क्रय
 मूल 15.00
 प्रक 85.00
 प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 85.00 लाख की वृद्धि श्रमव्यवस्था कार्यालय के आवासीय एवं अनवासीय भवनों के निर्माण एवं भूमि के कय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(2) 003 प्रशिक्षण

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

पूरक

2,37.68

2,37.68

1,19.67

-1,18.01

माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,37.68 लाख का प्रावधान प्रशिक्षण योजना के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (75% के०स०) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

- 2401 फसल कृषि कर्म
- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण
- 2415 कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा

दत्तमत—

मूल	3,70,64,52			
		4,31,49,32	3,48,78,15	-82,71,17
पूरक	60,84,80			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				22,30,86

पूंजीगत :

- 4401 फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
- 6401 फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	1,35,00			
		12,80,00	43,61,86	+30,81,86
पूरक	11,45,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				16,96

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 82,71.17 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 22,30.86 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 82,71.17 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 60,84.80 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2401 फसल कृषि कर्म			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान			
	मूल	1,19,83.90		
	पूरक	7,29.60	1,26,70.31	61,95.30
	पुनर्वि०	-43.19		-64,75.01
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,87,624 एवं ₹ 28,56,228 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7,29.60 लाख की वृद्धि कृषि विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	102 खाद्यान्नों की फसलें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	21,90.60		
			20,95.53	20,99.62
	पुनर्वि०	-95.09		+4.09
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,84,164 एवं ₹ 12,870 भी सम्मिलित है।			
(3)	03 स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम			
	मूल	14.01		
			9.73	9.66
	पुनर्वि०	-4.28		-0.07
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,501 भी सम्मिलित है। उपरोक्त क्रम सं० (1) से (3) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(4)	04 खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम			
	मूल	58.90		
			37.19	37.19
	पुनर्वि०	-21.71		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 21.71 लाख के अभ्यर्पण अनाज सुरक्षा कार्यक्रम हेतु प्राविधानित सहायक अनुदान में बचत के कारण किए गए।			
(5)	103 बीज			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	40.00		
			10,18.42	9,96.14
	पुनर्वि०	9,78.42		-22.28
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,18,425 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 02-12-2010 को ₹ 9,78.42 लाख की वृद्धि बीजों के उत्पादन एवं इनके वितरण हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की आवश्यकता हेतु किया गया।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(6)	03 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र मूल	57.00	23.82	25.00	+1.18
	पुनर्वि०	-33.18			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01-12-2010 को ₹ 27.00 लाख की कमी उत्तराचल बीज एवं तराई विकास कारपोरेशन के द्वारा निधि का उपयोग न हो पाने के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 6.18 लाख के अभ्यर्पण मजदूरी, विद्युत एवं उपादान में हुई बचत के कारण किए गए।				
(7)	107 वनस्पति संरक्षण 91 जिला योजना मूल	1,20.00	1,13.80	1,13.80	0.00
	पुनर्वि०	-6.20			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 6.20 लाख के अभ्यर्पण कृषि रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित उपादान में हुई बचत के कारण किए गए।				
(8)	108 वाणिज्यिक फसलें 03 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का अधिष्ठान मूल	9,00.88	8,50.76	8,57.73	+6.97
	पुनर्वि०	-50.12			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 5,659 एवं ₹ 6,92,000 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 50.12 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(9)	109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण (100%) 03 कृषि तकनीकी हस्तान्तरण योजना मूल	54.00	51.59	51.59	0.00
	पूरक	54.40			
	पुनर्वि०	-56.81			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 54.40 लाख की वृद्धि कृषि तकनीक हस्तान्तरण योजना के अन्तर्गत मानदेय, प्रकाशन, विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01-12-2010 को ₹ 53.40 लाख की कमी मानदेय में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.41 लाख के अभ्यर्पण विज्ञापन, बिक्री, प्रकाशन एवं अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(10)	110 फसल बीमा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	2,00.00	3,60.58	3,82.88	+22.30
	पूरक	4,00.00			
	पुनर्वि०	-2,39.42			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि किसानों के फसल बीमा हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 02-12-2010 को ₹ 2,39.42 लाख की कमी किसानों के फसल बीमा (50% के0स0) के अन्तर्गत अन्य व्यय में हुई बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(11)	111 कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	25.08		
	पूरक	21.22	32.12	34.13
	पुनर्वि०	-14.18		+2.01

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,00,841 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 21.22 लाख की वृद्धि फसल उत्पादन प्राकलन योजना एवं कृषि गणना सुधार योजना के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 14.18 लाख के अभ्यर्पण कृषि सुधार योजना के अन्तर्गत अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

(12)	800 अन्य योजनायें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	14,82.00		
	पूरक	17,24.24	20,65.54	20,65.54
	पुनर्वि०	-11,40.70		0.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 17,24.24 लाख की वृद्धि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 02-12-2010 को ₹ 7,39.00 लाख की कमी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (100% के0स0) में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4,01.70 लाख के अभ्यर्पण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में हुई बचत के कारण किए गए।

(13)	04 कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण			
	मूल	45.01		
	पूरक	74.51	98.24	98.26
	पुनर्वि०	-21.28		+0.02

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 74.51 लाख की वृद्धि कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01-12-2010 को ₹ 80.40 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,01.68 लाख के अभ्यर्पण विद्युत, कार्यालय फर्नीचर, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान एवं रख-रखाव में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(14)	05 जलागम प्रबन्ध निदेशालय मूल	23.59	18.54	24.54	+6.00
	पुनर्वि०	-5.05			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.05 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				

(15)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	1,07,45.62	1,01,95.64	1,01,87.63	-8.01
	पुनर्वि०	-5,49.98			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 6,99,060 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5,49.98 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				

(16)	2415 कृषि अनुसंधान 80 सामान्य 120 अन्य संस्थाओं को सहायता 05 पन्तनगर विश्वविद्यालय में वाह्य शोध केन्द्रों का निर्माण मूल	1,50.00	2,82.90	2,82.90	0.00
	पूरक	9,50.00			
	पुनर्वि०	-8,17.10			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 9,50.00 लाख की वृद्धि पंतनगर विश्वविद्यालय में वाह्य शोध केन्द्रों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8,17.10 लाख के अभ्यर्पण विभिन्न कारणों से होना सूचित किया गया।				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2401	फसल कृषि कर्म 00				
113	कृषि इंजीनियरिंग 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुनोनिधानित योजनाएं मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,00.00			

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

2402	मृदा तथा जल संरक्षण 00				
101	मृदा संरक्षण तथा परीक्षण				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

03	मृदा एवं जल संरक्षण			
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	-4.01		
		45.99	77.75	+31.76

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 20,04,015 एवं ₹ 10,53,085 भी सम्मिलित है।
दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.01 लाख के अभ्यर्पण लघु निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुए:

(1)	2401 फसल कृषि कर्म			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.02
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,330 के कारण है।

(2)	03 मधुमक्खी पालन (जिला योजना)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.14
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 1,13,522 तथा ₹ 464 के कारण है।

(3)	102 खाद्यान्न फसलें			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.07
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 6,569 के कारण है।

(4)	112 दलहनों का विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.48
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 48,217 के कारण है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	114 तिलहन विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.79
	पुनर्वि०	0.00		+0.79
	वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 79,250 के कारण है।			
(6)	119 बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.82
	पुनर्वि०	0.00		+0.82
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 79,465 तथा ₹ 3,000 के कारण है।			
(7)	03 औद्योगिक विकास			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	3,78.41
	पुनर्वि०	0.00		+3,78.41
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 2,48,80,961, ₹ 1,28,31,006 तथा ₹ 1,29,150 के कारण है।			
(8)	07 शहतूत की खेती एवं रेशम विकास			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.85
	पुनर्वि०	0.00		+0.85
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 4,000, ₹ 51,048 तथा ₹ 29,982 के कारण है।			
(9)	09 जड़ी बूटी संस्थान को सहायक अनुदान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	5.00
	पुनर्वि०	0.00		+5.00
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 5,00,000 के कारण है।			
(10)	91 जिला योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	3.00
	पुनर्वि०	0.00		+3.00
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 2,57,770 तथा ₹ 42,316 के कारण है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(11)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पुरक	0.00	0.00	0.04
	पुनर्वि०	0.00		+0.04

वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 4,264 के कारण है।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vii) दत्तमत अनुदान में ₹ 30,81.86 लाख के व्ययाधिक्य हुए। आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है। यदि इस अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त वसूली की राशि ₹ 29,41.16 लाख लेखे में सम्मिलित कर ली जाए तब भी ₹ 1,40.70 लाख के आधिक्य रहेंगे।

(viii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
00				
800	अन्य व्यय			
03	कृषि निदेशालय का भवन निर्माण			
	मूल	50.00		
			33.04	33.04
	पुनर्वि०	-16.96		0.00

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 16.96 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण की गई।

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	6401 फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज			
	00			
	109 वाणिज्यिक फसलें			
	03 एन०सी०डी०सी० योजना उर्वरक गोदाम निर्माण हेतु ऋण			
	मूल	35.00	35.00	0.00
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			-35.00

(x) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
	00			
	103 बीज			
	03 खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित			
	मूल	0.00		
	पुरक	0.00	0.00	24,08.83
	पुनर्वि०	0.00		+24,08.83

अनुदान सं० 18 सहकारिता

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2425 सहकारिता			
दत्तमत—			
मूल	29,56,91		
पूरक	1,22,37	30,79,28	25,92,23
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			-4,87,05
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00

पूंजीगत :

4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
6425 सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	8,50,20			
पूरक	00	8,50,20	1,01,83	-7,48,37
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 4,87.05 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध कोई राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 4,87.05 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,22.37 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2425 सहकारिता			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण			
	मूल	8,14.30		
	पूरक	16.28	8,30.58	8,16.54
				-14.04

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 7,402 एवं ₹ 1,63,901 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 16.28 लाख की वृद्धि सहकारिता के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	05 सहकारिता न्यायाधिकरण मूल	36.78		
			37.23	31.02
	पूरक	0.45		-6.21
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 0.45 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं एवं किराये के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	800 अन्य व्यय			
	04 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)			
	मूल	3,00.00	3,00.00	41.78
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,79,000 भी सम्मिलित है।			-2,58.22
(4)	13 सहकारी सहभागिता योजना			
	मूल	10,23.70	10,23.70	9,58.37
				-65.33
(5)	26 अटल आदर्श ग्राम योजना हेतु वित्तीय सहायता			
	मूल	2,22.00	2,22.00	1,76.32
				-45.68

उक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2425 सहकारिता				
	00				
	800 अन्य व्यय				
	19 वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियां लागू करना				
	मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(2)	24 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि० को भवन निर्माण हेतु सहायता				
	मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
	उक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(11)	800 अन्य व्यय			
	03 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा			
	मूल	18,23.71		
	पूरक	3,91.60	21,53.27	21,57.88
	पुनर्वि०	-62.04		+4.61
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,79,275, ₹ 31,199 एवं ₹ 7,41,055 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,91.60 लाख की वृद्धि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 62.04 लाख के अभ्यर्पण कोई लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(12)	04 वन पंचायत			
	मूल	42.34		
	पूरक	38.60	77.82	43.77
	पुनर्वि०	-3.12		-34.05
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 38.60 लाख की वृद्धि वन पंचायत विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.12 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(13)	05 पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ			
	मूल	13.97		
	पुनर्वि०	-2.79	11.18	11.51
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2.79 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(14)	06 राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकायों आदि हेतु)			
	मूल	1,12.42		
	पूरक	4.53	1,13.21	1,16.16
	पुनर्वि०	-3.74		+2.95
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,33,000 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4.53 लाख की वृद्धि राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकायों के लिए) अन्य भत्ते, विद्युत व्यय एवं अवकाश यात्रा रियायत में हुई बचत के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3.74 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(15)	07 राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय)			
	मूल	1,55.79		
	पूरक	11.52	1,53.37	1,53.56
	पुनर्वि०	-13.94		+0.19
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 18,059 भी सम्मिलित है।			

(+) प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 11.52 लाख की वृद्धि राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तर पर) के कर्मियों को मजदूरी एवं मानदेय के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 13.94 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(16)	08 ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर वेतन आदि के लिए व्यवस्था			
	मूल	43,60.91		
	पूरक	7.20	40,64.33	42,61.94
	पुनर्वि०	-3,03.78		+1,97.61

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 71,63,587, ₹ 5,98,287, ₹ 10,43,186 एवं ₹ 58,501 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7.20 लाख की वृद्धि ग्रामीण स्थानीय निकाय के कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित हुए हैं के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3,03.78 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए-

- पशुधन विभाग के अधिष्ठान व्ययों में बचत
- स्वीकृत पदों के विरुद्ध कर्मियों की नियुक्ति न होना।
- समाज कल्याण विभाग के अधिष्ठान व्ययों में बचत (सहायक विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी)
- चिकित्सा विभाग के अधिष्ठान व्ययों में बचत (ए0एन0एम0, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नियमित दाई)
- सिंचाई विभाग के अधिष्ठान व्ययों में बचत-नलकूप ओपरेटर, ग्राम पंचायत के अधीन मिस्त्री

(17)	09 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुश्रवण परिषद की स्थापना			
	पूरक	20.00		
			14.84	13.58
	पुनर्वि०	-5.16		-1.26

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 20.00 लाख के प्रावधान ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुश्रवण परिषद की स्थापना हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.16 लाख के अभ्यर्पण कोई लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

- (1) 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
00
- 102 सामुदायिक विकास

कम लेखाशीर्ष (लाख ₹ में)
 स०
 आधेक्य(+) बचत(-)

13 प्रसार शिक्षण कर्मी में प्रशिक्षण हेतु अनुदान
 मूल 1.00
 पुनर्शिर्ष -1.00
 वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राध्वान अप्रयुक्त रहे थे।
 दिनांक 31-03-2011 को सम्पूर्ण प्राध्वान का अस्पष्टण कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।

(2) 14 जमान तकनीकी सहयोग परियोजना
 मूल 5.00
 पुनर्शिर्ष -5.00
 दिनांक 31-03-2011 को सम्पूर्ण प्राध्वान का अस्पष्टण कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।

(3) 19 निबल वर्ग आवास योजनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति
 मूल 15,40.00
 पुनर्शिर्ष -15,40.00
 दिनांक 31-03-2011 को सम्पूर्ण प्राध्वान का अस्पष्टण ऋणों के भुगतान हेतु सहमति प्राप्त न होने के कारण किए गए।

(v) आधेक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1) 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
 00
 102 सामुदायिक विकास
 01 कर्तीय आयोजनागत/कन्द द्वारा पुनर्निर्धारित योजनाएं
 मूल 31.78
 पुनर्शिर्ष 0.57
 वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन का समाधान ₹ 44,22,330 भी सम्मिलित है।

प्राध्वान में पुनर्निर्धारित द्वारा दिनांक 21-03-2011 को ₹ 2.42 लाख की वृद्धि बायो गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अधिष्ठान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.85 लाख के अस्पष्टण उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण किए गए।

(2) 03 अधिष्ठान
 मूल 59,77.21
 पूरक 6,07.00
 पुनर्शिर्ष -1,88.25
 वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन का समाधान ₹ 4,07,05,165, ₹ 1,30,191, ₹ 18,998 एवं ₹ 25,626 भी सम्मिलित है।
 प्राध्वान में अनुपूरक अनुदान द्वारा सहितितम्बर 2010 को ₹ 6,07,00 लाख की वृद्धि सामुदायिक विकास योजना के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
 दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,88,25 लाख के अस्पष्टण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्याधियाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
	800 अन्य व्यय			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	16.21
	पुनर्वि०	0.00		+16.21
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 6,34,000 तथा ₹ 9,87,400 के कारण है।			
(2)	91 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुनोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	90.58
	पुनर्वि०	0.00		+90.58
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 6,44,000, ₹ 68,63,700 तथा ₹ 15,50,033 के कारण है।			
(3)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
	04 विधायक निधि			
	मूल	1,09,34.00	1,09,34.00	1,13,09.00
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,75,00,000 भी सम्मिलित है।			
(4)	08 बी०डी०एस० के लिए रिवाल्विंग फण्ड			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.18
	पुनर्वि०	0.00		+0.18
	वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 17,520 के कारण है।			

पूँजीगत :

दत्तमत—

- (vii) ₹ 13,19.71 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 13,35.90 लाख अभ्यर्पित किए गए।
- (viii) ₹ 13,19.71 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 7,44.66 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	102 सामुदायिक विकास			
	03 प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एन.पी.बी. का भुगतान मूल	50,00.00		
			40,52.64	40,52.64
	पुनर्वि०	-9,47.36		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 9,47.36 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए।			
(2)	05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय का भुगतान मूल	7,70.00		
			4,59.66	4,59.66
	पुनर्वि०	-3,10.34		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3,10.34 लाख के अभ्यर्पण कोई लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(3)	91 जिला योजना			
	मूल	5,50.00		
	पूरक	7,44.66	12,86.46	13,02.65
	पुनर्वि०	-8.20		+16.19
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के ₹ 16,19,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7,44.66 लाख की वृद्धि निम्न कारणों से की गई-			
	➤ जिला विकास कार्यालयों (जिला योजना) के भवनों का निर्माण एवं			
	➤ खण्ड विकास कार्यालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.20 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए।			
	(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	102 सामुदायिक विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	20.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-20.00		0.00
	वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। दिनांक 31-03-2011 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(2)	04 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण कोई लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान/
विनियोग

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)
बचत (-)
(हजार ₹ में)

राजस्व :

- 2700 मुख्य सिंचाई
2701 मध्यम सिंचाई
2702 लघु सिंचाई
2705 कमान क्षेत्र विकास
2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास

दत्तमत—

मूल	2,74,55,03			
		2,83,61,58	3,11,24,11	+27,62,53
पूरक	9,06,55			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				33,03

भारित—

मूल	2			
		2	00	-2
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

पूँजीगत :

- 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	4,18,38,39			
		4,23,88,39	4,24,35,31	+46,92
पूरक	5,50,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				54,30,86

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) प्रावधान में ₹ 27,62.53 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।
(ii) ₹ 27,62.53 लाख की अन्तिम आधिक्य को देखते हुए ₹ 9,06.55 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(4)	2701 मध्यम सिंचाई 11 दून नहरें 101 रख-रखाव और मरम्मत 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	3,44.45	3,44.45	3,82.13	+37.68
(5)	12 हरिपुरा/बौर बांध व नहरें 101 हरिपुरा/बौर बांध व नहरें 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	2,72.25	2,72.25	2,81.24	+8.99
(6)	80 सामान्य 799 उचन्त 03 भन्डार मूल पूरक पुनर्वि०	0.00 0.00 0.00	0.00	18,39.19	+18,39.19
(7)	800 अन्य व्यय 05 प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि मूल	51.60	51.60	54.66	+3.06
(8)	2702 लघु सिंचाई 03 रख-रखाव 102 लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ 03 अनुरक्षण कार्य मूल	5,96.40	5,96.40	6,27.44	+31.04
(9)	80 सामान्य 800 अन्य व्यय 91 जिला योजना मूल	2,99.01	2,99.01	3,01.68	+2.67
(10)	2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास 01 बाढ़ नियन्त्रण 103 सिविल निर्माण कार्य 03 सिविल निर्माण कार्य मूल	3,85.00	3,85.00	3,86.04	+1.04

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2701 मध्यम सिंचाई 01 मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 निदेशन तथा प्रशासन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	32.03
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के कमशः ₹ 29,17,991, ₹ 80,187 एवं ₹ 2,05,280 के कारण है।			+32.03
(2)	04 कार्यभारित अधिष्ठान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	2,78.11
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के कमशः ₹ 1,44,02,291, ₹ 64,73,559, ₹ 1,08,891 एवं ₹ 68,25,759 के कारण है।			+2,78.11
(3)	05 सिंचाई विभाग के वर्कशाप/कार्यभारित अधिष्ठान के दैनिक सेवकों एवं कामगारों हेतु एकमुश्त व्यवस्था			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	34.02
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के कमशः ₹ 23,34,469, ₹ 5,64,055, ₹ 1,78,076 एवं ₹ 3,25,534 के कारण है।			+34.02
(4)	06 सिंचाई विभाग के सरप्लस स्टॉफ के अधिष्ठान व्यय			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	8.45
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 8,44,847 के कारण है।			+8.45

(vii) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अन्तर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशाप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	मूल	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	02 अन्य रख-रखाव व्यय				
	मूल	45,12.10			
	पुनर्वि०	-4,79.86	40,32.24	39,72.59	-59.65
(3)	05 सिंचाई विभाग की नई योजनायें				
	800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,20,00.00			
	पुनर्वि०	-25,16.98	94,83.02	53,16.47	-41,66.55
(4)	07 उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार				
	800 अन्य व्यय				
	02 अन्य रख-रखाव व्यय				
	मूल	6,61.34			
	पुनर्वि०	-1,21.44	5,39.90	5,94.29	+54.39
(5)	15 टिहरी बांध परियोजना का पुनर्वास				
	800 अन्य व्यय				
	02 अन्य रख-रखाव कार्य				
	मूल	10,00.00			
	पूरक	2,00.00	10,00.00	10,00.00	0.00
	पुनर्वि०	-2,00.00			
<p>प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि टिहरी बांध परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p>					
(6)	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
	80 सामान्य				
	005 सर्वक्षण तथा अनुसंधान (किशाउ बांध सम्मिलित करते हुए)				
	03 निर्माण कार्य				
	मूल	1,00.00			
	पुनर्वि०	-14.17	85.83	83.71	-2.12
(7)	800 अन्य व्यय				
	03 जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के लिए जलाशयों एवं कन्टूर ट्रैच आदि का निर्माण				
	मूल	50.00			
	पूरक	50.00	12.00	11.98	-0.02
	पुनर्वि०	-88.00			
<p>प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि जलाशयों एवं कन्टूर ट्रैच आदि के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p>					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(8)	04 अपर यमुना रिवर बोर्ड हेतु रिजर्व व बिल्डिंग फंड मूल 60.00 पुनर्वि० -30.00	30.00	30.00	0.00
उपरोक्त क्रम सं० (1) से (8) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।				
(9)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (90% के०स०) मूल 1,60,00.02	1,60,00.02	1,11,20.17	-48,79.85
(10)	04 अटल आदर्श ग्रामों में सिंचाई सुविधा मूल 2,00.00	2,00.00	1,97.41	-2.59
(11)	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियन्त्रण 103 सिविल निर्माण कार्य 03 अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव मूल 3,00.00 पूरक 2,00.00 पुनर्वि० -2,53.71	2,46.29	2,46.29	0.00
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।				
(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 05 सिंचाई विभाग की नई योजनायें 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल 1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।				
(xiv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:				
(1)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें 800 अन्य व्यय			

कम लेखाशीर्ष वसुलीक व्यय कुल अनुदान वार्षिक व्यय आधिक्य(+)
 बचत(-)
 (लाख ₹ में)

02 अन्य रख-रखाव व्यय	मूल	59,43.87	1,00.00	64,41.95	65,73.66	+1,31.71
	पूरक		3,98.08			
	पुनर्वित्त					
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि राज्य सेक्टर से माँव नहरों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्वित्तियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2011 को ₹ 6,00.00 लाख की वृद्धि नाबाल्ड योजना के अन्तर्गत नलकैप/लघु जल नहरों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,01.92 लाख के अन्वेषण के कारण संचित नहीं किए गए।						

(2)	11 उद्योग	मूल	0.00	0.00	42,88.04	+42,88.04
	799 उद्योग	पूरक				
	03 मण्डल	पुनर्वित्त				
(3)	04 विविध कार्य अधिम	मूल	0.00	0.00	5,65.04	+5,65.04
		पूरक				
		पुनर्वित्त				

(4)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	मूल	0.00	0.00	66,54.75	+66,54.75
	800 अन्य व्यय	पूरक				
	91 उद्योग-उद्योग से निर्माण कार्य को सामग्री का निर्माण	पुनर्वित्त				

(5)	4711 बाँध नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	मूल	7,50.00	7,50.00	16,36.52	+8,86.62
	01 बाँध नियन्त्रण	पूरक				
	103 सिंचित निर्माण कार्य	पुनर्वित्त				
	01 केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा परियोजनागत योजनाएं					

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण संचित नहीं किए गए (अप्रैल 2011)।

(xv) उद्योग लेन-देन:

दिवाली (vii) के अनुसार

उद्योग लेन-देन का विवरण-सिंचाई विभाग के वर्ष 2010-2011 के पूंजी प्रमाण परिशिष्ट (iv) में दिया गया है।

अनुदान सं० 21 ऊर्जा

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2801 बिजली
2810 वैकल्पिक ऊर्जा

दत्तमत—

मूल	8,42,35		
		9,02,35	9,49,50
पूरक	60,00		+47,15
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			2,27

पूँजीगत :

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
6801 बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज

दत्तमत—

मूल	3,85,65,04		
		3,96,33,99	1,09,65,03
पूरक	10,68,95		-2,86,68,96
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			2,15,95,66

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) अनुदान में ₹ 47.15 लाख का व्ययाधिक्य परिलक्षित हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता है।
- (ii) ₹ 47.15 लाख के अन्तिम आधिक्य को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 60.00 लाख के अनुपूरक अनुदान पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए।
- (iii) आधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से प्रतिसंतुलित हुए) मुख्यतः निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
2801	बिजली			
	05 पारेषण एवं वितरण			
800	अन्य व्यय			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
पूंजीगत :				
दत्तमत-				
	(vi) ₹ 2,86,68.96 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 2,15,95.66 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।			
	(vii) ₹ 2,86,68.96 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 10,68.95 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।			
	(viii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:			
(1)	4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 जल विद्युत उत्पादन			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	05 ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन			
	मूल	1,10,00.00		
			1,01,50.00	25,00.00
	पुनर्वि०	-8,50.00		-76,50.00
(2)	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	04 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि. में अंशपूंजी			
	मूल	19,75.00		
			15,12.00	15,12.00
	पुनर्वि०	-4,63.00		0.00
(3)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	01 जल विद्युत उत्पादन			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	04 नाबार्ड से जल विद्युत निगम को ऋण			
	मूल	30,00.00		
			24,38.33	24,38.33
	पुनर्वि०	-5,61.67		0.00
(4)	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	91 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ऋण			
	मूल	10,00.00		
	पूरक	10,68.95	15,68.00	11,38.80
	पुनर्वि०	-5,00.95		-4,29.20
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10,68.95 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु की गई।			

उपरोक्त क्रम सं० (1) से (4) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2011 को अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए।

उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (4) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 जल विद्युत उत्पादन			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	06 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश			
	मूल	50,00.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50,00.00		0.00
(2)	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	99,54.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-99,54.00		0.00
(3)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	42,66.00	42,66.00	0.00
				-42,66.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।			

(x) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज				
01 जल विद्युत उत्पादन				
190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश				
97 बाह्य सहायतित योजना				
मूल	7,11.00	7,11.00	17,16.90	+10,05.90
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।				

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2059 लोक निर्माण कार्य			
2216 आवास			
3054 सड़क तथा सेतु			
दत्तमत—			
मूल	3,56,17,14		
		3,80,00,74	-34,94,20
पूरक	23,83,60		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00
प्रभारित—			
मूल	3,97,49		
		3,97,49	-2,91,17
पूरक	00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00
पूंजीगत :			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत—			
मूल	5,58,90,01		
		8,62,75,01	+25,86,65
पूरक	3,03,85,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00
प्रभारित—			
मूल	00		
		50,00	-50,00
पूरक	50,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00
टिप्पणियां एवं टीकायें			

राजस्व :
दत्तमत-

- (i) ₹ 34,94.20 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 34,94.20 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 23,83.60 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2059 लोक निर्माण कार्य 80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 निदेशन मूल 15,65.13 पूरक 2,00.00	17,65.13	17,55.82	-9.31
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 76,61,746 एवं ₹ 10,45,903 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि लोक निर्माण विभाग के निदेशन तथा प्रशासन के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	051 निर्माण 03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड मूल 1,80,70.81 पूरक 15,83.60	1,96,54.41	1,92,41.11	-4,13.30
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2005-06 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 11,20,723, ₹ 34,10,484, ₹ 13,733 एवं ₹ 71,110 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 15,83.60 लाख की वृद्धि वेतन तथा व्यावासायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	102 रख रखाव तथा मरम्मत 06 सर्किट हाऊस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, सामान्य एवं विशेष मरम्मत मूल 1,94.20	1,94.20	1,90.67	-3.53
(4)	3054 सड़क तथा सेतु 01 राष्ट्रीय राजमार्ग 337 सड़क निर्माण कार्य 04 राष्ट्रीय मार्ग अनुरक्षण (100% के०स०) मूल 18,00.00	18,00.00	-12.40	-18,12.40
(5)	04 जिला और अन्य सड़कें 337 सड़क निर्माण कार्य 03 अनुरक्षण एवं मरम्मत मूल 1,11,00.00	1,11,00.00	99,29.26	-11,70.74

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	03 निर्माण			
	मूल	2,55.00	2,55.00	1,86.62
				-68.38

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

3054	सड़क तथा सेतु				
	03 राज्य राजमार्ग				
	337 सड़क निर्माण कार्य				
	03 अनुरक्षण एवं मरम्मत				
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	-5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2059 लोक निर्माण कार्य				
	01 कार्यालय भवन				
	053 रखरखाव तथा मरम्मत				
	03 रखरखाव तथा मरम्मत				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	68.13	+68.13
	पुनर्वि०	0.00			

(2)	80 सामान्य				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	05 कार्य प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु				
	मूल	20,00.00			
			26,00.00	29,61.66	+3,61.66
	पूरक	6,00.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 6,07,949 एवं ₹ 3,05,845 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 6,00.00 लाख की वृद्धि लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मियों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3)	2216 आवास				
	01 सरकारी रिहाइशी भवन (मतदेय)				
	700 अन्य आवास				
	03 निर्माण				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	26.72	+26.72
	पुनर्वि०	0.00			

(xii) उचन लेन-देन "उचन"

लघु शीर्ष "उचन" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेख में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अन्तर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टाक (2) विविध निर्माण कार्य प्रशानियाँ और (3) बर्कशाप उचन।

उचन लेन-देनों की प्रकृति और उचनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

1. स्टाक- इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नाम देना जाता है जो स्टाक के लिये प्राप्त होती है, किन्हीं विशिष्ट कार्य के लिये नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तर्गत कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नाम शेष दिखलायेगा जो स्टाक में रखी गयी सामग्री के खाला मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

2. विविध निर्माण कार्य-प्रशानियाँ- इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्य पर प्राप्त जमा राशियाँ से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न जाली गई नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से बर्सेली योग्य राशियाँ आदि के लिए नाम राशियाँ होती हैं। अतः इस शीर्ष के अन्तर्गत नाम, शेष बर्सेली योग्य राशि का सूचक है।

3. बर्कशाप उचन- विभागीय बर्कशापों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचालनों के प्रभार उचनकी बर्सेली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नाम जाले जाते हैं।

2010-2011 तक की अवधि के लोक निर्माण विभाग के पूंजीगत प्रभाग के उचन लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अन्त शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-V में दिया गया है।

(xiii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हैं:-

क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	बचत(-)	(लाख ₹ में)
------	-----------	------------	---------------	-----------	--------	-------------

(1)	5054 सर्वकारी तथा सैवुओं पर पूंजीगत परिव्यय	50.00	50.00	44.37	-5.63	
	03 राज्य मार्ग					
	052 मशीनरी तथा उपकरण					
	04 उपकरण एवं संयंत्रों का क्रय					

(2)	05 नई खरीद	2,50.00	2,50.00	2,48.85	-1.15	
	मूल					

(3)	101 पुल					
	03 पुलों का निर्माण एवं सुदृढीकरण					
	मूल	16,00.00				
	पूरक	34,00.00	50,00.00	49,77.75	-22.25	

प्राधान्य में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 34,00.00 लाख की वृद्धि पुलों के सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(4)	04 अन्य सड़कें 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	5,00.00	5,00.00	80.09	-4,19.91
(5)	03 राज्य सेक्टर मूल पूरक पुनर्वि०	1,65,00.00 1,89,00.00 -30,00.00	3,24,00.00	3,09,54.96	-14,45.04
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,60,175 भी सम्मिलित है।					
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,89,00.00 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्यों (चालू कार्य) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 को ₹ 30,00.00 लाख की कमी निधि का उपयोग न हो पाने के कारण की गई।					
(6)	04 केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया कार्य (100% के०स०) मूल पूरक	4,00.00 23,35.00	27,35.00	26,57.66	-77.34
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 23,35.00 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्यों (100% के०स०) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(7)	97 विश्व बैंक सहायतित योजना/विश्व बैंक सहायतित योजना के अन्तर्गत सुदृढीकरण मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	2,50,11.30	-49,88.70
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।					
(xiv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:					
(1)	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 जिला तथा अन्य सड़कें 800 अन्य व्यय 06 बाढ़ व भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
(2)	07 क्रोनिक स्लिप जोन के उपचार हेतु व्यवस्था मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(xv) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
800	अन्य व्यय			
	91 जिला योजना			
	मूल	45,00.00		
			72,50.00	
			73,14.80	+64.80
	पूरक	27,50.00		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 64,80,000 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 27,50.00 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्यों (जिला योजना) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

पूंजीगत :
प्रभारित—

(xvi) प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत ₹ 50.00 लाख के प्रावधान वर्षपर्यन्त अप्रयुक्त रहे।

अनुदान सं० 23 उद्योग

आवधिक (+)
बचत (-)
(हजार ₹ में)

कुल अनुदान वार्षिक व्यय

मुख्य लेखाधीन

राजस्व :

- 2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण
- 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
- 2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग
- 3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

दलगत-

मूल

46,09,56

पूरक

18,19,87

वर्ष में अस्पष्टित धनराशि (मार्च 2011)

64,29,43

59,15,18

-5,14,25

पूर्जीगत :

- 4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूर्जीगत परियोजना
- 4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूर्जीगत परियोजना
- 4859 इंटरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूर्जीगत परियोजना
- 4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूर्जीगत परियोजना

दलगत-

मूल

12,80,55

पूरक

1,87,23

वर्ष में अस्पष्टित धनराशि (मार्च 2011)

14,67,78

3,14,73

-11,53,05

टिप्पणियां एवं टीकाएं

राजस्व :

दलगत-

- (i) ₹ 5,14,25 लाख की आन्तम बचत में से काई भी राशि अस्पष्टित हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 5,14,25 लाख की आन्तम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 18,19,87 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान

मूल 5,38.06

5,47.56

4,01.34

-1,46.22

पूरक 9.50

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2011 को ₹ 9.50 लाख की वृद्धि योजना के अन्तर्गत कम प्रावधान के आवंटन के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1) 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

102 लघु उद्योग

20 उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना

मूल 10.00

10.00

0.00

-10.00

(2) 21 क्लस्टर विकास योजना

मूल 15.00

15.00

0.00

-15.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1) 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

102 लघु उद्योग

26 सिडकुल हेतु जांच आयोग का गठन

मूल 10.00

पूरक 5.00

16.50

16.49

-0.01

पुनर्वि० 1.50

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि सिडकुल जांच आयोग के गठन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-03-2011 को ₹ 1.50 लाख की वृद्धि योजना के अन्तर्गत कम प्रावधान के आवंटन के कारण की गई।

(2) 103 हथकरघा उद्योग

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

मूल 50.00

पूरक 1,50.00

2,15.00

2,15.00

0.00

पुनर्वि० 15.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि हथकरघा, बुनकरों एवं छीपियों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए सहायक अनुदान प्रदान करने हेतु की गई।

- (-)
(-)
(-)
- प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24-03-2011 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि हथकरघा, बुनकरों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
	60 अन्य			
	800 अन्य व्यय			
	03 राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण			
	मूल	20.00		
			79.31	79.31
	पुनर्वि०	59.31		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-03-2011 को ₹ 59.31 लाख की वृद्धि योजना के अन्तर्गत कम प्रावधान के आवंटन के कारण की गई।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुए:

(1)	2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
	02 खानों का विनियमन तथा विकास			
	003 प्रशिक्षण			
	03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.76
	पुनर्वि०	0.00		+1.76

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन क्रमशः ₹ 1,13,282 तथा ₹ 63,000 के कारण है।

(2)	3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
	60 अन्य			
	004 अनुसंधान तथा विकास			
	03 उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला नैनीताल एवं इसका समेकन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	5.46
	पुनर्वि०	0.00		+5.46

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 5,46,114 के कारण है।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 11,53.05 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 11,53.05 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 1,87.23 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	102 लघु उद्योग			
	05 डी.आई.सी के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	1,14.50	1,14.50	1,07.50
				-7.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत के अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2011)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय				
	00				
	103 सरकारी मुद्रणालय				
	03 सरकारी मुद्रणालय में मशीनें तथा उपकरणों एवं सयंत्रों का क्रय				
	मूल	25.00	25.00	0.00	-25.00

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का कारण शासन स्तर से स्वीकृति का प्राप्त न होना सूचित किया गया।

(2)	4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय				
	00				
	102 लघु उद्योग				
	07 टूल रूम की स्थापना				
	मूल	1.00	1.00	0.00	-1.00

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(3)	4859 दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय				
	02 इलेक्ट्रॉनिक्स				
	800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	11,20.00	11,20.00	0.00	-11,20.00

उपरोक्त क्रम सं० (2) एवं (3) के शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

अनुदान सं० 24 परिवहन

मुख्य लेखांश	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
--------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

- 20: वाहन कर
- 30: नागर विमानन
- 30: सड़क परिवहन

दत्तमत—

मूल	21,08,80		
		21,13,44	18,62,26
पूरक	4,64		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			1,29,81

पूजीगत :

- 50: नागर विमानन पर पूजीगत परिव्यय
- 50: सड़क परिवहन पर पूजीगत परिव्यय
- 70: नागर विमानन के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	32,90,05		
		75,72,81	67,61,24
पूरक	42,82,76		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			6,29,23

टिप्पणियां 1 टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 2,51.18 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,29.81 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 2,51.18 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 4.64 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखीय	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	30 नागर विमानन विमान पतन			
	1 हवाई अड्डा (100% के०स०) हवाई पट्टियों का अनुरक्षण			
	मूल	5.00		
			2.72	2.72
	पुनर्वि०	-2.28		0.00

कम (+) आधिक्य
 स0 (-) बचत
 (लाख ₹ में)

कम	लेखाशीर्ष	कुलानुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	बचत(-)
(3)	5055 सड़क परिवहन पर पुंजीगत परिव्यय				
	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकर्मों में निवेश				
	03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैंड के मांग हेतु अनुदान	2,50.00	2,50.00		
			1,79.09		-70.91
	800 अन्य व्यय				
	02 विमान पत्तन				
	5053 नागर विमानन पर पुंजीगत परिव्यय				
(1)	03 हवाई पट्टी के निर्माण हेतु आधिग्रहित भूमि बालिकर का भुगतान	90.00	90.00		
(2)	11 व्यावसायिक विमान सेवाओं का विस्तार	1,00.00	1,00.00		
	पुनर्वित्त	-90.00		0.00	0.00
	5055 सड़क परिवहन पर पुंजीगत परिव्यय				
	00				
	50				
	07 ऋषिकेश में आर्टोमेटेड टेरिस्टिंग लेन्स की खरीद	50.00	50.00		
	पुनर्वित्त	-38.60		11.40	0.00
(4)	08 हल्द्वानी में बालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू कय/भवन निर्माण	50.00	50.00		
	पुनर्वित्त	-50.00		0.00	0.00
(5)	09 बालक प्रशिक्षण हेतु समलेटर का कय	1,00.00	1,00.00		
	भूले				-1,00.00

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अग्रत रहने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(ix) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	050 भूमि तथा भवन			
	03 परिवहन आयुक्त/जनदीय कार्यालय के अनावासीय भवन भूमि कय मूल	1,00.00	1,13.45	1,13.45
	पुनर्वि०	13.45		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2011 को ₹ 13.45 लाख की वृद्धि सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, उधमसिंह नगर हेतु भूमि/भवन के कय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	04 देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल	1,00.00	1,75.15	1,75.15
	पुनर्वि०	75.15		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2011 को ₹ 75.15 लाख की वृद्धि चालक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून के अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 25 खाद्य

मुख्य लेखाशीर्ष (—) (हजार ₹ में)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
--	------------	---------------	-----------------------

राजस्व :

2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण
3456 सिविल पूर्ति
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत—

मूल	28,97,83		
		31,11,83	23,84,77
पूरक	2,14,00		-7,27,06
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			5,97,46

पूंजीगत :

4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	1,50,01		
		2,95,01	12,10,09,37
पूरक	1,45,00		+12,07,14,36
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)			00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 7,27.06 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 5,97.46 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 7,27.06 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त ₹ 2,14.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण			
	01 खाद्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति)			
	मूल	22,74.91		
	पूरक	2,13.50	20,21.26	20,10.10
	पुनर्वि०	-4,67.15		-11.16

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,907 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,13.50 लाख की वृद्धि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4,67.15 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	3456 सिविल पूर्ति 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय मूल 2,46.82	2,47.32	2,02.05	-45.27
	पूरक 0.50			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 19,626 एवं ₹ 6,979 भी सम्मिलित है।				
(3)	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें 00 106 भार और माप का विनियमन 03 अधिष्ठान व्यय मूल 1,89.07	1,58.76	1,58.85	+0.09
	पुनर्वि० -30.31			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 9,115 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 30.31 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				
उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (2) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।				
(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
(1)	2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण 01 खाद्य 800 अन्य व्यय 03 ग्रामीण महिलाओं के लिए निःशुल्क गैस कनेक्शन मूल 1,00.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० -1,00.00			
(2)	3456 सिविल पूर्ति 00 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 80.00	80.00	0.00	-80.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	3456 सिविल पूर्ति 00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	7.03	7.03	13.77
				+6.74

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) दत्तमत अनुदान में ₹ 12,07,14.36 लाख के आधिक्य हुए। यदि इस अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 12,28,94.53 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तो ₹ 21,80.17 लाख की बचत प्राप्त होगी।

(vii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय				
	01 खाद्य				
	101 खरीद और पूर्ति				
	03 अन्न पूर्ति योजना				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	8,19,18.36	+8,19,18.36
	पुनर्वि०	0.00			
(2)	800 अन्य व्यय				
	03 खाण्डसारी शक्कर योजना				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	1,37,36.62	+1,37,36.62
	पुनर्वि०	0.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,46,277 भी सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 12,28,94.53 लाख की वसूली प्राप्त हुई।

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

4408 खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय
01 खाद्य

कम

लेखाधीन

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य(+)
बचत(-)
(लाख ₹ में)

800 अन्य व्यय	05 गादामों का निर्माण	मूल	1,00.00		
		परक	45.00	1,45.00	99.29
					-45.71

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत आन्तम बचत के कारण संचित नहीं किए गए (अप्रैल 2011)।

(ix) दृष्टिगत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डारण पर पूर्णतः पर्यय	01 खाद्य	800 अन्य व्यय	04 आयुक्त, खाद्य भवन का निर्माण	मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
---	----------	---------------	---------------------------------	-----	-------	-------	------	--------

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण संचित नहीं किए गए (अप्रैल 2011)।

अनुदान सं० 26 पर्यटन

मुख्य लेखाशीर्ष कुल अनुदान/ वास्तविक व्यय आधिक्य (+)
विनियोग बचत (-)
(हजार ₹ में)

राजस्व:

3452 पर्यटन

दत्तमत—

मूल	19,59,45			
		25,79,45	22,87,67	-2,91,78
पूरक	6,20,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

प्रभारित—

मूल	2			
		2	0	-2
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

पूँजीगत :

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	65,44,31			
		85,44,31	55,59,95	-29,84,36
पूरक	20,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				00

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 2,91.78 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 2,91.78 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 6,20.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

- (1) 3452 पर्यटन
80 सामान्य

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 उत्तराखण्ड राज्य सरकार पर्यटन विकास परिषद्			
	मूल	7,16.00		
			10,36.00	9,90.03
	पूरक	3,20.00		-45.97
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,39,000 एवं ₹ 789 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,20.00 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद् को सहायक अनुदान देने हेतु की गई।			
(2)	05 शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)			
	मूल	1,31.40	1,31.40	77.06
				-54.34
(3)	104 संवर्धन तथा प्रचार			
	03 अधिष्ठान			
	मूल	2,77.40	2,77.40	2,18.29
				-59.11
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,693 भी सम्मिलित है।			
(4)	18 राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान			
	मूल	3,27.82	3,27.82	1,86.36
				-1,41.46

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

3452 पर्यटन

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

04 यात्रा प्रशासन संगठन अधिष्ठान

मूल

6.81

6.81

15.93

+9.12

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 10,00,000 भी सम्मिलित है।

प्रभारित-

(v) प्रभारित विनियोग हेतु प्राविधानित ₹ 0.02 लाख वर्षपर्यन्त अप्रयुक्त रहे।

पूजीगत :

दत्तमत-

(vi) ₹ 29,84.36 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) ₹ 29,84.36 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 20,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	04 वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति			
	पूरक	6.90	6.90	4.65
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 6.90 लाख कर प्रावधान वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			-2.25
(2)	101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण			
	04 बन बन्दोबस्त			
	मूल	5.00		
			3.00	2.79
	पुनर्वि०	-2.00		-0.21
	प्रावधान में दिनांक 09-03-2011 को ₹ 2.00 लाख की कमी अन्य व्ययों में बचत के कारण की गई।			
(3)	102 समाज तथा फार्म वानिकी			
	04 बांस प्रजातियां का रोपण			
	मूल	2,00.01	2,00.01	1,50.01
				-50.00
(4)	105 वन उत्पाद			
	03 इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज			
	मूल	50.00		
			40.00	38.86
	पुनर्वि०	-10.00		-1.14
	प्रावधान में दिनांक 09-03-2011 को ₹ 10.00 लाख की कमी अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
(5)	04 लीसा			
	मूल	28,38.01		
			24,78.01	24,71.98
	पुनर्वि०	-3,60.00		-6.03
	प्रावधान में दिनांक 09-03-2011 को ₹ 3,60.00 लाख की कमी मशीन, उपकरण एवं सयन्त्र, रख-रखाव एवं अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।			
(6)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	33,87.64		
			57,65.66	26,00.29
	पूरक	23,78.02		-31,65.37
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 15,68,015 एवं ₹ 1,21,530 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 23,78.02 लाख की वृद्धि निम्न योजनाओं के अधिष्ठान व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई—			
	➤ 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण			
	➤ रेस्टोरेशन एण्ड रिजनरेशन ऑफ फारेस्ट कवर			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(7)	03 वनों की अग्नि से सुरक्षा (राज्य सेक्टर) मूल	1,77.76	1,77.76	1,62.99	-14.77
(8)	09 जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल नुकसान पर क्षति पूर्ति मूल	2,00.01	2,00.01	1,93.43	-6.58
(9)	11 टीएचडीसी सहायतित योजना मूल	3,62.06	3,62.06	1,68.07	-1,93.99
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 7,176 भी सम्मिलित है।					
(10)	12 रिसर्च एवं टैक्नोलाजी डेवलपमेन्ट (राज्य सेक्टर) मूल	2,04.36	2,04.36	1,56.81	-47.55
(11)	14 मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यों हेतु वनाधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता/पुरस्कार मूल	15.00	15.00	2.65	-12.35
(12)	16 उत्तराखण्ड वन विकास निधि का गठन मूल	25.00	25.00	12.50	-12.50
(13)	17 इको टूरिज्म मूल	2,14.26	2,14.26	1,96.85	-17.41
(14)	25 जीवों के वास स्थलों का विकास मूल	2,10.00	2,10.00	2,03.49	-6.51
(15)	31 वन अग्नि नियंत्रण हेतु जीआईएस युनिट का गठन मूल	21.50	21.50	11.68	-9.82
(16)	41 वोमेन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य मूल	55.00	55.00	38.43	-16.57
(17)	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 वन्य जीवन परिरक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	15,61.06	15,71.06	9,86.94	-5,84.12
	पूरक	10.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2009-10 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 45,987 एवं ₹ 11,950 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि प्रोजेक्ट टाईगर स्कीम (100% कंसो) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त बचत को अभ्यर्पित नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(9)	113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	83.81	83.81	54.09	-29.72
(10)	2404 डेरी विकास 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान मूल	3,33.41			
	पूरक	1,30.22	4,49.53	4,50.41	+0.88
	पुनर्वि०	-14.10			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 89,238 भी सम्मिलित है।				
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 14.10 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।				
(11)	102 डेरी विकास परियोजनाएं 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3,18.48			
	पूरक	3,18.48	3,18.48	3,18.48	0.00
	पुनर्वि०	-3,18.48			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 3,18.48 लाख के अभ्यर्पण केन्द्राश के प्राप्त न हो पाने के कारण किए गए।				
(12)	91 जिला योजना मूल	34.06			
	पुनर्वि०	-18.55	15.51	15.51	0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 18.55 लाख के अभ्यर्पण केन्द्राश के प्राप्त न हो पाने के कारण किए गए।				
(13)	191 सहकारी समितियां तथा अन्य निकायों को सहायता 91 ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण (जिला योजना) मूल	2,50.00			
	पुनर्वि०	-1.03	2,48.97	2,48.97	0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.03 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।				
(14)	2405 मछली पालन 00 001 निदेशन तथा प्रशासन				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

03 अधिष्ठान

मूल	3,40.71			
पूरक	79.00	3,95.04	3,95.83	+0.79
पुनर्वि०	-24.67			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 86,413 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 79.00 लाख की वृद्धि मत्स्य विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 24.67 लाख के अधिष्ठान व्ययों में बचत के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।

(15) 101 अन्तर्देशीय मछली पालन

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पूरोनिधानित योजना (75% के०स०)

मूल	85.60			
पूरक	42.65	42.65	42.65	0.00
पुनर्वि०	-85.60			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 42.65 लाख की वृद्धि एकीकृत मत्स्य पालन हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 85.60 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के अवमुक्त न हो पाने के कारण की गई।

(16) 91 जिला योजना

मूल	51.40			
		43.42	43.42	0.00
पुनर्वि०	-7.98			

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 7.98 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के कम प्राप्त होने के कारण किए गए।

(17) 190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकर्मों को सहायता

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पूरोनिधानित योजना

मूल	14.00			
		5.96	5.95	-0.01
पुनर्वि०	-8.04			

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.04 लाख के अभ्यर्पण पात्र अभ्यर्थियों के न मिलने के कारण किए गए।

(18) 800 अन्य व्यय

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पूरोनिधानित योजनाएं

मूल	22.50			
		1.21	1.21	0.00
पुनर्वि०	-21.29			

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 21.29 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए-

- केन्द्रांश का विलम्ब से प्राप्त होना
- कार्य के विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण निधि का वित्तीय वर्ष में उपयोग न हो सका

उपरोक्त क्रम सं० (1) से (10) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2403 पशु पालन 00			
	102 पशु तथा भैंस विकास			
	04 उत्तराखण्ड लाईव स्टाक डेवेलपमेन्ट बोर्ड का संचालन			
	मूल	2.70	2.70	0.00
				-2.70
(2)	106 अन्य पशुधन विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	4,00.00		
			5,62.99	0.00
	पूरक	1,62.99		-5,62.99
(3)	2404 डेरी विकास 00			
	102 डेरी विकास परियोजनाएं			
	08 सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		0.00

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्षण पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।

उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (2) के शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

निधि की आवश्यकता होने के कारण अनुदान के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किए गए। अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किए जाने के निम्न कारण रहे—

मुख्य लेखाशीर्ष—2403 'पशु पालन'

माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9,73.44 लाख के प्रावधान पशु पालन विभाग की निम्न योजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए—

- पशु पालन निदेशालय का निदेशन तथा प्रशासन
- पशु कल्याण एवं गौ सेवा (राज्य सेक्टर योजना)
- पशु रोगों पर नियन्त्रण हेतु राज्यों को सहायता (75% के०स०)
- पशु चिकित्सालयों पर शल्यचिकित्सा आदि की सुविधा
- पशु चिकित्सा हेतु दवाईयां वैक्सीन इत्यादि का क्रय एवं शिविरों का आयोजन।
- पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना
- इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्माल रूमिनेंट एण्ड रेबिटस (100% के०स०)
- उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अधिष्ठान व्यय
- भेड़ों को परजीवी किटाणुओं से बचाव

पूर्वागत :

दलगत-

मुख्य लेखाशीर्ष-2404 'डेरी विकास'
 माह सितम्बर 2010 को अनुपूर्वक अनुदान द्वारा ₹ 4,82.76 लाख का प्रावधान डेरी विकास की निम्न योजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए-

- डेरी विकास विभाग के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (100% कोसो)
- महिला डेरी विकास की परियोजनाएँ
- मिल्क प्रोद्युसर्स एंड वृद्ध समितियों का गठन।

- (v) ₹ 2,92.85 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 78.23 लाख अस्पृण हेतु प्रत्याहित किए जा सके।
- (vi) ₹ 2,92.85 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूर्वक अनुदान ₹ 1,59.30 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (vii) बचत निम्न के अन्तर्गत परिलक्षित हुईं:

कम लेखाशीर्ष **कुल अनुदान** **वास्तविक व्यय** **आधिक्य(+)** **बचत(-)** **शेष (लाख ₹ में)**

4403	पशुपालन पर पूर्वागत परिव्यय				
101	पशु चिकित्सा सेवाय तथा पशु स्वास्थ्य	4,00.00	4,00.00		
10	पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा कन्दों के भवन निर्माण				
					-2,14.49

4405	मछली पालन पर पूर्वागत परिव्यय				
101	अन्तर्देशीय मछली पालन				
01	कन्द्रीय आयाजनागत/कन्द द्वारा पुनर्निधानित योजनाएँ	37.36	37.36		
					5.12
					-0.01

91	मान्य पालन (जिला योजना)				
		60.00	60.00		
					14.00
					0.00

(3) दिनांक 31-03-2011 को ₹ 46.00 लाख के अस्पृण जिला स्तर पर निधि के उपयोग न हो पाने के कारण किए गए।

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास

आधिक्य (+)
बचत (-)
(हजार ₹ में)

कुल अनुदान / वास्तविक व्यय
विनियोग

मुख्य लेखाधीन

राजस्व :

2401 फसल कृषि कर्म

दलमत-	मूल	परक	वर्ष में अस्पष्टित धनराशि (मार्च 2011)
	82,11,42	6,18,52	वर्ष में अस्पष्टित धनराशि (मार्च 2011)
	88,29,94		
	86,68,62		
	-1,61,32		
	31,99		

प्रसारित-

दलमत-	मूल	परक	वर्ष में अस्पष्टित धनराशि (मार्च 2011)
	39,44	00	वर्ष में अस्पष्टित धनराशि (मार्च 2011)
	39,44		
	32,51		
	-6,93		
	00		

अनुदान के राजस्व दलमत अनुमान में ₹ 8,28,43 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकरिमकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूर्जीगत:

4401 फसल कृषि-कर्म पर पूर्जीगत परिव्यय

दलमत-	मूल	परक
	00	00
	00	
	+2,99,69	

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दलमत-

- (i) ₹ 1,61,32 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 31,99 लाख अस्पष्टित हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
 (ii) ₹ 1,61,32 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूर्क अनुदान ₹ 6,18,52 लाख अधिक सिद्ध हुए।
 (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

कम लेखाधीन
सं०
कर्म अनुदान वास्तविक व्यय
आधिक्य (+)
बचत (-)
(लाख ₹ में)

(1) 2401 फसल कृषि कर्म
00

क्र.सं.	विवरण	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
119	बगवानी और सज्जियों की फसलें			
01	कन्द्रीय आयाजनागत/कन्द द्वारा पुरनिधानित योजना	3,10.01	7,53.61	-1,54.73
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 का आपतिगत बही उन्नत का समायाजन ₹ 28,725 भी सम्मिलित है।			
	प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4,43.60 लाख की वृद्धि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (100% कंसो) हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से लिए गए अधिम की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
07	शाहदोल की खेती एवं रेशम विकास	मूल 6,71.56 पूरक 69.67 कुल 7,09.24	7,08.02	-1.22
	प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 69.67 लाख की वृद्धि रेशम के सुदृढीकरण, उत्पादन, प्रचार प्रसार हेतु निम्न योजनाओं के लिए की गई—			
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ रेशम के विकास हेतु सहकारी समितियों को अनुदान। ➤ बाकी भवनों का निर्माण एवं इनका पुनरोद्धार। ➤ जैविक रेशम विकास। ➤ वृक्षारोपण विकास योजना। ➤ रेशम प्रशिक्षण योजना। ➤ उत्तराखण्ड सरकारी रेशम फेडरेशन का सुदृढीकरण। ➤ रेशम उत्पादन एवं इंसका प्रचार प्रसार। 			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 31.99 लाख के अस्पष्ट निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
(3)	10 मधु मक्खी पालन की योजना	मूल 10.51	10.51	-3.51
(4)	12 उत्तराखण्ड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/संगोष्ठी	मूल 14.74	14.74	-8.54
(5)	13 मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना	मूल 21.54	21.54	-1.75
(6)	14 पुराने उद्योगों की धरबाह	मूल 70.00	70.00	-19.73
(7)	15 मंडल एवं अन्य फलों (आंवला, आम) के बांटा रोपण की योजना	मूल 4.00	4.00	-1.50

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(8)	17 भेषज कृषि विकास मूल	1,15.00	1,15.00	40.15	-74.85

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2401 फसल कृषि कर्म 00				
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें				
	08 सघन पौध रोपण हेतु फलपौध सामग्री का आयात मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2401 फसल कृषि कर्म 00				
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें				
	03 औद्योगिक विकास मूल	59,73.06			
	पूरक	1,05.25	60,78.31	61,24.00	+45.69

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 एवं 2009-10 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के क्रमशः ₹ 17,066 तथा ₹ 2,227 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,05.25 लाख की वृद्धि निम्न विभागों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई-

- त्रिपालीसैण में आलू संग्रहण केन्द्र की स्थापना।
- सहकारी जड़ी-बूटी योजना।
- जरमोला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र।
- बागवानी विकास परिषद् के विभिन्न देयकों का भुगतान।
- आम बीमा योजना।

(2)	06 चाय विकास योजना मूल	2,75.00	2,75.00	3,70.00	+95.00
(3)	91 जिला योजना मूल	2,43.50	2,43.50	2,89.33	+45.83

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

राजस्व :
प्रसारित-

(vi) ₹ 6.93 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अस्पृष्ट हेतु प्रत्याहित नहीं की जा सकी।
(vii) बचत निम्नतः परिलक्षित हुई:

कम	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिव्यय(+)	बचत(-)	(लाख ₹ में)
₹0	कम	कुल अर्जुन	वास्तविक व्यय	आधिव्यय(+)	बचत(-)	(लाख ₹ में)
2401	फसल कृषि कम	39.44	39.44	32.51	-6.93	
00						
119	बागवानी और सब्जियों की फसलें					
03	औद्योगिक विकास					
	मूल					

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

पूर्जीगत :

दलमत-

(viii) दलमत अर्जुन के अन्तर्गत ₹ 2,99.69 लाख का व्यय आधिव्यय हुआ। आधिव्यय के नियमितिकरण की आवश्यकता है। यदि अर्जुन के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 32.85 लाख की बर्खाशी का लेख में सम्मिलित कर लिया जाए, तब भी ₹ 2,66.84 लाख के आधिव्यय रहेंगे।
(ix) आधिव्यय निम्नतः परिलक्षित हुआ:

कम	लेखाशीर्ष	कुल अर्जुन	वास्तविक व्यय	आधिव्यय(+)	बचत(-)	(लाख ₹ में)
₹0	कम	कुल अर्जुन	वास्तविक व्यय	आधिव्यय(+)	बचत(-)	(लाख ₹ में)
4401	फसल कृषि कम पर पूर्जीगत परिव्यय	00	00	2,99.69	+2,99.69	
00						
119	बागवानी और सब्जियों की फसलें					
04	रोग रहित आर्सेन/कीटनाशक औषधियों की लागत					
	मूल					
	पूरक					
	पुनर्वि0					

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बड़ी उद्यम समायोजन के ₹ 68,560 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनोगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	पूरक	15,20.00		
			14,02.79	0.00
	पुनर्वि०	-1,17.21		
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 15,20.00 लाख के प्रावधान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु प्रदान किए गए।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-02-2011 को ₹ 90.00 लाख की कमी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2011 को ₹ 27.21 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(3)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	7,20.00		
			8,33.77	-2,37.63
	पूरक	1,13.77		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,13.77 लाख की वृद्धि राज्य मुक्त विश्वविद्यालय एवं कुमाऊँ विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान हेतु की गई।			
(4)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			
	03 प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण			
	पूरक	50.00	50.00	-7.20
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 50.00 लाख का प्रावधान प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत निधि की आवश्यकता के कारण किया गया।			
(5)	2203 तकनीकी शिक्षा			
	00			
	112 इंजी०/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
	03 पन्त कालेज ऑफ टैक्नालोजी, पन्तनगर को सहायक अनुदान			
	मूल	1,48.00		
			1,00.00	0.00
	पुनर्वि०	-48.00		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 48.00 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(6)	2205 कला एवं संस्कृति			
	00			
	102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	35.00		
	पूरक	20.00	7.19	-0.01
	पुनर्वि०	-47.81		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति			

के व्यक्तियों के लिए पारम्परिक बाह्य यंत्रों एवं वेशभूषण के कथ हेतु की गई।
 दिनांक 31-03-2011 को ₹ 47.81 लाख के अस्पृष्ट निम्न कारणों से किए गए-
 ➤ अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड की लोक कलाओं को जीवित रखने एवं इसके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रथम चरण में 6 स्थानों में आयोजित किए जाने की स्वीकृति समय के अन्दर प्राप्त न होने के कारण।
 ➤ निधि के अवमुक्त न होने के कारण।

क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	बचत(-)	(लाख ₹ में)
(7)	2211 परिवार कल्याण	00	00	00	00	
	101 अनुसूचित जातियों हेतु स्थल कम्पौन्ड एन	4,25.61	3,89.25	-36.36		
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	4,25.61				
(8)	2215 जलापूर्ति तथा सफाई					
	01 जलापूर्ति					
	101 शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम	4,80.00	50.21	-4,29.79		
	05 नगरीय पंचाल	4,80.00				
(9)	102 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम					
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्थल कम्पौन्ड एन	13,00.00	11,98.55	-1,01.45		
	मूल	13,00.00				
(10)	2217 शहरी विकास					
	03 छोटें तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समीकित विकास					
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता	2,72.15	3.77	-2,68.38		
	03 नगरों का समीकित विकास	2,72.15				
	मूल	2,72.15				
(11)	97 राज्य सहायित परियोजनाएं					
	मूल	21,10.32	5,86.25	-15,24.07		
(12)	800 अन्य व्यय					
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं	42,99.10	3,68.80	-39,30.30		
	मूल	42,99.10				
(13)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण					
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण					
	001 निदेशन तथा प्रशासन	20.00	11.38	-8.62		
	06 राज्य समान कल्याण सलाहकार बोर्ड (50% के 0 पौ)	20.00				
	मूल	20.00				
(14)	07 एस.सी.पी./टी.एस.पी. नियोजन प्रकल्प का अधिष्ठान	55.44	44.90	-10.54		
	मूल	55.44				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(15)	08 अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का अधिष्ठान मूल	37.04	41.20	38.23	-2.97
	पूरक	4.16			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,754 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4.16 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(16)	102 आर्थिक विकास 03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का अधिष्ठान मूल	8.19	8.19	6.55	-1.64
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 32,466 भी सम्मिलित है।				
(17)	277 शिक्षा 03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन मूल	1,39.83	1,39.83	1,17.80	-22.03
(18)	06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन मूल	2,76.70	2,64.80	1,91.73	-73.07
	पुनर्वि०	-11.90			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2011 को ₹ 11.90 लाख की कमी किराया, शुल्क एवं कर, भोजन व्यय तथा अवकाश यात्रा खर्चा में हुई बचत के कारण की गई।				
(19)	07 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना मूल	30.00	12.69	10.89	-1.80
	पुनर्वि०	-17.31			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-03-2011 को ₹ 17.31 लाख की कमी निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।				
(20)	12 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवास मूल	92.38	1,12.30	83.36	-28.94
	पूरक	19.92			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 19.92 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति छात्रवासों के भोजन व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(21)	13 अनुसूचित जातियों की बालिकाओं को शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कन्या धन योजना मूल	10,00.00	7,33.65	7,26.00	-7.65
	पुनर्वि०	-2,66.35			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15-03-2011 को ₹ 2,50.00 लाख, दिनांक 25-03-2011 को ₹ 6.00 लाख तथा दिनांक 29-03-2011 को ₹ 10.35 लाख की कमी अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कन्या धन योजना में निधि की बचत के कारण की गई।				

क्र.सं.	कम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वार्षिक व्यय	आधिक्य(+) व्यय(-) (लाख ₹ में)
(22)	16	कक्षा 1 से 10 तक के तथा औद्योगिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	40,00.00	38,12.26	-1,87.74
(23)	91	लिना योजना	2,26.25	2,71.81	-65.92
		पुनर्वित्त	45.56		
		राजधानी से पुनर्वित्तियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2011 को ₹ 11.90 लाख, दिनांक 25-03-2011 को ₹ 23.31 लाख तथा दिनांक 29-03-2011 को ₹ 10.35 लाख की वृद्धि पुस्तकालयों/छात्रावासों के सुधार एवं विस्तार हेतु निम्न संस्थाओं को सहायक अनुदान देने हेतु की गई-			
		➤ नरक जॉनियर इंस्टीट्यूट एवं प्रिन्सिपल विद्यालय रुड़की।			
		➤ डॉ० भीमराव अंबेडकर समाजोत्थान संस्थान, बरेली, प्रिन्सिपल।			
		➤ मानव सेवा समिति गढ़ीनाली, उधमसिंह नगर।			
(24)	800	अन्य व्यय	45.00	45.00	-32.94
	08	नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम, 1956 का कियान्वयन			
(25)	91	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुस्तिकाओं की छापी हेतु	4,07.10	3,61.76	-45.34
		आर्थिक सहायता (लिना योजना)			
(26)	2230	श्रम तथा रोजगार	35.02	28.53	-6.49
	02	अनुसूचित जातियों के लिये स्थान कम्पौन्ड खान			
	800	अन्य व्यय			
	02	रोजगार सेवाएँ			
(27)	03	प्रशिक्षण	1,03.03	1,01.50	-1.53
	003	दस्तावेजों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
	02	अनुसूचित जातियों का कल्याण			
(28)	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	13,00.50	6,81.99	-6,18.51
	102	बाल कल्याण			
	02	समाज कल्याण			
	02	अनुसूचित जातियों के लिए स्थान कम्पौन्ड खान			
(29)	103	महिला कल्याण	1.21	0.21	-1.00
	91	विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति की सुरक्षा			
		मूल			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,75.91 लाख की वृद्धि निम्न योजनाओं को सहायक अनुदान एवं उपादान देने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई—

- ग्रामीण आवास योजना हेतु राज्य ऋण/अनुदान
- उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना
- दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना
- मुख्यमंत्री शिल्प विकास योजना

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 6,51.31 लाख के अभ्यर्षण निधि के प्राप्त न होने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(41)	2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 00			
	105 खादी ग्रामोद्योग			
	02 जिला योजनाओं के अन्तर्गत अनुसू० जातियों/जनजातियों का कम्पोनेन्ट प्लान मूल	25.54		
			31.18	30.02
	पूरक	5.64		-1.16

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5.64 लाख की वृद्धि व्यक्तिगत उद्यमियों को सहायक अनुदान देने हेतु की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें			
	102 होम्योपैथी			
	03 होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना पूरक	19.75	19.75	0.00
				-19.75
(2)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
	03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	14.06	14.06	0.00
				-14.06
(3)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
	17 अनुसूचित जाति के युवक-युवतियों हेतु शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना पूरक	50.00	50.00	0.00
				-50.00
(4)	800 अन्य व्यय			
	06 अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना मूल	10.00	10.00	0.00
				-10.00

वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अर्जदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम	00	00	00
	101 पंचायती राज	01	01	00
	00	8,23.50	0.00	0.00
	मूल	-8,23.50		
	पुनर्वित्त			
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अपर्युक्त रहने के कारण संचित नहीं किए गए (अप्रैल 2011)।			
(6)	3054 सड़क तथा संचि	03	03	-1,90.00
	04 जिला तथा अन्य सड़क	105	105	0.00
	रख-रखाव तथा मरम्मत			
	03 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत (अनुसंधान)			
	मूल	1,90.00	1,90.00	0.00
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अपर्युक्त रहने के कारण संचित नहीं किए गए			
(7)	(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:			
(1)	2210 विक्रय तथा लोक स्वास्थ्य	01	01	1,09.13
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-प्राथमिक चिकित्सा पड़ोस			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	03 एलैबोरेटरी एवं पैथोलॉजिकल चिकित्सालय और औषधालय			
	मूल	1,00.00	1,00.00	+9.13
(2)	2217 शहरी विकास	03	03	
	03 शहरी तथा ग्रामीण शीर्षों के नगरों का समीकृत विकास			
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
	01 केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र परियोजनागत योजनाएं	5,12.20	5,12.20	+3,62.91
	मूल	5,12.20	5,12.20	
(3)	2225 अनुसंधित जलियाँ, अनुसंधित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	01	01	
	01 अनुसंधित जलियाँ का कल्याण			
	277 शिक्षा			
	01 केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र परियोजनागत योजना	25,48.00	32,98.00	-7.48
	मूल	25,48.00	32,98.00	
	पूरक	5,00.00	5,00.00	
	पुनर्वित्त	2,50.00	2,50.00	
	प्रावधान में अनुपूरक अर्जदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि अनुसंधित जलियाँ			
	प्रावधान में अनुपूरक अर्जदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि अनुसंधित जलियाँ			
	केंद्रों की वृद्धि अनुसंधित जलियाँ का कारण है।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(vi) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए—

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
102	होम्योपैथी			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.45
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय वर्ष 2006-07 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 44,873 के फलस्वरूप है।

पूँजीगत :
दत्तमत—

- (vii) ₹ 1,18,10.59 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 60,63.47 लाख ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (viii) ₹ 1,18,10.59 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 49,64.76 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय				
	01 सामान्य शिक्षा				
	201 प्रारम्भिक शिक्षा				
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान				
	पूरक	1,00.00			
			95.65	95.65	0.00
	पुनर्वि०	-4.35			

माह सितम्बर 2010 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान प्राथमिक विद्यालयों के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किया गया।
दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.33 लाख के अभ्यर्पण प्राथमिक विद्यालयों के विकास एवं सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण किए गए।

(2)	202 माध्यमिक शिक्षा				
	02 अनु०जाजियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान				
	मूल	2,50.00			
	पूरक	12,50.00	13,82.36	13,82.36	0.00
	पुनर्वि०	-1,17.64			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 12,50.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,17.64 लाख के अभ्यर्पण अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों के भवनों के निर्माण/नवीनीकरण में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	91 जिला योजना			
	पूरक	4,57.75	4,57.75	4,52.24
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 4,57.75 लाख का प्रावधान निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण किया गया—			-5.51
	➤ रा0उ0मा0बा0वि0 में विज्ञान अध्ययन के लिए सुविधा तथा नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण			
	➤ रा0उ0मा0बा0वि0/इण्टर कालेजों के अधूरे भवनों के निर्माण हेतु एक मुश्त व्यवस्था			
	➤ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का भवन विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि भवन कय			
	➤ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण।			
(4)	02 तकनीकी शिक्षा			
	104 बहुशिल्प			
	03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढीकरण			
	मूल	50.00		
	पूरक	2,00.00	7.26	7.26
	पुनर्वि०	-2,42.74		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं (बालक/बालिका) के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,42.74 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए।			
(5)	04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण			
	मूल	2,50.00		
			13.78	13.78
	पुनर्वि०	-2,36.22		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,36.22 लाख के अभ्यर्पण निधि के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।			
(6)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
	91 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना)			
	मूल	1,21.13		
			1,22.63	93.63
	पूरक	1.50		-29.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1.50 लाख की वृद्धि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(7)	800 अन्य व्यय			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान			
	मूल	30.00		
			56.72	20.90
	पूरक	26.72		-35.82
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 20,90,000 भी सम्मिलित है।			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 26.72 लाख की वृद्धि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(8)	4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण योजना			
	91 उप कन्द्रों के भवनों का निर्माण			
	मूल	9.00		
			1,13.18	1,07.75
	पूरक	1,04.18		-5.43
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,04.18 लाख की वृद्धि ग्रामीण परिवार कल्याण योजना के उप केन्द्रों हेतु भवनों के निर्माण के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(9)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
	02 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों का निर्माण (50% के०स०) (चालु कार्य)			
	मूल	50.00	50.00	29.40
				-20.60
(10)	04 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय			
	मूल	50.00	50.00	6.41
				-43.59
(11)	4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	1,09.23	1,09.23	1,02.61
				-6.62
(12)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	102 सामुदायिक विकास			
	91 जिला योजना			
	मूल	4,00.00		
			1,62.20	1,62.20
	पुनर्वि०	-2,37.80		0.00

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 2,37.80 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश में बचत के कारण किए गए।

क्र.सं.	विवरण	कूल अनुदान	वार्षिक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(13)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूर्णता परियोजना 04 नलकूपों का निर्माण 800 अन्य व्यय 02 अनुसंधान कम्पौनन्ट खान	25.00	25.00	+19.69
	प्रदान में अनुपूर्क अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि आसूजानियाँ के लिए स्थल कम्पौनन्ट खान के अन्तर्गत वृद्धि निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,00.00 लाख के अस्पष्ट के कोई स्पष्ट कारण संचित नहीं किए गए।			
(14)	91 आसूजानियाँ के लिए स्थल कम्पौनन्ट खान मूल 1,56.81 पुनर्वि 1,50.00	1,56.81	60.00	-11.69
(15)	06 निर्माणधीन सिंचाई नहरें 800 अन्य व्यय 02 अनुसंधान जातियों के लिए स्थल कम्पौनन्ट खान मूल 1,50.00		60.00	+25.40
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 90.00 लाख के अस्पष्ट के कोई स्पष्ट कारण संचित नहीं किए गए।			
(16)	91 अनुसंधित जातियों के लिए नलकूपों का निर्माण (जिला योजना) मूल 3,12.08 पुनर्वि 2,40.71	3,12.08	5,52.79	-21.44
	प्रदान में अनुपूर्क अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,40.71 लाख की वृद्धि अनुसंधित जातियों के लिए नहरों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(17)	07 उत्तराखण्ड की लघु जल नहरों का निर्माण/पुनर्विहार 800 अन्य व्यय 91 अनुसंधित जातियों के लिए लघुजल नहरों का निर्माण/पुनर्विहार मूल 66.23 पुनर्वि 13.50	66.23	79.73	-1.86
	प्रदान में अनुपूर्क अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 13.50 लाख की वृद्धि अनुसंधित जातियों के लिए लघु जल नहरों के निर्माण (जिला योजना) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(18)	4702 लघु सिंचाई पर पूर्णता परियोजना 800 अन्य व्यय 01 कन्द्रीय आयोजनागत/कन्द द्वारा पुरनिधानित योजना मूल 45,00.00	45,00.00	45,00.00	-32.82.84

कम
शु
लेखाशीर्ष
कूल अनुदान
वास्तविक व्यय
आधिव्यय(+)
बचत(-)
(लाख ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	पुनर्वित्त	मूल	कुल
(7)	4801 विजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजनाएं 05 परियोजनाएं 097 राज्य सहायता 01 एनडीए/एनडीए विजली परियोजनाओं हेतु पिटकल में निवेश	पुनर्वित्त -9,72.00	मूल 9,72.00	0.00
(8)	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 03 पिटकल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूजा	पुनर्वित्त -4,50.00	मूल 4,50.00	0.00
(9)	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परियोजनाएं 800 अन्य व्यय 03 बालक परीक्षण संस्थान देहरादून में अनुसंधान जाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क परीक्षण	पुनर्वित्त -4,50.00	मूल 4,50.00	0.00
(10)	6801 विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 05 परियोजनाएं 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 03 उत्तराखण्ड परिवहन कारपोरेशन को ऋण	पुनर्वित्त -8,10.00	मूल 8,10.00	0.00
(11)	97 राज्य सहायता परियोजनाएं पुनर्वित्त -22,68.00	मूल 22,68.00	0.00	0.00
(1)	4210 विजली तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परियोजनाएं 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-प्राथमिक चिकित्सा पंजी	पुनर्वित्त -22,68.00	मूल 22,68.00	0.00

(xi) आधिव्यय निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलिखित हुआ:
उपर्युक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अपयुक्त रहने (कम सं. 1 को छोड़कर) के कारण संचित नहीं किए गए (अप्रैल 2011)।

वर्ष 2009-10 के दौरान भी उक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अपयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)

बचत (-)

(हजार ₹ में)

राजस्व :

2202	सामान्य शिक्षा
2203	तकनीकी शिक्षा
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं
2205	कला एवं संस्कृति
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2211	परिवार कल्याण
2215	जल पूर्ति तथा सफाई
2217	शहरी विकास
2220	सूचना तथा प्रचार
2225	अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
2230	श्रम तथा रोजगार
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
2401	फसल कृषि कर्म
2402	मृदा तथा जल संरक्षण
2403	पशु पालन
2404	डेरी विकास
2405	मछली पालन
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन
2425	सहकारिता
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2505	ग्राम रोजगार
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
2801	बिजली
2810	वैकल्पिक ऊर्जा
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

दत्तमत—

मूल	1,23,69,64			
		1,39,15,53	94,94,88	-44,20,65
पूरक	15,45,89			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				7,00,91

पूंजीगत :

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
4202	शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
4225	अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

पूजीगत :

4403	पशुपालन पर पूजीगत परिव्यय		
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूजीगत परिव्यय		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय		
4702	लघु सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूजीगत परिव्यय		
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूजीगत परिव्यय		
5054	सड़क तथा सेतुओं पर पूजीगत परिव्यय		
5452	पर्यटन पर पूजीगत परिव्यय		
6425	सहकारिता के लिए कर्ज		
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		

दत्तमत—

मूल	73,55,23			
पूरक	15,73,02	89,28,25	45,63,60	-43,64,65
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2011)				12,17,19

टिप्पणियां एवं टिकाये

राजस्व :

दत्तमत—

- ₹ 44,20.65 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 7,00.91 लाख ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 44,20.65 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह सितम्बर 2010 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 15,45.89 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1)	2202 सामान्य शिक्षा			
	02 माध्यमिक शिक्षा			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	03 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना			
	मूल	2,36.16		
	पूरक	51.64	2,86.55	2,81.42
	पुनर्वि०	-1.25		-5.13

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 51.64 लाख की वृद्धि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अधिष्ठान हेतु वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,25 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(32)	04 समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार मूल	2,65.68	2,65.68	2,11.36	-54.32
(33)	08 वृद्धावस्था/किसान पेंशन मूल	1,75.00	5,20.76	5,17.84	-2.92
	पूरक	3,45.76			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 3,45.76 लाख की वृद्धि वृद्धावस्था/किसान पेंशन के भुगतान हेतु और अधिक निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(34)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,91.00	1,91.00	1,89.80	-1.20
(35)	2401 फसल कृषि कर्म 00 102 खाद्यान्नों की फसलें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	60.57	56.02	56.02	0.00
	पुनर्वि०	-4.55			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 4.55 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।				
(36)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 23 कृषि रक्षा कार्यक्रम नियन्त्रण की योजना मूल	5.00	5.13	5.13	0.00
	पूरक	1.35			
	पुनर्वि०	-1.22			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 1.35 लाख की वृद्धि कृषि रक्षा कार्यक्रम नियन्त्रण की योजना हेतु उपादान प्रदान करने के लिए की गई।				
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1.22 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।				
(37)	2402 मृदा तथा जल संरक्षण 00 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 मृदा एवं जल-संरक्षण कार्यक्रम मूल	50.00	34.00	34.00	0.00
	पुनर्वि०	-16.00			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 16.00 लाख के अभ्यर्पण लघु निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(38)	2403 पशु पालन 00			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	17 अनुसूचित जनजातियों हेतु (कुंक्कुट पालन/बछियापालन इकाई) योजनाएं			
	मूल	20.93	20.93	18.86
				-2.07
(39)	2425 सहकारिता 00			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	08 अटल आदर्श ग्राम योजना हेतु वित्तीय सहायता			
	मूल	12.60	12.60	10.79
				-1.81
(40)	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
	796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	2,81.98		
			2,40.08	2,40.07
	पुनर्वि०	-41.90		-0.01
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 41.90 लाख के अभ्यर्पण राज्यांश में बचत के कारण किए गए क्योंकि स्वीकृत केन्द्रांश अवमुक्त नहीं हुआ।			
(41)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	08 उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना			
	मूल	10.00		
	पूरक	7.70	5.18	5.18
	पुनर्वि०	-12.52		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7.70 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना हेतु उपादान प्रदान करने के लिए की गई।			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 12.52 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(42)	97 आईफेड बाह्य सहायतित योजना मूल	1,42.50		
			87.93	87.93
	पुनर्वि०	-54.57		0.00
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 54.57 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(43)	2851 ग्रामीण तथा लघु उद्योग 00			
	103 हथकरघा उद्योग			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	03 कार्डिंग/वीभिग प्लान्टों का सुदृढीकरण मूल	11.50	11.50	9.50 -2.00
(44)	105 खादी ग्रामोद्योग 01 अनुसूचित जनजाति उप योजना मूल	17.31	17.31	15.25 -2.06
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत, जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।				
(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
(1)	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं पूरक	2,40.00	2,40.00	0.00 -2,40.00
अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,40.00 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के क्रियान्वयन हेतु किए गए।				
(2)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 101 आयुर्वेद 03 आयुर्वेदिक औषधालय एवं रुजालय पूरक	10.73	10.73	0.00 -10.73
अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 10.73 लाख का प्रावधान आयुर्वेदिक औषधालयों एवं रुजालयों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				
(3)	04 ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं 102 होम्योपैथी 91 जिला योजना पूरक	15.00	15.00	0.00 -15.00
अनुपूरक अनुदान द्वारा सितम्बर 2010 को ₹ 15.00 लाख का प्रावधान राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				
(4)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 794 जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 03 जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मूल	3,08.77	3,08.77	0.00 -3,08.77
(5)	796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना 04 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मूल	1,50.00	1,50.00	0.00 -1,50.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	800 अन्य व्यय			
	19 अनुसूचित जनजाति विकास परिषद की स्थापना			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				-10.00
(7)	20 जनजाति सलाहकार परिषद			
	पूरक	22.21	22.21	0.00
				-22.21
अनुपूरक अनुदान द्वारा सितम्बर 2010 को ₹ 22.21 लाख का प्रावधान अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				
(8)	2401 फसल कृषि कर्म			
	00			
	796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
	19 जड़ी-बूटी शोध संस्थान को अनुदान			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				-10.00
(9)	2402 मृदा तथा जल संरक्षण			
	00			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	04 जल संभरण योजना			
	मूल	50.00	0.00	0.00
				0.00
	पुनर्वि०	-50.00		
(10)	2405 मछली पालन			
	00			
	796 जन जाति क्षेत्र उप योजना			
	03 राजि, थारू एवं बोक्सा जनजातियों के लिए फिक्स फारमिंग			
	मूल	30.00	30.00	0.00
				-30.00
(11)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	00			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	11 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि			
	मूल	1,83.00	0.00	0.00
				0.00
	पुनर्वि०	-1,83.00		
(12)	13 निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति			
	मूल	80.00	0.00	0.00
				0.00
	पुनर्वि०	-80.00		

परिशिष्ट -III

(सन्दर्भ : टिप्पणी (vi), अनुदान -20)

उचन्त लेन देन -सिंचाई विभाग -राजस्व प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2010 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2010-11	31 मार्च 2011 को अन्त शेष (नामे + जमा - वसूली)
2701- मध्यम सिंचाई						
उचन्त स्टाक	+83,88.77	+18,40.09	-0.90	+18,39.19	18,96.69	+83,31.27
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	-9.03	--	--	--	--	-9.03
कार्यशाला उचन्त	+4,36.51	--	--	--	--	+4,36.51
योग	+88,16.25	+18,40.09	-0.90	+18,39.19	18,96.69	+87,58.75
2702-लघु सिंचाई	--	--	--	--		--
उचन्त स्टाक	--	--	--	--		--
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	--	--	--	--		--
कार्यशाला उचन्त	--	--	--	--		--
योग	--	--	--	--		--

परिशिष्ट -IV

(सन्दर्भ : टिप्पणी (xii), अनुदान-20)

उचन्त लेन देन -सिंचाई - पूंजी प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2010 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2010-11	31 मार्च 2011 को अन्त शेष (नामे + जमा - वसूली)
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	+2,71,16.54	+42,92.75	-4.71	+42,88.04	42,20.16	+2,71,84.42
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+60,57.42	+5,74.92	-9.89	+5,65.03	4,73.19	+61,49.26
योग	+3,31,73.96	+48,67.67	-14.60	+48,53.07	46,93.35	+3,33,33.68

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	--	--	--	--	7.82	-7.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	--	--	--	--	--	--
योग	--	--	--	--	7.82	-7.82

4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	-20.81	--	--	--	65,91.39	-66,12.20
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	-13.66	--	--	--	--	-13.66
कार्यशाला उचन्त	--	--	--	--	--	--
योग	-34.47	--	--	--	65,91.39	-66,25.86


परिशिष्ट -V

(सन्दर्भ : टिप्पणी (xii), अनुदान-22)

उचन्त लेन देन -लोक निर्माण विभाग

शीर्ष	(लाख ₹ में)					
	1 अप्रैल 2010 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2010.11	31 मार्च 2011 को अन्त शेष (नामे + जमा) - वसूली
5054-सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	+2,10,86.21	+52,87.04	-1.55	+52,85.49	50,89.63	+2,12,82.07
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+2,03,09.92	+42,05.94	-15.18	+41,90.76	46,05.63	+1,98,95.05
योग	+4,13,96.13	+94,92.98	-16.73	+94,76.25	96,95.26	+4,11,77.12





क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	800 अन्य व्यय 19 अनुसूचित जनजाति विकास परिषद की स्थापना मूल	10.00	10.00	0.00 -10.00
(7)	20 जनजाति सलाहकार परिषद पूरक	22.21	22.21	0.00 -22.21
अनुपूरक अनुदान द्वारा सितम्बर 2010 को ₹ 22.21 लाख का प्रावधान अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				
(8)	2401 फसल कृषि कर्म 00 796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 19 जड़ी-बूटी शोध संस्थान को अनुदान मूल	10.00	10.00	0.00 -10.00
(9)	2402 मृदा तथा जल संरक्षण 00 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 जल संभरण योजना मूल पुनर्वि०	50.00 -50.00	0.00	0.00 0.00
(10)	2405 मछली पालन 00 796 जन जाति क्षेत्र उप योजना 03 राजि, थारू एवं बोक्सा जनजातियों के लिए फिक्स फारमिंग मूल	30.00	30.00	0.00 -30.00
(11)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 11 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मूल पुनर्वि०	1,83.00 -1,83.00	0.00	0.00 0.00
(12)	13 निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति मूल पुनर्वि०	80.00 -80.00	0.00	0.00 0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(13)	2810 वैकल्पिक ऊर्जा 60 ऊर्जा के अन्य स्रोत 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 ग्रामीण ऊर्जा तकनीकी हेतु उरेडा को सहायता मूल	20.00	20.00	0.00	-20.00
(14)	2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 00 103 हथकरघा उद्योग 04 उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्त शिल्प विकास परिषद् को सहायता मूल	13.23	13.23	0.00	-13.23
(15)	3054 सड़क तथा सेतु 04 जिला तथा अन्य सड़कें 105 रख-रखाव तथा मरम्मत 03 प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत (अनुरक्षण) मूल	40.00	40.00	0.00	-40.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 00 796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना 91 जिला योजना मूल	29.20	29.05	30.82	+1.77
	पुनर्वि०	-0.15			
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 0.15 लाख के अभ्यर्ण का कारण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाना सूचित किया गया।				
(2)	2225 अनुसूचित जातियों, अनु०जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	5,00.00	7,83.63	7,90.58	+6.95
	पूरक	2,83.63			

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,83.63 लाख की वृद्धि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति (100% के०स०) योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां एवं छात्र वेतन दिए जाने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	07 सहायता प्राप्त पुस्कालयों/ छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान मूल	1,80.00	1,80.00	2,71.21	+91.21
(4)	2404 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 00 796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना 04 सघन लघु डेरी योजना मूल	0.00	0.00	6.12	+6.12
	पूरक	0.00			
	पुनर्वि०	0.00			
(5)	91 ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण (जिला योजना) मूल	11.23	5.97	29.48	+23.51
	पुनर्वि०	-5.26			

दिनांक 31-03-2011 को ₹ 5.26 लाख के अभ्यर्पण के कारण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर होना सूचित किया गया।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

**पूँजीगत :
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 43,64.65 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 12,17.19 लाख ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
 - (vii) ₹ 43,64.65 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 15,73.02 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
 - (viii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:
- | | | | | | |
|-----|--|---------|---------|---------|--------|
| (1) | 4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय
02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पारिचात्य चिकित्सा पद्धति
796 जनजाति क्षेत्र उप योजना
91 जिला योजना
मूल | 2,06.00 | 2,94.80 | 2,75.91 | -18.89 |
|-----|--|---------|---------|---------|--------|

पूरक 88.80
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 88.80 लाख की वृद्धि निम्न कारणों से की गई-

- उपकेन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण
- राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों हेतु भवनों का निर्माण
- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	4225 अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 277 शिक्षा 05 राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण			
	मूल	4,28.05	4,28.05	26.29
				-4,01.76
(3)	06 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण			
	मूल	4,04.34	4,04.34	75.68
				-3,28.66
(4)	800 अन्य व्यय 05 निदेशालय जनजाति कल्याण			
	मूल	0.01		
	पूरक	2,44.00	1,94.01	4.14
	पुनर्वि०	-50.00		
				-1,89.87
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 2,44.00 लाख की वृद्धि निदेशालय जनजाति कल्याण के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2011 को ₹ 50.00 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण की गई।			
(5)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एनपीबी का भुगतान			
	मूल	3,20.00		
			2,10.52	2,10.52
				0.00
	पुनर्वि०	-1,09.48		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 1,09.48 लाख के अभ्यर्पण स्वीकृत निधि के अवमुक्त न होने के कारण किए गए			
(6)	02 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	40.00		
			31.52	31.52
				0.00
	पुनर्वि०	-8.48		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 8.48 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।			
(7)	91 जिला योजना			
	मूल	90.00		
			67.28	67.28
				0.00
	पुनर्वि०	-22.72		
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 22.72 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।			

क्र.सं.	विवरण	कूल अनुदान	वार्षिक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(8)	4700 मुख्य सिंचाई 04 नलकूपों का निर्माण 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 91 अनुसूचित जनजातियों के लिए नलकूपों का निर्माण	33.69	26.76	0.00
(9)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 ट्राईबल विकास खण्डों में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाइड्रम स्पीकलरो का निर्माण	50.01	7,49.94	-50.06
	पूरक प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह सितम्बर 2010 को ₹ 7,49.99 लाख की वृद्धि जनजाति विकास खण्डों में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाइड्रम स्पीकलरो के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	7,49.99		
(10)	03 जनजाति क्षेत्र हेतु मूल, डोज एवं पाइप लाइन् का निर्माण	30.00	28.43	-1.57
(11)	5054 सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना 04 लिला तथा अन्य सड़क 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 नए कार्य	50.00	0.74	-49.26
(12)	02 बालू निर्माण कार्य	25,00.00	19,93.11	-5,06.89
(13)	03 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु मूनि अधिग्रहण	2,00.00	1,24.09	-75.91
(14)	6801 विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 01 जलविद्युत उत्पादन 190 सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश 97 वास्तव्य सहयोगिता	1,68.00	24.30	-1,43.70
(15)	05 परेषण एवं वितरण 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
91	यू.पी.सी.एल को ऋण जिला योजना मूल	1,05.00		
	पुनर्वि०	-68.79	36.21	16.35
	दिनांक 31-03-2011 को ₹ 68.79 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।			-19.86
उक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।				
(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02 तकनीकी शिक्षा 104 बहुशिल्प 03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण एवं सुदृढीकरण मूल	0.01		
	पूरक	49.99	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		0.00
(2)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03 अनुसूचित जनजातियों हेतु स्वरोजगार अंशपूजी (49प्रतिशत के०स०) मूल	51.00	51.00	0.00
				-51.00
(3)	277 शिक्षा 01 केन्द्र पोषित/केन्द्र द्वारा पुरानिधानित योजनाएं मूल	8,35.28		
	पूरक	1,00.00	9,35.28	0.00
				-9,35.28
(4)	07 रा०औ०प्र० संस्थाओं में अवस्थापना सुविधा मूल	2,06.40	2,06.40	0.00
				-2,06.40
(5)	4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय 01 खाद्य 800 अन्य व्यय 03 गोदामों का निर्माण मूल	1,25.00	1,25.00	0.00
				-1,25.00
(6)	4700 मुख्य सिंचाई 06 निर्माणाधीन नहरें 796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना			

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(7)	800 अन्य व्यय			
	91 जनजाति क्षेत्रों के लिए लघुजाल नहरों का निर्माण/पुनरीक्षण	6.00	6.00	-6.00
(8)	4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूर्वागत परिव्यय			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	03 स्थित निर्माण कार्य	10.00	90.00	0.00
	मूल			
	पूरक			
	पुनर्वित्त	-1,00.00		0.00
	4801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	05 परिसर एवं वितरण			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपकरण एवं अन्य उपकरणों में निवेश			
	97 बाह्य सहायता	1,62.00		0.00
	मूल			
	पुनर्वित्त	-1,62.00		0.00
(10)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	02 प्रिकृतल को आर0ई0सी0 ऋण के साक्ष अंशपूर्णा	75.00		0.00
	मूल			
	पुनर्वित्त	-75.00		0.00
(11)	5055 सड़क परिवहन पर पूर्वागत परिव्यय			
	800 अन्य व्यय			
	03 बाक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में अनुसंधित जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण	8.40	8.40	-8.40
	पूरक			
(12)	5452 पर्यटन पर पूर्वागत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	02 अनुसंधित जनजाति के लिए स्थल कम्पानेन्ट खान	75.12		-75.12
	पूरक			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(13)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 05 पारेषण एवं वितरण 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 03 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ऋण मूल 1,35.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० -1,35.00			
(14)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल 3,78.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० -3,78.00			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

(x) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार मूल 50.00	50.00	1,01.57	+51.57
(2)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 800 अन्य व्यय 03 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मूल 1,00.00	1,50.00	1,44.68	-5.32
	पुनर्वि० 50.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2011 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निधि के आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त क्रम सं० (1) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य एवं क्रम सं० (2) के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2011)।

परिशिष्ट- 1

(सन्दर्भ : विनियोग लेखे का सारांश पष्ठ सं०-10)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2010-11 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि को प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे : -

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	अग्रिम से व्यय
			(हजार ₹ में)
1	03	2013- मंत्रिपरिषद्	16,00,00
2	06	2029- भू-राजस्व	21,55
3	06	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	46,47
4	06	2245- प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	4,85,78,88
5	07	2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें	5,23
6	07	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	5,46,83
7	13	2217- शहरी विकास	1,90,32
8	15	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,07,59
9	19	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	14,59,73
10	23	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2,65,02
11	27	2406- वानिकी तथा वन्य जीवन	1,00
12	28	2403-पशु पालन	20,39
13	29	2401-फसल कृषि कर्म	8,28,43
योग			5,36,71,44

		वास्तविक	बजट प्राक्कलनों से वास्तविक तुलना	
			अधिक + कम -	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	
(हजार ₹ में)		(हजार ₹ में)		
---	29,41,16	----		-6,96,41
---	5,69,10	----		+5,69,10
18,96,69	1,12,92,56	+18,96,69		+1,12,92,56
--	96,95,26	----		+96,95,26
---	12,28,94,53	----		-1,71,05,47
---	32,85	----		-2,67,15
18,96,69	14,74,25,46	+18,96,69		+34,87,89

परिशिष्ट -III

(सन्दर्भ : टिप्पणी (vi), अनुदान -20)

उचन्त लेन देन -सिंचाई विभाग -राजस्व प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2010 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2010-11	31 मार्च 2011 को अन्त शेष (नामे + जमा - वसूली)
2701- मध्यम सिंचाई						
उचन्त स्टाक	+83,88.77	+18,40.09	-0.90	+18,39.19	18,96.69	+83,31.27
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	-9.03	--	--	--	--	-9.03
कार्यशाला उचन्त	+4,36.51	--	--	--	--	+4,36.51
योग	+88,16.25	+18,40.09	-0.90	+18,39.19	18,96.69	+87,58.75
2702-लघु सिंचाई	--	--	--	--		--
उचन्त स्टाक	--	--	--	--		--
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	--	--	--	--		--
कार्यशाला उचन्त	--	--	--	--		--
योग	--	--	--	--		--

परिशिष्ट -IV

(सन्दर्भ : टिप्पणी (xii), अनुदान-20)

उचन्त लेन देन -सिंचाई - पूंजी प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2010 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2010-11	31 मार्च 2011 को अन्त शेष (नामे + जमा - वसूली)
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	+2,71,16.54	+42,92.75	-4.71	+42,88.04	42,20.16	+2,71,84.42
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+60,57.42	+5,74.92	-9.89	+5,65.03	4,73.19	+61,49.26
योग	+3,31,73.96	+48,67.67	-14.60	+48,53.07	46,93.35	+3,33,33.68

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	--	--	--	--	7.82	-7.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	--	--	--	--	--	--
योग	--	--	--	--	7.82	-7.82

4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	-20.81	--	--	--	65,91.39	-66,12.20
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	-13.66	--	--	--	--	-13.66
कार्यशाला उचन्त	--	--	--	--	--	--
योग	-34.47	--	--	--	65,91.39	-66,25.86

परिशिष्ट -V

(सन्दर्भ : टिप्पणी (xii), अनुदान-22)

उचन्त लेन देन -लोक निर्माण विभाग

शीर्ष	(लाख ₹ में)					
	1 अप्रैल 2010 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2010.11	31 मार्च 2011 को अन्त शेष (नामे + जमा) - वसूली
5054-सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	+2,10,86.21	+52,87.04	-1.55	+52,85.49	50,89.63	+2,12,82.07
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+2,03,09.92	+42,05.94	-15.18	+41,90.76	46,05.63	+1,98,95.05
योग	+4,13,96.13	+94,92.98	-16.73	+94,76.25	96,95.26	+4,11,77.12



